पंचम माला, खंड 26, अंक 36, मंगलवार, 10 अप्रैल, 1973/20 चैत्र, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXVI, No. 36, Tuesday, April 10, 1973/Chaitra 20, 1895 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है / Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

PRICE : TWO RUPEES

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

—M/S4LSS—2

विषय सूची/CONTENTS

अंक 36 मंगलवार, 10 अप्रैल, 1973/20 चैत्र 1895 (शक)

No. 36, Tuesday, April 10, 1973/Chaitra 20, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
681	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरिंग एसोसिएसन का ज्ञापन	Memorandum from DESU Engineering Association	1—3
684	बरौनी तापीय बिजली घर के कोयला चूर्ण कोष्ठ (कोल डस्ट बंकर)	Explosion of Coal Dust Bunker of Barauni Thermal Power Station .	4—5
686	मध्य प्रदेश विधान सभा के रिक्त स्थानों के लिये चुनाव	Holding of Elections to the Vacant seats in the Legislative Assembly of Madhya Pradesh .	5—9
687	संसद सदस्यों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन	Re-organisation of Zonal Consultative Committee of Members of Parliament . .	9—11
688	भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को दण्ड	Punishment of Railway Employees of North Eastern Railway on Corruption Charges .	11—14
691	निबोला गांव के निकट रेलवे फाटक पर रेल के उपरि पुल का निर्माण	Construction of an Over Bridge at Railway Crossing near Nibola Village . . .	14
694	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में मिट्टी के तेल के उत्पादन की प्रतिशतता	Percentage of Kerosene Oil Produced in Public and Private Sector .	14—17
695	गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों बनाने वाले कारखाने और उनकी उत्पादन क्षमता	Fertilizer Manufacturing Units in Private and Public Sectors with Production capacities .	17—20

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
682	सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों की भर्ती प्रशिक्षण वेतनमान और सेवा संबंधी शर्तों की जांच करने के लिय समिति	Committee to go into Recruitment Training, Pay Scales and Service Condition of Signal and Tele-Communication Staff . . .	21—23
683	विदेशी फालतू पुर्जों से डीजल इंजनों की मरम्मत करना	Repair of Diesel Engines with Foreign Spare Parts	23
685	डीजल से चलाई जाने वाली नई रेलगाड़ियां	New Trains placed under Diesel Traction . .	24
689	मेसर्स फाइजर इण्डिया लि० द्वारा टैट्रसाइक्लीन और अन्य दवाइयों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन	Exceeding of Licensed Capacity by Pfizer India Ltd. for the Manufacture of Tetracycline and certain other Drugs .	24
690	मनाली (मद्रास) स्थित नागपाल अम्बादी कारखाने को पैरेफिन मोम की सप्लाई	Supply of Paraffin Wax to Nagpal Ambadi Plant at Manali (Madras) .	24—25
692	राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम पर बुलाये गये अनुसचिवीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी भत्ता	National holiday allowance to ministerial staff booked to work on National Holidays. . . .	25—26
693	कोचीन तेल शोधक कारखाने के प्रबंधकों द्वारा समझौते को लागू न करना	Non-Implementation of Agreement by the Management of Cochin Oil Refinery . . .	26
696	मंगलौर उर्वरक कारखाने के निर्माण की अवस्था तथा उसकी अनुमानित लागत	Stage of Construction and Estimated cost of Mangalore Fertilizer Factory	26—27
697	एकस्व अधिनियम (पेटेंट एक्ट) का संशोधन	Amendment of Patents Act	27
698	मैसर्स शालीमार टार प्रोडक्टस लिमिटेड कलकत्ता के निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Directors of M/s Shalimar Tar Products Limited, Calcutta . . .	27

तारां० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
699	अहमदाबाद से गांधीनगर तक बड़ी रेलवे लाइन और उसका विद्युतीकरण	Construction and Electrification of Broad Gauge Line from Ahmedabad to Gandhinagar . .	28
700	रेलवे के निर्माण का सामान बेचने के लिये अमरीकी व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा	U. S. Businessmen Delegation's Visit to India for Sale of Railway Hardware . . .	28—29
अतां० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
6650	रेलवे बोर्ड में सेक्सन आफिसर के स्थानापन्न पद पर काम करने वाले सहायकों की वरिष्ठता निश्चित करना	Fixation of Seniority of Assistants who have already officiated as Section Officers in Railway Board . . .	29
6651	दिल्ली पहुंचने वाले कोयले के वैगन	Wagons of Coal Reaching Delhi . . .	29—30
6652	चुनाव व्यय पर निगरानी रखने के लिये निकाय	Body to watch expenses on Elections .	30
6653	कंपनी ला बोर्ड सर्विस के लिये भरती का तरीका	Mode of Recruitment for Company Law Board Service . . .	31
6654	केदार बाग (मदन पार्क और घुनामल पार्क) दिल्ली में विद्युतीकरण कार्य	Electrification work in Kedar Bagh (Madhya Park and Ghunnamal Park) Delhi . .	31
6655	मध्य प्रदेश में चम्बल विद्युत परियोजना	Chambal Power Projects in Madhya Pradesh .	31—32
6656	आसाम के तेल का परिवहन करने के सम्बन्ध में रूस के विशेषज्ञों के विचार	Opinion of Soviet Experts regarding Transportation of Oil from Assam .	32
6657	भारत की तेल आवश्यकताओं के बारे में रूस के विशेषज्ञों के विचार	Views of Soviet Experts regardingg oil needs of India . . .	32—33
6658	अधिक लम्बी सवारी रेल गाड़ियां चलाने सम्बन्धी 15 वर्षीय योजना	15 Year Scheme to introduce longer Passenger Trains . . .	33
6659	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स में लाभ की मात्रा	Profitability in Hindustan Antibiotics Limited .	33—34
6660	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड में प्रबन्ध निदेश की नियुक्ति	Appointment of Managing Director in Hindustan Antibiotics Limited .	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6661	परीक्षाओं के लिये कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को पात्रता	Eligibility of Agricultural Engineering Graduates in taking up other Examination . . .	34—35
6662	नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में मैसूर से प्राप्त अभ्यावेदन	Representations from Mysore on National Water Grid Issue . . .	35
6663	उर्वरक परियोजना की स्थापना करने के लिये भारत और कुवैत के बीच समझौता	Agreement between India and Kuwait for setting up Fertilizer Project .	35—36
6664	बने-बनाये खाने की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान डाइनिंग कारों की पैंटरी कारों से बदलना	Replacement of Existing Dining Cars by Pantry Cars to serve pre-cooked Food . . .	36
6665	संयुक्त क्षेत्र में नाईलोन फिलामेन्ट यार्न बनाने वाली परियोजनाएं	Nylon Filament Yarn Projects in Joint Sectors .	36—37
6666	आसाम में कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी	Paid up Capital of Companies in Assam . . .	37
6667	चौथी पंचवर्षीय योजना यें ईधंन गैस का लक्ष्य	Target for Cooking Gas during Fourth Five Year Plan . . .	37
6668	मैसूर में नई सिंचाई एवं बिजली परियोजनाएं	New Irrigation-cum-power projects in Mysore .	38
6669	औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 का उल्लंघन करने के लिये निर्माताओं और व्यापारियों का चालान	Prosecution launched against Manufacturers and Traders for violating Drugs (Price Control Order, 1970) . .	38—39
6670	मैसर्ज फिज़र लिमिटेड को ट्रैटासाइक्लीन औक्साईटैट्रासाईकलाइन के लिये विस्तार लाइसेंस	Expansion Licence for Tetracycline Oxytetracline granted to M/s Pfizer Limited . .	40—41
6671	निर्यात की गई औषधियां और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा	Drugs exported and Foreign Exchange earned .	41
6672	त्रिवेन्द्रम जिले के लघु उद्योगों में लगे लोगों को माल डिब्बे मिलने संबंधी कठिनाइयां	Difficulty in getting wagons experienced by People of Cottage Industry in Trivandrum District . . .	42
6673	त्रिवेन्द्रम के निकट कडाकवूर रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of an over bridge at Kadakavur Level Crossing near Trivandrum . . .	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6674	उत्तर रेलवे में बिना शेड के प्लेटफार्म	Platforms without sheds on Northern Railway .	43
6675	पूर्वोत्तर रेलवे में बिना शेड के प्लेटफार्म	Platforms without sheds on North Eastern Railway . . .	43
6676	पूर्वी रेलवे में रेलवे सम्पत्ति की चोरी की घटनाए	Incidents of Theft of Railway Property on Eastern Railway . .	43
6677	पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से प्राप्त की गई राशि	Amount realised from Ticketless Passengers on Western Railway	43
6678	टाटा तथा बिड़ला के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उनके और उनके परिवारों के सदस्यों के शेयर	Shares held by Tatas and Birlas and the Members of their Families in Industrial concerns belonging to their Groups .	44
6679	देश के गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in the country . .	44—45
6680	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1971-72 के दौरान वैगनों से कोयले की चोरी	Theft of Coal from Wagons during 1971-72 in Uttar Pradesh, Haryana Rajasthan and West Bengal	45—46
6681	बिहार और मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण के लिये नया मंडल	New Circle for survey of Railway Lines for Bihar and Madhya Pradesh .	46
6682	पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Loco Staff, Ratlam Division (Western Railway) . . .	46—47
6683	अमरीकन फर्म द्वारा एण्टीबायोटिक्स के मूल्यों में गड़बड़ी	Rigging in Prices of Antibiotics by American Firm . . .	47
6684	बिलासपुर डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में वाणिज्यिक निरीक्षकों और सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां	Operation of Posts of Commercial Inspectors and Asstt. Commercial Inspectors in Bilaspur Division (South Eastern Railway) . . .	47—48
6685	यात्रा नकदी सेफ में स्टेशनों पर हुई आय की सुरक्षा	Safety of Stations earnings in Travelling Cash Safes	48
6686	रोहतक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नम्बर 2 और 3 पर शेड का विस्तार तथा पैदल पुल को ऊपर से ढकना	Shed over Platform No. 2 and 3 and covering of Foot over-bridge at Rohtak Railway Station .	48—49

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6687	रोहतक में 369 अप रेलगाड़ी का समय पर पहुंचना	Punctuality of 369 UP Train at Rohtak .	49
6688	सांपला स्टेशन में बुकिंग आफिस के देर से खुलने तथा मासिक पास देने से इंकार करने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Late Opening of Booking Office and Refusal to issue Monthly Tickets at Sampla Station . .	49—50
6690	रेलवे यात्रियों के लिये बीमा योजना	Insurance Scheme for the Users of Railways. .	50
6691	बच्चों के लिये रेलगाड़ी	Children's Train . .	50
6692	कर्मचारी रहित रेलवे फाटक	Unmanned Level Crossings	50—51
6693	डिब्रुगढ़ में रेलवे वर्कशाप तथा रेलवे अस्पताल का विकास	Development of Railway Workshop and Railway Hospital at Dibrugarh .	51
6694	उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के गांव का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Agra, U.P. . .	51—52
6695	उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Jhansi District, U.P. .	52—53
6696	गुरदासपुर के गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Gurdaspur . .	53
6697	आगरा में वाह्य विकास खंड और जैतपुर विकास खंड में हरिजन गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Villages in Bah Development Block and Jaitpur Development Block in Agra . . .	54
6698	लद्दाख में कच्चे माल की खोज के लिये सर्वेक्षण	Survey in Ladakh for Exploration of Raw Material	54
6699	उत्तर रेलवे मुख्यालय के टी० आर० ए० और कोचिंग सैक्शन (औपरेटिंग) से स्टाफ का स्थानान्तरण	Transfer of Staff from TRA and Coaching Section (OPTG) of Headquarters (Northern Railway) .	55
6700	भारतीय रेलवे संहिता का उल्लंघन करने के बारे में अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन से प्रतिवेदन	Representation from All-India Railway Commercial Clerks Association regarding Violation of India Railway code .	55
6701	मिट्टी के तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना	Attaining Self Sufficiency in Kerosene Oil . .	56
6702	पांचवी योजना के दौरान नई रेलवे लाइन की किलोमीटरों में लम्बाई	Kilometreage of New Railway Lines during Fifth Five Year Plan . .	56

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PBGES
6703	नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Nangal Fertilizer Plant . .	56—57
6704	जापान के सहयोग से पांच उर्वरक कारखानों की स्थापन्न में विलम्ब	Delay in Setting up of Five Fertilizer Plants in Collaboration with Japan . . .	57
6705	चिक्काहोल बांध (मैसूर) के टूटने के बारे में जांच	Enquiry into Bursting of Chikkahole Dam (Mysore)	57
6706	पेनानगुजी रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Penanguzhi Railway Station .	57—58
6707	वर्ष 1957–58 के बाद बने बांधों का ढह जाना	Collapse of or Damage to Dams constructed after 1957-58 . . .	58
6708	रेलगाड़ी के साथ चलने वाले संगचल अमले के लिये लाइन पर विश्राम यान तथा चालक यान	Rest Vans and Crew Vans for Use of Running Staff on Line . .	59
6709	मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने का निर्माण करने में अन्य देशों से सहयोग	Co-operation from other Countries in Construction of Mathura Refinery	59
6710	कानपुर और लखनऊ के बीच रेलवे टिकट घोटाला	Railway Ticker Racket between Kanpur and Lucknow . . .	60
6711	भारतीय रेलवे में लेखा अधिकारियों के कार्यों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की टिप्पणियां	A. R. C's Comments on Functioning of Accounts Officers on Indian Railway	60—61
5712	रीवा आऊट एजेंसी का बन्द होना	Closure of Rewa Out Agency . . .	61—62
6713	भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध का निर्माण	Construction of Meja Dam in Bhilwara District .	62
6714	पश्चिम रेलवे में ट्रेन लाइटिंग एस्कोर्टस को हटाना	Discountinuance of Train Lighting of Escorts on Western Railways .	62
6715	पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर समाचार-पत्रों के खेपों पर कम शुल्क लेना	Undercharges on Consignments of Newspapers on Stations of Western Railway . . .	63—65

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6716	घटिया विदेशी तथा भारतीय ठेकेदारों को ठेके देने से दुर्गापुर और बरौनी परियोजनाओं के चालू होने में विलम्ब	Delay in commissioning of Durgapur and Barauni Projects due to contracts granted to inferior Foreign and Indian Contractors . . .	65
6717	भारत और अमरीका के व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध	Trade and Economic relations between India and USA . . .	65—66
6718	राज्यों में विधान परिषदों का पुन: बनाया जाना	Reviving Legislative Councils in States . .	66
6719	गुजरात में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कारण बन्द की जाने वाली शाखा लाइनें	Branch Lines to be discountinued in Gujarat on Conversion of Metre Gauge into Broad Gauge . . .	66—67
6720	लोक सभा के सदस्यो की संख्या में वृद्धि	Increase in the Number of Members of Lok Sabha.	67
6721	श्री जी० डी० मोरारका द्वारा कम्पनियों के धन और सम्पत्ति हथियाने संबंधी शिकायतें	Complaints against Shri Gokaidas D. Morarka for Misappropriation of Funds and Properties of Companies . . .	67—68
6722	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कम्पनी जरनल डी जीओफिजिक्स आफ फ्रांस को दिया गया ठेका	Contract given to Companie General De Geophysics of France by O & NGC . . .	68
6723	संशलिष्ट रेशों का विस्तार कार्यक्रम	Expansion of Synthetic Fibres . . .	69
6724	राजनीतिक दलों के निर्वाचन व्यय की सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय	Decision by Government to bear Election Expenses incurred by Political Parties . . .	69
6725	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोयले की मासिक मांग	Monthly Coal requirement of Madhya Pradesh, U.P. and Delhi . . .	69—70
6726	जनता एक्सप्रैस गाड़ियां अधिक संख्या में चलाना	Introduction of more Janta Express Trains . .	70
6727	स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के पदों का समर्पित किया जाना	Surrendering of Posts of Station Masters and Assistant Station Masters	70—71
6728	थीन बांध परियोजना	Thien Dam Project . .	72

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6729	मोदासा कपाड़ गंज रेल सम्पर्क के बारे में गुजरात के सबरकंठा जिले से ज्ञापन	Memorandum from Sabarkantha District of Gujarat for Modasa Kapadganj Railway Connection	72
6730	उत्तर रेलवे के आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, दिल्ली डिवीजन द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by All India Loco running Staff Association, Delhi Division (Northern Railway)	72—73
6731	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की शिकायतों के बारे में शिवशंकर समिति की सिफारिशें लागू करने में विलम्ब	Delay in Implementation of Recommendation of Sivasankar Committee on Grievances of DESU Engineers . . .	73
6732	"ओन योअर ओन कटेंनर्स सर्विस" की लोकप्रियता के बारे में की गई प्रगति	Progress made regarding Popularity of "Own Your Own Container Service"	73—74
6733	मोदीनगर और मुरादनगर के बीच चलती गाड़ियों पर महिला यात्रियों से दुर्व्यवहार	Misbehaviour with Lady Passengers on running trains between Modi Nagar and Murad Nagar	74
6734	भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of FCI.	74
6735	रेलवे पंजीकृत संघों/संगठनों के पदाधिकारियों को सुविधायें	Facilities to Office bearers of registered Associations Organisations of Railways . . .	75—76
6736	विदेशी प्रभुत्व वाली भैषज फर्मों के कार्य का अध्ययन करने के लिये अधिकारियों के एक कार्यकारी दल की नियुक्ति	Appointments of Working Group of Officers to Study the Working of Foreign dominated Drug Firms . . .	76—77
6737	औषध योजना का तैयार करना	Formulation of Drugs Plan	77
6738	ईस्टन रेलवे कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, कलकत्ता के शाखा कार्यालयों को खोलना	Opening of Branch Offices of Eastern Railway Cooperative Bank Limited Calcutta . . .	78
6739	प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी द्वारा शोधित किया गया तेल	Quantity of Oil Refined by each Foreign Oil Companies . . .	78—79
6740	मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Irrigation Projects Mysore . .	79—80

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6741	रेलवे में खतरे की जंजीर लगाने की प्रथा को समाप्त करना	Discontinuance of system of Alarm Chains on Railways . . .	80
6742	पोद्दानूर स्थित सिगनल तथा दूर संचार स्कूल (दक्षिण रेलवे) के प्रशिक्षणार्थियों से लिया गया किराया	Rent Charged from Trainees of Signal and Telecommunication School, Podanur, Southern Railway . . .	81
6743	खण्डीय रेलों की सभी डिवीजनों में रु० 175—240 के ग्रेड वाले एम० एस० एम० के पद	Posts of MSM Grade Rs. 175—240 on All Divisions of Zonal Railways	81
6744	निर्धनों को कानूनी सहायता विधेयक विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Export Committee on the Legal aid to Poor . . .	82
6745	भूतपूर्व हावड़ा आम्टा और हावड़ा शीखला लाइट रेलवे के कर्मचारियों को खपाना	Absorption of staff of former Howrah-Amta and Howarh Sheakhala Light Railways . . .	82
6746	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिविजन के गार्डों से अभ्यावेदन	Representation from Guards, Delhi Division (Northern Railway) . .	83
6747	बिजली की कमी से प्रभावित सरकारी क्षेत्र के कारखाने	Power Shortage hits Public Sector Units . .	83
6748	कोयले की कमी के कारण तापीय संयंत्रों का बन्द होना	Closure of Thermal Plants due to Shortage of Coal	84
6749	विजयवाड़ा आन्ध्र प्रदेश में तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Thermal Generating Station at Vijayawada in Andhra Pradesh . . .	84—85
6750	आंध्र प्रदेश में लोअर सिलेरु विद्युत परियोजना की सहायता	Assistance to Lower Sileru Power Project in Andhra Pradesh . . .	85
6751	श्री सैलम पन बिजली परियोजना को पूरा करना	Execution of Sri Sailam Hydro Electric Generation Project . .	85
6752	आंध्र प्रदेश की नागर्जुन बिजली परियोजना के लिये उपकरणों का आयात	Import of Equipment for Nagarjuna Sagar Power Project in Andhra Pradesh . . .	86
6753	साबरमती गांधी नगर रेल लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Sabarmati Gandhinagar Railway Line . . .	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6754	रेल गाड़ियों में पानी बिजली तथा सफाई की कमी सम्बन्धी शिकायतें	Complaints regarding Lack of Water, Electricity and Cleanliness in Trains	86—87
6755	सड़क और रेलवे यातायात की प्रतियोगिता के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railways due to Competition between Road and Railway Traffic . . .	87
6756	बड़ाचक्का वेसिन जल निकासी योजना (पश्चिम बंगाल) का कार्यान्वयन	Implementation of Barachanka Basin Drainage Scheme (West Bengal)	88
6757	बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क पुन: बनाने के लिये बातचीत	Negotiation about resumption Railway Communications with Bangladesh	88—89
6758	मद्रास के लिये परिवहन प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन की रिपोर्ट	Report of Study of Transit System for Madras	89
6759	हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Setting up of Petro-Chemical complex at Haldia	89
6760	शादी के लिये न्यूनतम आयु बढ़ाना	Raising of Minimum Age of Marriage . .	89—90
6761	पांचवीं योजना में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य	Target of Fertilizers Production during Fifth Plan . . .	90
6762	आप्टा से मंगलौर तक वेस्ट कोस्ट रेलवे की विस्तृत लागत	Detailed Cost of West Coast Railway from Apta to Mangalore .	90
6763	हड़तालों को अवैध घोषित करना	Declaration of Strikes as Illegal	91
6764	अन्तर्सम्बद्ध कम्पनियां	Inter Connected Companies	91—92
6765	गत तीन वर्षों में रेलवे में हुए अपराध	Crimes on Railways during last three years . .	92—94
6766	कृषनगर से बरहामपुर तक बरास्ता करीमपुर (पूर्वी रेलवे) नयी बड़ी रेलवे लाइन	New Broad Gauge Track from Krishnagore to Berhampur via Karimpur (Eastern Railway)	94—95
6767	पी० डब्ल्यू० आई० खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के गैंगमैनों के लिये प्राधिकृत वेतनक्रम	Authorised Scales of Pay or for Gangmen Under PWI Khurda Road Division (South Eastern Railway)	95
6768	45 अप हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रैस में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं	Cases of Alarm Chain Pulling in 45 Up Howrah-Hyderabad Express .	95

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6769	यूनिट रेटिंग के पावर जनरेटिंग सेट लगाना	Installation of Power Generating sets of Unit Ratings	95—96
6770	दिल्ली के पास रेलमार्गों को दुहरा करने का काम 1973–74 में पूरा करना	Completion of doubling of Railways tracks near Delhi During 1973-74 .	96
6771	विदेशी सहयोग से खनिज तेल की खोज	Exploration of mineral oil with foreign collaboration . . .	96—97
6772	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा विदेश भेजा गया प्रतिनिधिमंडल	Delegation sent abroad by Ministry of Irrigation and Power . . .	97
6773	वर्ष 1972 में आयात की गई औषधियां तथा इस दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना	Drugs imported during 1972 and achievement of self sufficiency in this field	97
6774	औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of increase in drug prices . .	97—98
6775	जोनवार बिना खतरे की जंजीर की गाड़ियां	Trains without Alarm Chains, Zonewise . .	98
6776	आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी परामर्शदात्री सेवाओं का विश्वव्यापी स्तर पर स्थापित करने का प्रयास	Bid for consultancy services in Laying Pipelines on Global Scale by Oil India Ltd. . . .	98—99
6777	केरल में एक नये ब्रोड गेज शैड की स्थापना	Setting up of new Broad Gauge Shed for Kerala	99
6778	सिंचाई सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता हेतु मध्य प्रदेश की योजना	Madhya Pradesh Scheme regarding Financial Assistance for Irrigational Facilities . .	99
6779	न्यू कूच बिहार से गोलक गंज तक न्यू मैनागुरी से सितई तक (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक रेलवे लाइन	Railways line from New Cooch Behar to Golakganj and New Mainaguri to Sitai (Northeast Frontier Railway) . .	100
6780	न्यू कूच बिहार से कलकत्ता के लिये प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के आरक्षण में वृद्धि	Increase in reservation of Ist and IIIrd Class for Calcutta Station from New Cooch Behar .	100

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6781	हरथाला के निकट रेलगाड़ी और ट्रक की टक्कर	Collision of Train and Truck near Harthala .	100—101
6782	दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिये बुक की गई वस्तुओं को वास्तविक तोल से कम दिखाने सम्बन्धी जांच	Investigation into consignments booked Underweight from Delhi Station to Howrah by Parcel Staff, Delhi Station .	101
6783	राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना के सर्वेक्षण पर पूंजी निवेश	Investment on survey of National Water Grid Scheme . .	102
6784	गोदावरी जल विवाद	Godavari Water Dispute	102
6785	व्यापारियों और उद्योगपतियों के परामर्श से बाक्स वैगनों में छत लगाना	Roofing of Box Wagons in consultation with Traders and Industrialists .	102—103
6786	174 रुपया प्रति फैन की दर से कैरेज फैन के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal for Manufacture of Carriage Fans at Rs. 174 each . . .	103
6787	रतलाम डिवीजन में कर्मचारियों की गड़बड़ के कारण बम्बई से और बम्बई को जानेवाली रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains from and to Bombay owing to staff Trouble on Ratlam Division . .	103—104
6788	कोसी गंडक और अन्य नदी परियोजनाओं का केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Kosi, Gandak and other River Projects . . .	104
6789	कटिहार स्थित विभागीय खानपान एकक को हुई हानि	Loss incurred by the Departmental Catering at Katihar .	104
6790	पूर्वोत्तर रेलवे में कटिहार जोगबनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Katihar-Jogbani Line into Broad Gauge (North East Frontier Railway)	105
6791	डोंक नदी के रेलवे पुल के खम्बों को बिहार राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंपना	Handing over of Pillars of Railway Bridge over River Donk to P.W.D. of Bihar State	105
6792	कोसी नहर क्षेत्र में छोटे तथा सीमान्त किसानों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Small and Marginal Farmers in Kosi Canal Area	105

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6793	मुख्य संचालन केन्द्रों के लिये सूक्ष्म तंरग संचार प्रणाली	Microwave Communication System for Major Operational Centres	106
6794	खनलमपुरा के गार्डों को दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे में बुकिंग क्लर्कों के रुप में पदावनति	Reversion of Guards of Khanalampura as Booking Clerks, Delhi Division (Northern Railway)	106—107
6795	तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee to find out the difficulties to Third Class Passengers	107
6796	राजस्थान में लाइट डीजल आयल की कमी	Shortage of Light Diesel oil in Rajasthan	107—108
6797	राजस्थान नहर में मिट्टी का जमा होना	Silting in Rajasthan Canal	108—109
6798	पश्चिम रेलवे में चालू अवस्था के वैगनों की संख्या	Number of Wagons in Working Order on Western Railway	109—110
6799	सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली स्टेशन को ले जाये जाने वाले कैश वक्स में धन का कम पाया जाना	Money found short in Cash Box Being taken to Sabzimandi Railway Station from Old Delhi Station . . .	110
6800	सीधी भर्ती से नियुक्त और रेन्कर ए० पी० डब्ल्यू आई की वरिष्ठता	Seniority of directly recruited Ranker APWIs (Northern Railway)	111
6801	सिगनल तथा दूर संचार विभाग (पूर्वोत्तर रेलवे) के फालतू कर्मचारियों को काम पर लगाना	Absorption of Surplus Staff of S&T Department (North Eastern Railway)	111—112
6802	तापीय बिजली घरों का खराब रख रखाव	Poor upkeep of Thermal Plants . . .	112
6803	मनीपुर की नदियों के लिये बाढ़ नियंत्रण जल पूर्ति और पन-बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी योजनाएं	Schemes for Manipur Rivers as Flood Control, Water supply and Hydro Electric Projects . .	112
6804	रेल पर्यन्त (रेल हेड) की मनीपुर के जीरीबम सब-डिवीजन तक बढ़ाना	Extension of Railhead to Jiribam Division of Manipur . . .	113
6805	मनीपुर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस के लिये सर्वेक्षण	Survey in Manipur for Petroleum and Natural Gas . .	113

अ ता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6806	आन्ध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर परियोजना को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Nagarjuna Sagar Project in Andhra Pradesh . .	113—114
6807	देश के समस्त तहसील केन्द्रों में किसानों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Farmers in all Tehsil Centres . . .	114
6808	राजस्थान में माल डिब्बों में लदान समय पर न करने के कारण जुर्माने की अदायगी	Payment of Demurrage for Failure to Complete loading of Wagons in Rajasthan . . .	114—115
6809	रिंगस, श्याम खाटूदाता रामगढ़ होकर जयपुर से दिल्ली तक नई रेलवे लाईन	New Railway lines from Jaipur Delhi via Reengus, Shyam, Khatu Data Ramgarh . . .	115
6810	मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Booking Clerk Meerut City Station . . .	115
6811	खतरे की जंजीर हटा दिये जाने के कारण रेलगाड़ियों में असुरक्षा	Insecurity in Trains due to Removal of Alarm Chains	115—116
6812	आरम्भिक स्टेशन को छोड़ कर अन्य किसी स्टेशन से मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षण के बारें में जनता को होने वाली कठिनाइयां	Hardships caused to People in Reservation of Seats in Mail/Express Trains from Stations other than Starting points . .	116
6813	कोयलकारों पनबिजली परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report of Koelkaro Hydel Project . . .	116
6814	हल्दिया तेल शोधक कारखाने में निर्माण और यंत्र आदि लगाने के काम के लिये ठेका दिया जाना	Contract for Civil and Fabrication work given in Haldia Refinery . .	117
6815	गत तीन वर्षों में मशीनी तेलों का आयात	Import of Lubricating Oil during last three years	117—118
6816	राजधानी ऐक्सप्रेस रेलगाड़ियो के स्थान पर तीसरे दर्जे के डिब्बों सहित जनता एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां चलाना	Replacement of Rajdhani Express Trains with Third Class Coaches like Janta Express . .	118
6817	पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक कैमिस्टों को प्रयोगशाला अधीक्षक के रुप में पदोन्नत किया जाना	Promotion of Assistant Chemists as Laboratory Superintendent on North Eastern Railway .	118—119

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6818	गंगा के कटाव से फरक्का जांच के संरक्षण के बारे में पश्चिमी बंगाल का प्रस्ताव	West Bengal's proposal regarding protection of Farakka Barrage from Erosion of Ganges .	119
6819	सोनारपुर (पश्चिम बंगाल) में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बोदरा केन्द्र में ड्रिलिंग	Drilling in Bodra Centre of or NGC at Sonarpur (W.B.)	119—120
6820	दक्षिण रेलवे में कम वेतन पाने वाले वायरलैस ओपरेटर	Wireless Operators drawing less pay on Southern Railway . . .	120
6821	दक्षिण रेलवे के टेलीग्राफ ट्रैफ़िक के निरीक्षकों का सामयिक स्थानान्तरण	Periodical transfers of Inspectors of Telegraph Traffic (Southern Railway) . . .	120
6822	अन्तर्राज्यीय सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के स्थान	Location of Inter State Irrigation and Power Projects . . .	121—122
6823	भारत और पोलैण्ड के बीच औषध पैट्रोल रसयान और उर्वरक के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures in the Field of Drugs, Petro-Chemicals and Fertilizers between India and Poland	122
6824	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ	Rural Electrification Schemes in Madhya Pradesh . . .	123
6825	लोअर दामोदर घाटी में बाढ़ से तबाही	Flood Devastation in Lower Damodar Region .	123—124
6826	रेलवे में संरक्षित कर्मचारी	Protected Workmen on Railways . . .	124
6827	कर्मचारियों के सामयिक तबादलों के बारे में निदेश	Directive about periodical Transfer of Staff .	124—125
6828	टिकट ट्यूबों से गुम हुई टिकटों की जिम्मेदारी नियत करने के लिये प्रक्रिया	Procedure to fix responsibility in the event of loss of Tickets from Ticket Tubes . . .	125
6829	मुहरबन्द माल डिब्बों (पूर्व रेलवे) में पाई गई कमियों के लिये मुगलसराय के गुड्स क्लर्कों से वसूली	Recovery from Goods Clerks of Mughalsarai for Shortages Noticed from Sealed Goods Vans (Eastern Railways) . . .	125—127
6830	"मैनेजर्स आफ दि रेलवेज आन दि वार पथ'	"Managers of Railways on the War Path" . .	127

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6831	ताप बिजली घर को पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाया जाना	Shifting of Thermal Power Project from West Bengal to Bihar . .	127—128
6832	लेखा विभाग में छुट्टी रिक्ति में क्लर्क ग्रेड एक के पद पर पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade I against Leave vacancies in Accounts Department	128
6833	फुलरा सोजात रोड के बीच इंजन चालकों के काम के घंटे	Duty Hours of Engine Crews working Ex-Phulra Sojat Road . .	128
6834	लेखा विभाग (पश्चिम रेलवे) में क्लर्क ग्रेड एक के पद पर पदोन्नतियां के मामलों को पुन : खोलना	Reopening of Cases of Promotion to Post of Clerk Grade I, Accounts Department (Western Railway) . . .	129
6835	पश्चिम रेलवे की अजमेर डिवीजन में डिवीजन चालकों द्वारा गाड़ियों को डिवीजन प्रणाली पर चलाना	Divisional System Working of Trains by Divisional Crews Ajmer Division (Western Railway) .	130
6836	जियाजी राव काटन मिल्स लिमिटेड ग्वालियर के कार्यकरण की जांच	Enquiry into Affairs of Jiyaje Rao Cotton Mills Ltd. Gwalior . .	130
6837	केरल में कल्लाड सिंचाई परियोजना का निष्पादन	Execution of Kallada Irrigation Projects in Kerala	131
6838	क्षेत्रीय रेलों से लिये गये लेखापालों को रेलवे बोर्ड के कार्यालय में रखा जाना	Retention of Accountants in Railway Board's Office Drafted from Zonal Railways	131
6839	पूर्वोत्तर रेलवे में भटनी वाराणासी तथा बाराबंकी समस्तीपुर मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज लाइनों में बदला जाना	Conversion of Metre Gauge Bhatni Varanasi and Barabanki Samostipur Lines into Broad Gauge (North Eastern Railway)	132
6840	मुआवजे और दावों के बारे में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 582, 584 तथा 593 को क्रियान्वित	Implementation of Recommendations Nos. 582, 584 and 593 of Expert Committee Report on Compensation and Claims . . .	132—133
6841	रितांग रेलवे स्टेशन पर सम्पर्क सड़क तथा ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of Link Road and Over Bridge at Retang Railway Station	133
6842	उड़ीसा में निर्धनों को कानूनी सहायता	Legal Aid to the Poor in Orissa	133—134

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6843	रेलवे समय सारणी के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों के बीच अन्तर	Difference between Hindi and English versions of Railway Time Table	134
6844	मेसर्स आटोमोवाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड बम्बई और मारुति एण्ड कम्पनी में सम्बन्ध	Links between Chairman of M/s Automobile products of India Limited Bombay and Maruti and Company . . .	134—136
6845	संगणकों के रख रखाव तथा प्रयोग पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on the maintenance and use of computers. .	136—137
6846	समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टड उपक्रमों के रजिस्ट्रेशन को समाप्त करना	Deregistration of Undertakings registered under Companies Act . .	138
6847	भारतीय उर्वरक निगम में पूर्णकालिक चैयरमैन की नियुक्ति	Appointment of Full Time Chairman in FCI .	138
6848	नंगल में भारी पानी संयंत्र का बन्द किया जाना	Scrapping of Heavy Water Plant at Nangal . .	139
6849	तुगलकाबाद उत्तर रेलवे में पैदल ऊपरि पुल का निर्माण	Construction of Foot over-Bridge at Tughlkabad (Northern Railway) .	139
	अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
	आन्ध्र प्रदेश में बिजली उत्पादन का संकट	Crisis in Production of Power in Andhra Pradesh . . .	139—140
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना कोयले की सप्लाई में भारी कमी और उसके परिणामस्वरुप उत्तर रेलवे की रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने का समाचार	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—Reported serious shortage of coal resulting in cancellation of trains on Northern Railway .	140—145
	गुजरात में विद्युतचालित करघा उद्योग में संकट के बारे में	Re. crises in powerloom Industry in Gujarat	145—146
	सभा पटलपर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	146—147

अ० ता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रावक्कलन समिति ।	Estimates Committee	
छत्तीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारंश	Thirty-sixth Report and Minutes . .	147
पटना के निकट विमान-दुर्घटना के बारे में	Re. Plane crash near Patna	148
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के बारे में	Re. Strike by Employees of Reserve Bank of India	148
अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करने के तरीके के बारे में ।	Re. Mode of Addressing the Speaker. . .	148—149
अनुदानों की मांगे—1973-74	Demands for Grants, 1973-74	
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय	Ministry of Irrigation and Power. . . .	
श्री लीलाधर कटक	Shri Liladhar Kotoki	149—150
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K.M. Madhukar	150—151
श्री गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya. .	152
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	152—154
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	154—155
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade .	155—156
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	156—157
डा० कैलास	Dr. Kailas .	157—158
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	158
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R.S. Pandey .	158—159
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	159—160
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	160
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabhadur Singh	160—161
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy.	161
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	Shri R.V. Swaminathan	162
श्री पी० वेंकटा सुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	162—164
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	164—166
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	166—167
श्री के० चिक्कालिंगया	Shri K. Chikkalingaiah	167—168
श्री माधुर्य्य हालदर	Shri Madhuryya Haldar	168
डा० हरि प्रसाद शर्मा	Dr. H.P. Sharma .	169—170
श्री नाथू राम आहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	170—171
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	171

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 10 अप्रैल, 1973/20 चैत्र 1895 (शक)

Tuesday, April 10, 1973, Chaitra 20, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरिंग एसोसिएशन का ज्ञापन

†

*681. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने वर्ष 1972 के दौरान की गयी इंजीनियरों की अनियमित भरती के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) ।

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इंजीनियर-संघ ने निम्नलिखित आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है:—

(1) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबंध मंडल ने अप्रैल, 1972 में दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ सहायक अभियंता के लिये नियुक्ति-प्राधिकारी है, से प्राधिकार प्राप्त किये बिना 30 अभियंता, सहायक-अभियंता के रूप मे नियुक्त किये ;

(2) रु० 325--900 का वेतनमान, जिसमें वे नियुक्त किये गए, विद्यमान नहीं हैं ;

(3) ये पद विज्ञापित नहीं किये गये थे और भर्ती के लिये कोई योग्यतायें निर्धारित नहीं की गई थीं; और

(4) यह भी उल्लेख किया गया था कि दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति ने 6-6-1972 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें समिति ने यह निश्चय किया था कि रू० 325--900 के वेतनमान में की गई सहायक अभियंता की नियुक्तियां तुरन्त रद्द कर दी जायें।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबंधक ने, जिससे रिपोर्ट मांगी गई थी, यह सूचित किया है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सहायक अभियंता के ग्रेड में 28 रिक्त पदों को भरने के लिये 26-5-1970 को संघ लोक सेवा आयोग को लिखा था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित प्रत्याशियों में से केवल 20 ने पद भार ग्रहण किया। इस बीच कुछ और स्थान रिक्त हो गये और 24 पदों के लिए प्रत्याशी अनुशासित करने के लिये 4-4-1972 को संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया। संघ लोक सेवा आयोग ने 14-4-1972 को संशोधित फर्म में मांग भेजने के लिये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को लिखा और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 3-7-1972 को ऐसा कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने 28-10-1972 को पद विज्ञापित कर दिये थे और इनके लिये साक्षात्कार शीघ्र किये जाने की संभावना है।

इसी बीच, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबंधक ने कार्य के हित में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियां करने तक, रू० 325---900 के ग्रेड में (रु० 350--900 के वेतन मान की रिक्तियों के स्थान पर) तदर्थ आधार पर सहायक अभियंता के 29 पद भर लिये।

चूंकि यह मामला पूर्णत: दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के क्षेत्राधिकार में है, जो कि दिल्ली नगर निगम का एक अंग है, हम उस संस्था से मामले की जांच-पड़ताल करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कह रहे हैं।

श्री राम भगत पा..वान : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबंधकों ने संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति के बिना सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति की और संघ लोक सेवा आयोग को धोखा देने के उद्देश्य से इन इंजीनियरों के वेतनमान 350 रुपये से घटाकर 325 रुपये कर दिये थे और क्या यह भी सच नहीं है कि इन इंजीनियरों की नियुक्ति तब की गई थी जब उक्त वेतनमान म ऐसा कोई पद नहीं बनाया गया था। यदि यह सच है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस त्रुटि के सम्बन्ध में कोई जांच क्यों नहीं की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : उक्त नियुक्ति जनरल मैनेजर ने पूर्णतया तदर्थ आधार पर की है। वे संघ लोक सेवा आयोग को धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया था और आवेदन पत्र उनके विचाराधीन है। संघ लोक सेवा आयोग पहले ही उक्त पदों के लिये विज्ञापन दे चुका है और इन पदों के लिये शीघ्र ही इंटरव्यू होने वाले हैं। यदि चुने गये उम्मीदवारों में वर्तमान व्यक्ति का नाम नहीं होगा, तो स्वभावतया वर्तमान पदासीन व्यक्तियों को अपने पद छोड़ने पड़ेंगे और नये व्यक्तियों की उक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति से है और मैंने उसे पत्र लिखा है कि वह इस सम्बन्ध में यथोचित जांच करें।

श्री राम भगत पासवान : क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में सहायक इंजीनियर अभी भी अस्थायी हैं और उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई है और यदि हां, तो उनमें फैले असंतोष को दूर करने के लिये इन इंजीनियरों को कब तक स्थायी किया जायेगा ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में शिवशंकर समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

डा० के० एल० राव : अस्थायी नियुक्ति करने का दायित्व दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति का है। वह जितने पदों को स्थायी बनाने की स्वीकृति देगी, उतने पदों को स्थायी बनाया जायेगा। अतः यह पूर्णतया उसकी इच्छा पर और बिजली की वर्तमान तथा भविष्य की क्षमता पर निर्भर करता है ।

जहां तक शिवशंकर समिति के प्रतिवेदन का प्रश्न है, प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत किया गया है और मैंने प्रतिवेदन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को यथोचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है क्योंकि इसको क्रियान्वित करने का पूर्ण दायित्व दिल्ली विद्युत प्रदाय निगम पर है। हम इस सम्बन्ध में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते जब तक इस मामले में कोई अन्याय किया गया हो और इसकी विशेषतौर पर हमें सूचना दी गई है।

श्री ए० पी० शर्मा : उन इंजीनियरों का क्या बना जिन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है ? क्या उन्हें स्थायी बनाया जायेगा अथवा उनके मामले पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव किये जाने तक हमेशा ही नियुक्तियां इसी प्रकार से की जाती हैं। वे संघ लोक सेवा आयोग के सामने पेश होते हैं और यदि उनका चुनाव हो जाता है, तो उनकी नियुक्ति कर ली जाती है, अन्यथा उन्हें पद से हटा दिया जाता है ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : जैसा कि माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है सब नियुतिक्यां तदर्थ आधार पर की जातीं हैं। नियमित पदधारी को पद पर नियुक्त करने में कितना समय लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का विवरण में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

डा० के० एल० राव : उन्होंने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिये बुलाया है। वे किसी भी समय आ सकते हैं। अब दुर्भाग्य से संघ लोक सेवा आयोग ने इस बारे में अधिक समय लिया है। प्रथम चार व्यक्तियों के चुनाव में संघ लोक सेवा आयोग ने चार वर्ष का समय लिया है और वह एक वर्ष का और समय लेगा। अतः जैसे ही व्यक्तियों का चुनाव होगा, वह पद पर नियुक्त हो जायेंगे, लोगों को अन्य आधार पर नियुक्त करने के लिये कोई समय सीमा नहीं है ।

बरौनी तापीय बिजली घर के कोयला-चूर्ण कोष्ठ (कोल डस्ट बंकर) में विस्फोट

*684 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1973 को बरौनी तापीय बिजली घर के कोला चूर्ण कोष्ठ में विस्फोट हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरुप कितने लोग हताहत हुए ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : 13 मार्च, 1973 को एक अतितापक नलिका (सुपर-हीटर ट्यूब) में क्षरण होने के कारण बरोनी के एक 50 मैगावाट सेट को बंद करना पड़ा ।

लगभग डेढ़ घंटा बाद, वायु-पूर्वतापक (एअर-प्रीहीटर) और संयोजक नलिकाओं में आग का पता लगा । यह तेजी से प्रचंड हो गयी और इसके परिणामस्वरूप विस्फोट हुआ । पता चला कि आग, वायु-पूर्वतापक नलिकाओं (एअर प्री-हीटर ट्यूब्ज) पर जमा कालिख के जलने के कारण भड़क गई थी । आग की प्रचंडता के कारण हापर के कुछ भाग पिघल गये और पिघले द्रव्य के पृथ्वी पर गिरने से आस-पास खड़े लोगों को चोटें आयीं ।

47 व्यक्तियों की ताप-विद्युत केन्द्र के हस्पाताल में प्राथमिक चिकित्सा की गई । 12 व्यक्तियों को मोकामेह के हस्पताल में भेज दिया गया । इनमें से तीन को तत्काल और सात को अगले दिन हस्पताल से खारिज कर दिया गया । शेष दो व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से ऊंचे मंच पर खड़े थे, जमीन पर कूद गये और उनकी हड्डियां टूट गई तथा हस्पताल में उनकी चिकित्सा की जा रही है ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : It has been stated in the Statement that this explosion occurred due to leakage in one of the superheater tubes. I want to know whether that explosion was occurred due to not taking proper care of the coal dust ? It is not clear in the Statement. Therefore, it is not decided how that explosion took place ? In case it occurred due to carelessness of some persons, I want to know the persons responsible for it and what action has been taken in this regard ?

सिंचाई और विश्रुत मंत्री (डा० के० एल० राव) : इस मामले में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी क्योंकि मामला समिति में विचाराधीन है । अतः मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन इस विशेष मामले में सुपरहीटर ट्यूब में लीकेज था और इसके कारण बायलर बन्द कर दिया गया । इसके ड़ेढ घंटे बाद ही एयर प्रीहीटर में विस्फोट हुआ सुपर हीटर ट्यूब में नहीं । लेकिन एक और प्रीहीटर अनेक ट्यूवों में कामकर रहा है जहां बायलर में जाने से पूर्व हवा को गर्म किया जाता है । हीटर में विस्फोट होने के कारणों की जांच की जा रही है ।

मेरे कुछ कहने का जांच कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं इस बारे में अब कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I want to know whether that investigating Committee has been appointed by the Centre or by the Bihar Government ? I want to know the names of its members and the time when the above Committee is likely to submit its report. I also want to know whether the Committee has been asked to submit its report within a specified period ?

डा० के० एल० राव : उक्त समिति की स्थापना बिहार सरकार द्वारा की गई है और इसके सदस्य दामोदर घाटी परियोजना के भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर और दामोदर घाटी परियोजना के वर्तमान मुख्य और अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर और ईंधन विशेषज्ञ हैं। इन तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गई है। आशा है कि समिति अपना प्रतिवेदन एक अथवा दो महीने में प्रस्तुत कर देगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस मामले में कुल कितनी वित्तीय हानि हुई ? 12 मार्च, 1973 को घटी घटना के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

डा० के० एल० राव : कुल लगभग 20 लाख रुपये की हानि हुई। इसके मरम्मत कार्य पर लगभग तीन महीने लगेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या घायल व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया था ? क्या आप इस बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं ?

डा० के० एल० राव : घायल व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। लेकिन उन्हें श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा दिया जायेगा।

Holding of Elections to the vacant Seats in the Legislative Assembly of Madhya Pradesh

***686. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Law, Justice and Company affairs** be pleased to state :

(a) Whether elections were to be held this year for the vacant Legislative Assembly Seats from Mhow and Jaragaon District Bilaspur constituencies of Madhya Pradesh ;

(b) whether the dates of elections were also announced in both the said constituencies ; and

(c) if so, the reasons for not conducting elections on the dates so announced ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) मध्य प्रदेश विधान सभा में 250-मऊ और 96-जरागांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिक्त स्थानों को भरने के लिये निर्वाचन 1973 के प्रारम्भ में होने थे।

(ख) जी हां। इन दो उप-निर्वाचनों को कराने के लिए एक कार्यक्रम मुख्य निर्वाचन आफिसर, मध्य प्रदेश को भेजा गया था ।

(ग) तत्पश्चात मुख्य निर्वाचन आफिसर ने निर्वाचन आयोग को सूचना दी कि राज्य के बहुत बड़े भाग में भयंकर सूखे के कारण अकाल की वकट स्थिति हो गई है और ये निर्वाचन क्षेत्र अकाल से बुरी तरह प्रभावित हैं और सरकार को संपूर्ण प्रशासन-तंत्र सहायता कार्य में लगा हुआ है इसलिये नियत तारीखों पर उप-निर्वाचन कराना न तो संभव है और न ही उचित है। अकाल और सूखे की स्थिति के कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोक इधर-उधर चले गए हैं। इसलिये यदि निर्वाचन कराए गए तो यह बात निर्वाचनों की निष्पक्षता के लिए सहायक नहीं होगी। इन कारणों से निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया और तदनुसार उसने निर्णय किया कि उप-निर्वाचनों को तब तक के लिए रोक दिया जाए जब कि तक अकाल से उत्पन्न समस्याएं हल हों और समाप्त हो जाएं।

Dr. Laxminarayan Pandeya : Probably the Hon. Minister is not aware of the facts otherwise he would have not given such a confusing answer. I want to know the number of times elections in Mhow were postponed. I want to know whether it is a fact that Mhow is a Assembly constituency or a part of Indore Lok Sabha constituency. When the election of Indore Lok Sabha Constituency was held ? What was the reason for not holding election in Mhow ?

श्री डी० आर० चव्हाण : मैं इस बारे में पहले ही कारणों का उल्लेख कर चुका हूं। चुनाव के लिये कायक्रम निर्धारित किया गया था और इस बारे में 25 जनवरी, 1973 को अधिसूचना जारी की गई थी। चुनाव 25 फरवरी, 1973 को होने थे। वहां की स्थिति को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने कहा है कि राज्य सूखे से प्रभावित है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र भी सूखे से प्रभावित थे और इसी कारण वर्तमान परिस्थितियों में वहां चुनाव करवाना वांछनीय अथवा उचित नहीं था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने चुनाव आयुक्त को सूचित किया था कि सब प्रशासनिक कर्मचारियों को राहत कार्य पर लगा दिया जायेगा और इन परिस्थितियों में चुनाव करवाना सम्भव नहीं होगा। इन परिस्थितियों में चुनाव स्थगित करना पड़ा ।

Dr. Laxminarayan Pandeya : I want to have a clarification to my question. I have clearly stated that the election in Mhow constituency was withheld whereas election in the Lok Sabha Constituency of Indore was held. Mhow is an Assembly Constituency and it is a part of Lok Sabha constituency of Indore. Election in Mhow could be held along with the election in Indore. I want to know the reasons for not holding the election there ?

Shri Phool Chand Verma : I want to know why the Indore Lok Sabha election was held whereas the Assembly election was withheld ? (*Interruptions*).

श्री डी० आर० चव्हाण : कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तथा स्वीकार किया जताा है। चुनाव आयोग ने वास्तव में विधान सभा और संसदीय (अनुसूचित जाति) निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी थी लेकिन राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव रोक देना पड़ा।

Dr. Laxminarayan Pandeya: My question has not been answered. He may be asked to reply my question.

My second question is whether it is a fact that District Indore is not famine stricken district, Madhya Pradesh Government has not declared it a famine stricken area. There is no famine conditions in Madhya Pradesh. The State Government has given you wrong information. Mhow is the constituency of the chief Minister of Madhya Pradesh and that is why election was withheld there. The Hon. Minister may be asked to reply my question.

श्री डी० आर० चव्हाण : मैं आपको मुख्य चुनाव आयुक्त और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सूचना दे रहा हूं। इंदौर जिले को सूखा पीड़ित जिला घोषित किया गया अथवा नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

Dr. Laxminarayan Pandeya : The election was withheld because petition was filed there. He is not getting any witness. Secondly, there are no drought conditions there.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जानकारी दे रहे हैं।

Dr. Laxminarayan Pandeya : I have clearly asked why district Indore has not been declared as a drought or famine effected area. The people of that district have not gone any where. The whole machiney is working properly there. Inspite of that wrong information has been given . . .

श्री डी० आर० चव्हाण : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। उन्होंने बताया है कि बड़े पैमाने पर जन संख्या उक्त राज्य को छोड़कर चली गई है और ये क्षेत्र सूखे पीड़ित हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

Dr. Laxminarayan Pandeya : If any wrong information is supplied to you, you can take action against them. You are giving wrong and confusing information to the House.

श्री एस० ए० शमीम : मानीय मंत्री को पूछे गये विशेष प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। यदि इंदौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाये जा सकते थे तो मऊ विधान सभा क्षेत्र में चुनाव न करवाने के क्या कारण हैं। पहले मामले में सूखे का नोटिस न देने तथा दूसरे मामले में नोटिस देने के क्या कारण हैं ?

श्री डी० आर० चव्हाण : चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अन्तर्गत गठित प्राधिकार है। चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है और यह देखना उसका काम है कि चुनाव करवाने के लिये कौनसा समय उचित अथवा अनुचित है। 25 जनवरी को अधिसूचना जारी करनी थी और 25 फरवरी, 1973 को चुनाव करवाना था। मऊ में श्री पी० सी० सेठी द्वारा 1972 में त्याग पत्र देने के कारण स्थान रिक्त हुआ और अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र में स्थान श्रीमती मिनीमाता की मृत्यु के कारण 12 अगस्त, 1972 को रिक्त हुआ। मऊ निर्वाचन क्षेत्र के लिये 22 मार्च, 72 और जराहगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये 10 जून, 1972 तारीख निर्धारित की गई।

Shri Jharkhande Rai : When the Madhya Pradesh Government has not declared Indore as the drought effected area and the election was not held in Mhow due to drought effected area then what was the reason for holding parliamentary election in Indore ?

Mr. Speaker : The same question is being asked again and again. (*Interruptions*).

श्री डी० आर० चव्हाण : प्रश्न का पहला भाग यह है कि चुनाव क्यों नहीं किये गये। चुनाव आयोग संविधान के अन्तर्गत गठित प्राधिकार है और यह एक स्वतन्त्र निकाय है और इस बात का निर्णय करना चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव करवाये जायें अथवा नहीं।

इंदौर क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित न करने के बारे में मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दिया है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मझे इस बारे में उनसे जानकारी प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त है। उन्होंने प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी दी है (**व्यवधान**)

Shri Phool Chand Verma : I want to know whether some Members of Parliament have sent a telegram to him regarding the withholding of election ?

I also want to know whether this election was withheld thrice before. Once it was withheld due to election petition, second time it was withheld due to mutual dispute in congress and third time it was withheld due to the wrong information that Indore has been drought effected. I want to know whether Shri Chaudhari, the Eletcion Officer of Madhya Pradesh has not been acting according to the Chief Secretary's wishes ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि मैंने आपको अनेक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मंत्री महोदय ने प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है। अतः सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आयोग से इस बात का पता लगाये कि उसने चुनाव क्यों स्थगित किये। उक्त उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न में दो बातें निहित हैं। एक तो, इंदौर संसदीय चुनाव . . . .

श्री मौर्या ने पूछा था कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्थान कब रिक्त हुआ। लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का स्थान भी मऊ निर्वाचन क्षेत्र के स्थान के समय ही रिक्त हुआ। मऊ निर्वाचन क्षेत्र संसदीय क्षेत्र का एक भाग है।

श्री डी० आर० चव्हाण : मैं बता चुका हूं कि अनुसूचित जाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 12 अगस्त, 1972 को श्रीमती मिनीमाता की मृत्यु से स्थान रिक्त हुआ। मऊ निर्वाचन क्षेत्र में स्थान 22 मार्च, 1972 को रिक्त हुआ।

श्री एच० एम० पटेल : मऊ निर्वाचन क्षेत्र में लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थान रिक्त होने से पूर्व स्थान रिक्त हुआ था। अतः इस बारे में बताये गये कारण तत्संगत नहीं हैं। मंत्री महोदय

को यह कहना चाहिये कि "मैं मध्य प्रदेश सरकार से तथ्यों के बारे, जो अभी अभी मेरे सामने लाये गये हैं, स्पष्टीकरण चाहूंगा" कम से कम वह ऐसा कर सकते थे। वह केवल "नहीं" नहीं कह रहे हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : सब चुनाव मामला चुनाव आयोग के अधिकार में है। क्या चुनाव करवाने में सरकार का कोई हाथ होता है अथवा चुनाव आयोग स्वयं चुनाव करवाता है। यदि चुनाव आयोग स्वयं चुनाव करवाता है तो मंत्री महोदय इसके लिये कैसे जिम्मेवार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यही स्थिति उन्हें बता दी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या चुनाव आयोग उपचुनाव की तिथि और समय के बारे में राज्य सरकार का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्भर करता है अथवा क्या केन्द्र में मंत्रालय कोई ऐसा तंत्र है जिससे यह पता लग सके कि चुनाव की कोई सम्भावना है अथवा किसी जगह चुनाव करवाने में कोई असफलता हुई है ? इसके लिये क्या कसौटी है ?

श्री डी० आर० चव्हाण : चुनाव आयोग राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्य करता है। राज्य सरकार से सलाह कर चुनाव आयोग निर्णय लेता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि इस प्रश्न ने इतना अधिक समय ले लिया। अब हम अन्य प्रश्न पर कम समय देंगे।

संसद सदस्यो की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन

*687. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान यह मांग की गई है कि विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं पर अच्छी तरह से परामर्श करने और चर्चा करने के लिये संसद सदस्यों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरानी पद्धति के अनुसार इन समितियों का पुनर्गठन करने अर्थात् 16 क्षेत्रीय समितियां बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या डिवीजनल आधार पर उत्तर रेलवे के लिये संसद् सदस्यों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का शीघ्र पुर्गठन करने के बारे में विचार किया जा रहा है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान समिति में 200 से अधिक संसद सदस्य हैं और इतनी बड़ी समिति में कोई काम की चर्चा होना संभव नहीं है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। 1970 में प्रादेशिक समितियों के परीक्षण से सरकार का यह विचार बना है कि वे संसद सदस्यों की वर्तमान क्षेत्रीय समितियों जितनी कारगर नहीं थीं। इसलिए सरकार मण्डलीय आधार पर संसद सदस्यों की उत्तर रेलवे क्षेत्रीय समिति का पुनर्गठन करने का विचार नहीं कर रही है। रेल उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को सन्तोषजनक ढ़ंग से सुलझाने के लिए, इस समय रेलवे के मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां और मण्डलीय स्तर पर मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां भी विद्यमान हैं जिनमें संसद् सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और अन्य हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : माननीय उपमन्त्री ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया है कि पुरानी समितियां प्रभावशाली नहीं हैं। क्या जैसे संसद दोनों सदनों से 45 सदस्यों की समिति नियुक्त करती है। क्या रेलवे एक ऐसी समिति नियुक्त करती है जिसमें 100 से अधिक सदस्य होते हैं। क्या यह एक समिति है अथवा छोटी संसद और 108 सदस्यों के बैठे रहते हुए कैसे उपयुक्त चर्चा की जा सकती है जबकि किसी एक सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिलता पुरानी प्रणाली के प्रभावशाली न होने के क्या कारण हैं ? सरकार 100 सदस्यों से अधिक इस समिति को कैसे प्रभावशाली समझती है जबकि वे दो और तीन घन्टो के लिये बैठक करते हैं और चर्चा करते हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह समितियो की शक्ति अथवा संख्या पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के लिये हमारी प्रक्रिया यह है कि डिवीजनल स्तर पर एक डिवीजनल उपभोक्ता सलाहकार समिति है। जोनल स्तर पर जोनल उपभोक्ता सलाहकार समिति है। इसके अतिरिक्त सब जोनों के लिये 9 संसदीय समितिग्रां हैं जिनकी वर्ष में दो बैठके होती हैं। इसके अतिरिक्त एक मुख्य सलाहकार समिति है जिसकी वर्ष में तीन बैठके होती हैं। यदि हम इन समितियों का गठन करें जैसे कि माननीय सदस्य नें इच्छा व्यक्त की है, तो मेरे विचारो से मंत्री और सदस्यों को इन समितियों की बैठकों में सारे वर्ष भाग लेना पडेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह यही चाहते हैं।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मंत्री महोदय ने मुख्य प्रश्न का उतर नही दिया है। उक्त समिति की क्या उपयोगिता होगी जब संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति में अधिकतम 457 सदस्य हैं। 108 अथवा अधिक सदस्यों की एक समिति का क्या औचित्य है। क्या वह यह चाहते हैं कि सदस्य उस समिति में भाग न लें ? क्या वह यह चाहते है कि सदस्य बोलें नही ? वह किस प्रकार का विकास चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न उठाना अस्वाभाविक हैं। आप चालू बजट सत्र में हुई चर्चा के आधार पर प्रश्न पूछें। अब आप इसी आधार पर अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। इस बारे में यह बहुत अस्वाभविक प्रतिक्रया अपनाई गई है। मुझे दु:ख है कि मुझे आपको रोकना पड़ा। अन्यथा आप श्री पटेल अथवा अन्य किसी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के आधार पर प्रश्न पूछते रहते।

प्रो० नरायण चन्द पाराशर : मूल प्रश्न से यह प्रश्न उठता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 108 सदस्यों की समिति जोनल समिति पद्धति की तुलना में, जिसका सरकार अनुकरण कर रही थी, अधिक प्रभावशाली कैसे रहती। अन्य प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता समिति तथा अन्य समितियों का उल्लेख किया गया है। सब सदस्य उसमें नहीं हैं। 108 सदस्यों की उस समिति में एक सदस्य को अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रस्तुत करने के लिये कितना समय मिलेगा। क्या सम्बद्ध क्षेत्रो के विकास के बारे में चर्चा करने के लिये सदस्यों को प्रयाप्त समय मिल जायेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सलाहकार समिति में केवल नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की जाती है। विषय सूची तैयार कर ली जाती है और इन सब समितियों के सदस्यों को कागजात परिचालित कर दिये जाते हैं।

माननीय सदस्य कहते हैं कि उक्त समिति में बहुत बडी सख्या में सदस्यों का प्रतिनिधित्व है जिसमें सदस्यों से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया जाता है। यह हमारे लिये बहुत उपयोगी है।

Shrimati Sheela Kaul : The hon. Minister has just stated that there are users Committees on different levels. But in every case the matter is referred to Railway Board and no action is taken at the previous level. It is great difficulty in this matter.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The General Manager has been given the powers to implement the decisions of the Zonal Committee. Only that matter is referred to the Railway Ministry in which Sanction of the Railway Board or Railway Ministry is required. If the hon. member has any complaint in this regard, the matter may be looked into.

श्री राम सहाय पाण्डे : सलाहकार समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य संसद सदस्यों और चैम्बर के अन्य सदस्यों के सुझाव प्राप्त करना है।

जनता की कठिनाइयों को समिति के सामने लाया जाता है। सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की क्रियान्वित से हमें सूचित किया जाना चाहिए : हमें यह बताया गया था कि उपभोक्ता समिति सलाहकार समिति और अन्य समितियों में एक विषय सूची तैयार की जाती है और फिर चर्चा आरम्भ की जाती है। प्रत्येक मामले को रेलवे बोर्ड को सौंपा जाता है। इस का सदस्य होने के नाते में यह जानता हूं कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया जाता। यह मेरी कठिनाई है। माननीय मंत्री को इस बारे में विस्तृत जानकारी है। यदि हो, तो मैं यह जाना चाहूंगा कि उक्त समितियों के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों अथवा कठिनाइयों को कहां तक क्रियान्वित किया गया ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को रेलवे द्वारा उपलब्ध धनराशि के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। हम यात्रियों को सुविधाएं देने पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। उक्त धनराशि वास्तव में जोनल समितियों द्वारा खर्च की जाती है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि सदस्यों द्वारा दिये गये सब सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। केवल उन्हीं सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जिन पर बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है और जो रेलवे की पहुंच से परे हों।

Punishment of Railway Employees of North Eastern Railway on Corruption Charges.

***688. Shri M.C. Daga.**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :—

(a) how many Railway employees working on various posts in various departments of North Eastern Railway were punished on corruption charges during the quarter ending 30th June, 1972 ; and

(b) the names of the persons and the nature of the charges for which they were punished indicating the nature of punishment given to them ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 70 श्रीमान् । इसके अतिरिक्त सात कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4779/73]

Shri M.C. Daga : Mr. Speaker Sir, corruption is a blot on our country. In regard to item No. 10 relating to Shri Ram Lochan Singh the charges have been stated as realisation of illegal money from passengers. Similarly regarding item No. 41 it has been said, "acceptance of illegal gratification". For all these charges, punishment has been awarded, warning issued and increment has been withheld. It means that person getting illegal gratification should not be challaned under the Indian Penal Code and that his increment should be withheld. Is this punishment sufficient? Is this the only way to eradicate corruption from the Railway that less punishment should be given to the person who accepts illegal gratification ? May I know whether withholding of increment for one year is a sufficient punishment for a person who accepts illegal gratification or the person concerned should be prosecuted ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi ? Mr. Speaker Sir, there cannot be two opinions that sufficient punishment should be given to a person who accepts illegal gratification. Divisional or Zonal officers have been authorised to award punishment for the persons against whom charges are levelled. I will consider any case where more punishment should have been given, The hon. Member have referred two cases. I will enquire as to why less punishment has been given to these persons.

Shri M. C Daga : Now-a-days the Railway employees take with them ticketless travellers and such employees get simple punishment i.e. only warning. It is a matter of shame that no punishment is given under item 75. I think corruption is rampant in the Railway Board itself. The only way to eradicate corruption is to provide for exemplary punishment. The country expects from these railway employees that they will do their duty faithfully but no punishment is given to these corrupt employees. Only warning is issued and their increment is withheld. No other punishment is provided for them. Our Country cannot stoop more low than this.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I agree with the hon. Member that exemplary punishment should be given to such persons. But these punishments have also been given under the existing laws. For giving exemplary punishment we have to amend the law. If all hon. Members agree, then we can bring amendment to the existing law.

Shri Nathu Ram Bhirwar : Mr. Speaker Sir, the hon. Minister has just now stated that if any person travels without ticket he is fined and sent to Jail. But if any railway employee takes with him any ticketless traveller, he is awarded much less punishment. How far it is proper ?

Mr. Speaker : You have given a good suggestion. There is notbing for tbe Minister to reply.

श्री राणबहादुर सिंह : बजट पर वाद-विवाद के दौरान सदन के ध्यान में यह बात आई थी कि रेलवे मंत्रालय का विचार कानून में परिवर्तन करने का है जिससे यदि कोई गैर सरकारी व्यक्ति रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसको कारावास दिया जायेगा और उसको आजीवन कारावास देना भी सम्भत्र होगा। वर्तमान कानून मंत्री महोदय के अनुसार जिसके अन्तर्गत वार्षिक वृद्धि रोकना तथा चेतावनी आदि देना दण्ड है प्रस्तावित कानून, जिसके अन्तर्गत रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के लिए आजीवन कारावास दिया जा सकता है, की तुलना में कैसा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह अपराध की गम्भीरता पर निर्भर करता है। जहां तक रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रश्न है वे हमारे विचार में दोषियों को दण्ड देने के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम इसे और प्रभावी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने वालो को न केवल आजीवन कारावास ही दिया जा सके बल्कि यदि आवश्यक हो मृत्यु दण्ड भी दिया जा सके। परन्तु यदि रेलवे कर्मचारी ऐसे अपराध करते हैं तो ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। एक उच्च प्राधिकार इस बात का निर्णय करता है कि किस मामले में किस प्रकार का दण्ड दिया जाना चाहिए। जिस मामलों में यह समझा जाता है कि दण्ड किये गये अपराध के अनुसार नहीं है और यदि उन मामलों को रेलवे प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है तो उन पर कार्यवाही की जाती है। मैं सारी सूची को देखूंगा और विचार करूंगा कि किन मामलों में क्या दण्ड दिया गया है जिनमें कि अधिक दण्ड दिया जा सकता था।

श्री दिनेश चन्द गोस्वामी : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि नियमों के अनुसार ही दण्ड दिया गया है। क्या नियमों में निर्धारित दण्ड में चेतावनी देना भी एक दण्ड समझा जाता है। मद 72 में कोयले के ठेकेदारों के लिए इंजन को रोके रखने के लिये गलत समय दिखाने के लिये कर्मचारियों को केवल चेतावनी ही दी गई है। इस मामले को देखते हुए क्या माननीय मंत्री उस अधिकारी के विरूद्ध जिसने चेतावनी दी है, कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यदि अधिकारियों ने इन मामलों को नियमों के अनुसार नहीं निपटाया होगा, तो मैं इन पर विचार करूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सात्वे : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट पता लगता है कि दोषी व्यक्तियों को बिल्कुल मामूली दण्ड दिया गया है। मद दस श्री राम लोचन सिंह के बारे में है। उसके विरूद्ध यात्रियों से घूस लेने के आरोप हैं और उसको दण्ड यह दिया गया है कि उसकी दो वर्ष की वार्षिक वृद्धि रोक दी गई है। मद 25 में भी बिना ईस्पाटी के यात्रियों से धन लेने के आरोप है और दण्ड दो वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि रोक देना है। एक अन्य मामले में अनाधिकृत ढंग से सामान ले जाने के आरोप हैं और दण्ड छः महीने के लिए वार्षिक वृद्धि रोक देना है यह क्या कम है कि उनको पदम श्री की उपाधि नहीं दी गई है। क्या माननीय मंत्री सतर्कता विभाग के लिए जो कि ऐसे मामलों को इतने मामूली ढंग से ले रहा है, सतर्कता आयोग स्थापित करने के लिए सहमत होंगे अथवा क्या वह सभा को आश्वासन देगें कि वह इन मामलों तथा सतर्कता विभाग के कार्यक्रम की जांच करेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इन दो मामलों का उल्लेख भी श्री डागा ने भी किया है और मैंने कहा था कि मैं निश्चय ही इन मामलों की जांच करुंगा और यदि यह पता लगा कि कम सजा दी गई है तो दोषी व्यक्तियों को और दण्ड दिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सतकर्ता विभाग जैसे कि इसके नाम से लगता है पूरी सतकर्ता से काम नहीं कर रहा है। क्या वह सतकर्ता विभाग के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कानून के अनूसार जो कि कभी दोषी पाया जायेगा उसी के विरूद्ध गम्भीर रुप से कार्यवाही की जायेगी।

Construction of an Over-Bridge at Railway Crossing near Nibola Village.

***691. Shri G.C. Dixit :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sent a proposal for the construction of a Railway over bridge on the Railway crossing near Nibola village in Burhampur Tehsil ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri G. C. Dixit : There is always a very heavy traffic on the road where the railway crossing is situated and this road remains blocked. I want to know whether railway administration will try to construct a bridge over there ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The state Government has to bear the cost of the over bridge. There is a Safety fund in the railways for this purpose. But the State Government concerned has to bear the cost of the link roads. If the State Government take this responsibility then the administration has no hitch in constructing the required over-bridge there.

Shri R. V. Bode : Is this not correct that the State Government has told you that they are prepared to bear this share of the cost? You have not sent any reply to them.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We have not received any proposal from the State Government.

Percentage of Kerosene oil produced in public and private sectors

***694. Shri Phool Chand Verma :**

Will the Minister of Petroleum and Chemicals : be pleased to State :

(a) the percentage of Kerosene oil produced in public sector and private sector, separately; and

(b) the demand of kerosene oil during the last three years year-wise and the manner in which this demand has been met by private Public sectors ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरूआ) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1970, 1971 तथा 1972 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में मिटटी के तेल के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

('000' मीटरी टन)

उत्पादन

	सरकारी क्षेत्र	प्रतिशत भाग	गैर-सरकारी क्षेत्र	प्रतिशत भाग	कुल
1970	1861	63.9	1051	36.1	2912
1971	1909	63.7	1086	36.3	2995
1972	1861	66.2	952	33.8	2813

2. मिटटी के तेल के आयात से इस की देशीय उपलब्धि बढाकर गत तीन वर्षों के दौरान इस की माँग पूर्ण रुप से पूरी की गई थी। पैट्रोलियम उत्पादनों के सभी आयात सरकारी क्षेत्र के भारतीय तेल निगम के माध्यम से किये जाते हैं।

3. 1970, 1971 तथा 1972 के वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की कचे तेल की वास्तविकता विक्री इस प्रकार है :–

('000'मीटरी टन)

बिक्री	सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की बिक्री	प्रतिशत भाग	गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पन्यिों की बिक्री	प्रतिशत भाग	कुल
1970	1977	60.6	1284	39.4	3262
1971	2321	67.1	1137	32.9	3457
1972	2413	68.9	1091	31.1	3504

Shri Phool Chand Verma : There is shortage of power, fuel gas and coal in our Country. As a result, the demand of the Kerosene is increasing May I know whether you are taking the distribution of Kerosene in your own hands so that it may be distributed at proper price ?

Shri D. K. Borooah : The hon. Member has himself answered his question. He has referred to the shortage of power and Coal. As a result of this shortage the demand of Kerosene has increased considerably. It is not easy to increase the production. We are, therefore, trying to import it. Six lakh tonnes of kerosene oil has just now been improted from Russia and the stituation will ease on its arrival. Kerosene comes under the Essential Commodities Act and the State Government have imposed some control over its distribution. The situation has not yet arisen whereby we may have to impose complete control over it.

Shri Phool Chand Verma : In the recent past the Kerosene was sold in black market at the rate of Rs. 1·50 per litre in Gujarat, Madhya Pradesh and Delhi. I do not know whether it has came to your notice or not but certainly it has come to my notice. The common man is not getting Kerosene easily. It has been stated in the statement that in 1972 Oil production in the public and private sector was 36·2 percent and 33·8 percent respectively. Similarly 68·2 percent was sold through public sector companies and 31·1 percent was sold through private Companies. Despite of this the people are not getting the Kerosene easily and according to their needs. May I know whether Government propose to take any effective steps so that people may get kerosene easily and according to their needs. May I know the details thereof ?.

Shri D. K. Borooah : The only answer is to remove the shortage. We have decided to import Kerosene. It is in our notice that there is a shortage of Kerosene at some places but we have issued instructions to State Governments to handle this problem properly. We are trying to despatch Oil and K. Oil Diesel to places from where we are getting requests.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : उत्पादन आंकड़ों के बारे में सभापटल पर जो विवरण रखा गया है उससे पता लगता है कि 1970 में 1861,000 टन मिट्टी के तेल का उत्पादन हुआ जो 1971 में बढ़कर 1909,000 टन हो गया था। परन्तु 1972 में कम होकर यह 1861,000 टन रह गया। 1971 की तुलना में 1972 में उत्पादन कम हो गया है। देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन कम होने के कारण क्या हैं और देश में खनिज तेल की उपलब्धता के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री डी० के० बरूआ : माननीय सदस्य ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि उत्पादन में मामूली उतार-चढ़ाव हुआ है। 1970 में उत्पादन 1861,000 टन था 1971 में 1909,000 टन और 1972 में 1861,000 था। फर्क मामूली है, उत्पादन को शत प्रतिशत बनाये नहीं रखा जा सकता। उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में मिट्टी के तेल की कमी है। मिट्टी के तेल को आयात करके हम इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारे नये तेल शोधक कारखाने, यदि हल्दिया का कारखाना चालू हो जाता है और यदि कोचीन के कारखाने का विस्तार हो जाता है और मुझे आशा है उसका कुछ भाग चालू हो जायेगा, तो हमारी मांग काफी हद तक पूरी हो जायेगी।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, 1970 में उत्पादन 1861,000 टन था। 1972 में पुन: यह 1861,000 टन जबकि 1971 में 1909,000 टन था। मैं उत्पादन में कमी के कारण जानना चाहता हूं उतार चढ़ाव हो सकता है परन्तु उत्पादन में वृद्धि ही होनी चाहिए कमी नहीं।

श्री सी० के० बरुआ : जब उतार-चढ़ाव होता है तो इसका अर्थ यही है कि उत्पादन में कभी वृद्धि तथा कभी कमी भी हो सकती है।

श्री सी० टी० दण्पाणि : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार 1970 से 1972 तक गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल उत्पादन 3,080,000 टन था परन्तु इसी अवधि में इनकी बिक्री 3,512,000 टन थी। वक्तव्य के पैरा 2 में माननीय मंत्री ने कहा है कि पैट्रोलियम उत्पादों का समूचा आपात सरकारी क्षेत्र के इण्डियन आयल कारपोरेशन के माध्यम से किया गया। गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन 3,080,000 टन था परन्तु बिक्री 3,512,000 टन की थी। गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 5,00,000 टन की अधिक बिक्री के कारण क्या हैं ?

श्री डी० के० बरुआ : पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में एक चीज है प्रोडेक्ट एक्सचेंज। जब इण्डियन आयल कम्पनी इस क्षेत्र को तेल बेचती है तो वह इसे 'एस्सो' से लेते हैं। बिहार में जब 'एस्सो' और 'कालटेक्स' कोई उत्पादन बेचते हैं, तो वह उसे केवल बरौनी से लेते हैं। अत: प्राडक्ट एक्सचेंज की एक प्रणाली है। प्रोडक्ट एक्सचेंज में कभी कभी उतार चढ़ाव होता है।

श्री सी० टी० दण्पाणि : मेरा प्रश्न विशिष्ट रुप से यह था। आपने अपने वक्तव्य म बताया है कि 1970 से 1972 तक गैर सरकारी कम्पनियां द्वारा कुल 3,512,000 टन की बिक्री की गई परन्तु इसी अवधि में कुल उत्पादन 3,080,000 टन था। आप इस वृद्धि के क्या कारण बताते हैं।

श्री डी० के० बरुआ : इसे विभिन्न कम्पनियों द्वारा बेचा गया है, कभी कभी वे एक ही क्षेत्र में काम करती है और कभी कभी अलग अलग क्षेत्र में उदाहरणतया, इण्डियन आयल कम्पनी कुछ ऐसे क्षेत्रों में तेल बेचती है जिनमें सरकारी क्षेत्र का कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है। अप्पर आसाम में वह तेल डिगबोई से लेती है।

गैर सरकारी कम्पनियां भी वितरित करते समय कभी कभी तेल अपने कारखानों से नहीं लेती बल्कि सरकारी कारखाने से लेती है। यही कारण है कि कभी कभी इस में अन्तर होता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में उर्वरक बनाने वाले कारखाने और उनकी उत्पादन क्षमता

*695. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री धर्मराव पुथजलपुरकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में उर्वरक बनाने वाले कितने कारखाने

ह तथा इन कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी है और इनका वास्तविक उत्पादन कितना है ; और

(ख) क्या ये उर्वरक संयंत्र ऐसे स्थानों पर स्थित है जहां से उर्वरकों को दूरस्थ स्थानों पर मितव्ययितापूर्वक और शीघ्रता से ले जाना सुविधाजनक नहीं है ?

पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : (क) एक विरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

काम कर रहे उर्वरक कारखानों, उनकी स्थापित क्षमताएं और वर्ष 1972–73 में उनके उत्पादन से संबंधित विवरण पत्र

('000' मीटरी टनों में)

	नाइट्रोजन		फोस्फेट्स	
	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन (अप्रैल 72 से फरवरी 73 तक)	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन (अप्रैल 72 से फरवरी 73 तक)
1	2	3	4	5
क–सरकारी क्षेत्र				
मद्रास	164	92.8	85	47.4
रोरकेला	120	46.2	–	–
सिन्दरी	90	50.9	–	–
फैक्ट अलवाय	82	26.8	37	9.2
ट्राम्बे	81	57.5	36	33.9
नंगल	80	50.6	–	–
गोरखपुर	88	63.6	–	–
नयवेली	70	20.3	–	–
नामरूप	45	28.9	–	–
सिंगल सुपर फास्फेट	–	–	36	12.7
उपोत्पार कारखाने	12	9.9	–	–
कुल (क)	824	447.5	184	103.2

1	2	3	4	5
ख—ग़ैर-सरकारी क्षेत्र				
गुजरात, बरौदा	216	181.8	50	27.8
कानपुर	200	147.3	—	—
कोटा	110	115.8	—	—
विशाखापतनम	80	54.2	73	55.9
एन्नौर	16	11.0	10	7.6
वाराणसी	10	4.9	—	—
सिंगल सुपरफास्फेट	—	—	172	99.7
उप्रोत्पाद	8	4.5	—	—
ट्रिपल सुपरफास्फेट	—	—	11	2.2
कुल (ख)	640	519.5	316	193.2
कुल योग (क) और (ख)	1,464	967.0	500	296.4

टिप्पणी :—सिंगल सुपर-फास्फेट का उत्पादन करने वाले यूनिटों की संख्या 28 है; जिनमें से चार सरकारी क्षेत्र और 24 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : वास्तव में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैसूर राज्य में कोई उर्वरक उत्पादन एकक नहीं है। मैसूर की उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री डी० के० बरुआ : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य उर्वरक उत्पादन से है ? मंगलौर उवर्रक कारखाना शुरू हो गया है। एक उर्वरक फैक्टरी मंगलौर में स्थापित की जा रही है।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : इस समय क्या प्रबन्ध है।

श्री डी० के० बरुआ : उनको भारतीय उर्वरक निगम अथवा पूल अथवा निजी संगठनों से अर्वरक लेना पड़ता है।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : यह प्रश्न पूछने का मेरा एक विशिष्ट कारण है। यह कहा गया है कि जहां तक उर्वरक के वितरण का सम्बन्ध है दक्षिण को दक्षिण तथा उत्तर को उत्तर समझा जात

है। यदि यह सच है तो इसके कारण क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय इस बात को देखेगा कि उत्तर में बनने वाला उर्वरक दक्षिण को भी मिले।

श्री डी० के० बरुग्रा : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ? वह कृपया अपने प्रश्न को दोहरायें ?

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : यह कहा गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि दक्षिण भारत में बनने वाला उर्वरक दक्षिण भारत में ही रहेगा और उत्तर भारत में बनने वाला उर्वरक उत्तर भारत में रहेगा। यदि यह सच है, तो इसके कारण क्या हैं यदि नहीं तो क्या सरकार उत्तर भारत से दक्षिण भारत का उवर्रक भेजने पर विचार करेंगी ?

श्री डी० के० बरुग्रा : उर्वरक का वितरण तथा इस बात पर निर्भर करता है कि प्राप्त करने वाला पड़ौस में हों। परिवहन सुविधाओं पर अतः उवर्रक को पड़ौस में ही बेच दिया जाता है।

श्री दिनेश जोरदार : पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग उत्तर बंगाल, उत्तर बिहार और आसाम का पश्चिमी भाग कृषि उत्पादन में बहुत समृद्ध हैं। इनमें धान, तम्बाकू, गेहूं और गन्ने तथा अन्य अनेक कृषि उत्पादों की खेती होती है। परन्तु इनमें कोई भी उवर्रक कारखाना नहीं है और उर्वरक की सप्लाई की बिल्कुल नहीं है और इस कारण किसानो को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। क्या इस क्षेत्र में उवर्रक करखाना स्थापित किया जायेगा और इस बीच इस क्षेत्र के किसानों को उवर्रक सप्लाई करने के क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

श्री डी० के० बरुग्रा : नामरूप, आसाम में उवर्रक कारखाना है और यह कारखाना आसाम, पश्चिमी आसाम और उत्तर बंगाल को उर्वरक सप्लाई करता है। सिन्दरी उवर्रक कारखाना बिहार के भागों को उर्वरक सप्लाई करता है। गोरखपुर में एक अन्य उवर्रक कारखाना है। जो बिहार के निकट और जो उत्तर बिहार को उर्वरक सप्लाई करता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि इस क्षेत्र में उर्वरक की कमी है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कमी समूचे देश में है।

श्री डी० के० बरुग्रा : क्योंकि इस क्षेत्र में कोई उर्वरक कारखाना नहीं है। अतः बरौनी उर्वरक सयंत्र लगाया जा रहा है और अब यह लगभग पूरा हो गया है। एक कारखाना हल्दिया में लगाया जायेगा और मुझे आशा है कि बिहार में भी एक अन्य कारखाना लगाया जायेगा और मुझे आशा है कि इन कारखानों से इस क्षेत्र की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब अल्प-सूचना प्रश्न लिया जायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह अल्प-सूचना प्रश्न नहीं है। इसकी सूचना दस दिन पहले दी गई थी। अतः इसको अल्प सूचना प्रश्न कैसे समझा जा सकता है, इस बीच माननीय सदस्य कहीं चले गये हैं। उनका कुछ अन्य कार्यक्रम था।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अनुपस्थित हैं। अब ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा की जायेगी। श्री जगन्नाथ जोशी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों की भर्ती प्रशिक्षण वेतनमान और सेवा संबंधी शर्तों की जांच करने के लिए समिति

*682. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतनमान और सवा सम्बन्धी शर्तों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था ;

(ख) क्या समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) समिति की सिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रख दिया गया है । सिफरिशों की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की गयी है और श्रम संगठनों के विचार मांगे गये हैं । फेडरेशनों से कहा गया है कि अपने उत्तर 20 अप्रैल, 1973 तक भेज दें और तत्पश्चात् अनुदेश जारी किये जायेंगे ।

विवरण

भारतीय रेलों के सिगनल एंवम् दूर संचार विभाग के निरीक्षकों और कारीगर कर्मचारियों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि से सम्बन्धित नियमों की समीक्षा के लिंए नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों का सारांश ।

1. सहायक सिगनल निरीक्षकों की सीधी भर्ती बिजली और यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा धारियों तक सीमित रखनी चाहिए । प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष होगी जिसमें भारतीय रेलवे सिगनल एवम् दूर संचार संस्थान, सिकन्दराबाद में $11\frac{1}{2}$ महीने का पाठ्यक्रम शामिल होगा ।

2. बिजली सिगनल अनुरक्षकों और यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों में से पदोन्नति के लिए कोटा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले सहायक सिगनल निरीक्षकों के पदों की संख्या का 60 और 40 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए ।

3. 333–425 रु० के ग्रेड में स्नातक इंजीनियरों की भर्ती बन्द कर देनी चाहिए और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सहायक सिगनल निरीक्षकों के पदों का अनुपात 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देना चाहिए ।

4. सवारत ड्राफ्ट्समैनों को सहायक सिगनल निरीक्षकों के रुप में पदोन्नति के लिए चुना जा सकता है जो कि वर्ष में आपन्न कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होंगी ।

5. वर्तमान संदर्भ में, सहायक दूर संचार निरीक्षकों की भर्ती केवल उन विज्ञान स्नातकों में स करनी चाहिए जिन्होंने गणित तथा भौतिकी वैकल्पिक विषयों के रूप में लिये हों। उन्हें 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

6. जटिल दूर संचार उपस्करों के अनुरक्षण के लिए 130–212 रु० के वेतनमान में कुशल कारीगरों की उच्चतर ग्रेड में सीधी भर्ती जारी रहनी चाहिए। सहायक दूर संचार निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए कोटा $33\frac{1}{3}$ से बढ़ाकार 50 प्रतिशत किया जा सकता है ।

7. 335–425 रुपये के ग्रेड में स्नातक इंजीनियरों द्वारा 25 प्रतिशत रिक्तियों में भर्ती की वर्तमान प्रणाली दूर-संचार शाखा में जारी रहे ।

8. 110–180 रुपये के ग्रेड में यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों के 50 प्रतिशत तक पदों की सीधी भर्ती इस प्रकार की जाये :–

(क) नैमित्तिक श्रम वाले कुशल फिटरों में से अथवा कारखानों से, बशर्ते उन्होंने दो वर्ष की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली हो ।

(ख) रेलवे सिगनल कारखानों में प्रशिक्षित अधिनियम प्रशिक्षुओं में से, जिन्हें तांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों के रूप में 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

(ग) आई० टी० आई० प्रशिक्षित फिटरों में से, जिन्हें यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों के रूप में 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

9. सिगनल अनुरक्षकों की दो कोटियों अर्थात् बिजली स्कंध और यांत्रिक स्कंध क लिए अपेक्षित कुशलताओं की प्रकृति भिन्न है, इसलिए इन दोनों कोटियों को इकट्ठे मिलाना व्यावहारिक न होगा ।

10. 110–180 रुपये के वेतन-मान में बिजली सिगनल अनुरक्षकों के पदों के लिए, 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी ।

11. 130–212 रुपये के ग्रेड में बिजली सिगनल अनुरक्षकों की $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति द्वारा और $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत विज्ञान सहित हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष योग्यता वाले व्यक्तियों में से भरी जायेंगी ।

12. 110–180 रुपये के वेतन-मान में दूर-संचार अनुरक्षकों के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए। सीधी भर्ती इस प्रकार की जाये :–

(क) कुशल दूर-संचार फिटरों में से, नैमित्तिक श्रमिकों में से या सिगनल कारखानों से, बशर्ते उन्होंने कम से कम दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो ।

(ख) आई० टी० आई० अथवा मान्यता-प्राप्त संस्थाओं से बिजली या दूर-संचार फिटर ।

13. 130–212 रुपये वेतनमान वाले दूर संचार अनुरक्षकों के पदों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरना चाहिए। 175–240 रुपये के वेतनमान वाले दूर-संचार अनुरक्षकों के पदों का लगभग 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है ।

14. बेतार अनुरक्षक : वेतनमान 110–180 रुपये 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती इ प्रकार की जा सकती है :–

(क) कुशल बेतार फिटरों में से, नैमैत्तिक मज़दूरों में से या कारखानों से बशर्ते उन्होंन कम से कम दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो ।

(ख) रेलवे सिगनल कारखानों में प्रतिक्षित अधिनियम प्रशिक्षओं से ।

(ग) आई० टी० आई० के प्रशिक्षित फिटरों में से ।

15. बेतार अनुरक्षरों के पदों में सीधी भर्ती 130–212 रुपये के वेतनमान में 50 प्रतिशत तक और 175–240 रुपये के वेतनमान में 25 प्रतिशत तक की जा सकती है ।

16. दूर मुद्रक अनुरक्षकों को दूर-संचार अनुरक्षकों की कोटि में माना जाना चाहिए ।

17. पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को दो वर्ष से अधिक समय तक अग्रानीत नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई कमी पड़ जाये तो सीधी भर्ती द्वारा उसकी पूर्ति की जानी चाहिए ।

Repair of Diesel Engines with Foreign Spare Parts

*683. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether hundreds of Railway diesel engines are lying out of order for want of foreign spare parts ;

(b) the percentage of foreign spare parts used in these engines in the country; and

(c) the names of foreign countries from which these spare parts are imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :
(a) Out of a fleet of 1,425 only 16 diesel locomotives (7 ZDM2 Narrow Gauge diesel locomotives from West Germany, 7 YDM1 diesel locomotives imported from United Kingdom, 1 WDS1 imported from United States of America and 1 WDM3 imported from West Germany) have been held up for imported spares on Indian Railways.

(b) In the country Diesel locomotives are being manufactured at Diesel Locomotive Works, Varanasi and Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan. The percentage of imported contents (in terms of value) utilised in manufacture of deisel locomotives at Diesel Locomotive Works, Varanasi during 1972-73 was 13·2% for Broad Gauge and 11·8% for Metre Gauge. For locomotives manufactured at Chittaranjan Locomotive Works it is 34% in respect of diesel shunters.

(c) The spare parts are mainly imported from United States of America, Canada, United Kingdom and West Germany.

डीजल से चलाई जाने वाली नई रेलगाड़ियां

*685. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1972 से फरवरी, 1973 के बीच चलाई गई रेलगाड़ियों में से कितनी रेलगाड़ियां डीजल से चलाई जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : श्रीमन्, दिसम्बर, 1972 से फरवरी, 1973 तक की अवधि में डीज़ल रेल इंजन से केवल एक जोड़ी गाड़ी अर्थात 131 डाउन/132 अप नयी दिल्ली मंगलूर एरणाकुलम जयन्ती जनता एक्सप्रैस चलानी शुरू की गयी है ।

मैसर्स फाइजर इण्डिया लि० द्वारा टेट्रोसाइक्लीन और अन्य दवाईयों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन

*689. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर लिमिटेड ने जिसके अधिकांश शेयर विदेशी हैं, टेट्रासाइक्लीन आक्सीटेट्रासाइक्लीन और क्लोरपापामाइड के निर्माण के लिए लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म के विरूद्ध लाइसेंसों की शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) इस फर्म में प्रारम्भ में कितनी विदेशी साम्य पूंजी थी और इस समय उक्त पूंजी कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां ।

(ख) औषधियों की अनिवार्यता तथा देश में उन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंस युक्त क्षमता से अधिक उत्पादन किये जाने के मामले पर कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) 1950 में प्रारम्भिक विदेशी शेयर पूंजी–500 लाख रुपये

1972 में कम्पनी की आरक्षित निधियों के पूंजीकरण पर बोनस शेयर जारी करने से इकट्ठी की गई पूंजी को शामिल करते हुए वर्तमान विदेशी शेयर पूंजी––420.03 लाख रुपये ।

मनाली (मद्रास) स्थित नागपाल अम्मबादी कारखाने को पैरेफिन मोम की सप्लाई

*690. **श्री बी० मायावन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि नागपाल अम्बादी पैट्रो-कैमिकल्स रिफाईनिग लि० मनाली (मद्रास) को देश से तथा आयात द्वारा कच्चे माल की सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है और, यदि हां तो, इस कारखाने को इन कठिनाईयों को दूर करनें में सहायता देने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का यह विचार कि देश में उपलब्ध पैराफिन मोम नागपाल अम्बादी कारखाने को दिया जाये क्योंकि इस को पैट्रोल की जेली (पैट्रोलेटम) के बनाने में आयातित माइक्रोस्टलीन के साथ मिलाया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) मैसर्स नागपाल अम्बादी के ट्रान्सफार्मर आयल और अन्य पैट्रोलियम विशेष उत्पादों (जैसे लाइट वाइट आयल, हैवी वाइट आयल और पैट्रोलियम जेली) के विनिर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है। इन उत्पादों एवं ट्रांसफार्मर आयल बेस के स्टाक के लिए सम्भरण माल और लाइट वाइट आयल के लिए कच्चे माल की सप्लाई देश में मद्रास शोधनशाला से उपलब्ध होगी। पैराफिन मोम देश में आसामी आयल कम्पनी से उपलब्ध होता है।

2. अन्य कच्चा माल अर्थात् माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम और हैवी वाइट आयल के विनिर्माण के लिए बेस आयल विदेश से आयात किया जाता है। कम्पनी माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम को, जो सरकार की राय में एक अर्ध-सज्जित उत्पाद था और जिसका आयात अधिक विदेशी मुद्रा मूल्यों पर न्याय-संगत नहीं था, अपने निजी स्रोतों से आयात करने का विचार रखती थी। पार्टी को तुलनात्मक टेंडर आधार पर सामान्यतः आयातित माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम को प्रयोग करने और अन्य विनिर्माताओं द्वारा प्रयुक्त इस मोम के लिए परामर्श दिया था ; जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में बचत होगी। कुछ प्रारम्भिक प्रतिरोध के पश्चात् पार्टी ने इस परामर्श को मान लिया और तदनुसार सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है।

3. हैवी वाइट आयला विनिर्माण के लिए वेस आयल के सम्बन्ध नें कम्पनी, संयुक्त राज्य अमरीका से इस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए और दबाव डाल रही थी। भारतीय रेल निगम ने उन्हें रुमानिया से आयात किये गए एक वैकल्पिक तेल जो भारतीय पैट्रोलियम संस्थान में परीक्षण पर उपयुक्त पाया गया है, की पेशकश की है। रुमानिया तेल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप भी विदेशी-मुद्रा में बचत होगी। आगामी 6–8 महीनों के लिए इस वेस आयल की आवश्यकताओ को पूरा करने हेतु भारतीय तेल निगम के पास रुमानियन आयल का स्टाक पर्याप्त मात्रा में है।

4. पैराफिन मोम का वितरण, पैराफिन मोम (सप्लाई, वितरण एवं मुल्य नियतन आदेश 1972 के अन्तर्गत नियन्त्रित है) राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में नामित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उद्योगों को जारी किये गए आबंटन-आदेशों के अनुसरण में इसे बेचा जा सकता है। मैसर्स नागपाल अम्बादी को तदनुसार अपनी आवश्यकताओं को राज्य सरकार से प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है।

राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम पर बुलाये गये अनुसचिवीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी भत्ता

*692. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अनुसचिवीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम पर बुलाया जाता है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम पर बुलाये गये गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी भत्ते दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभी अनुसचिवीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी भत्ता देने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सेवा की अनिवार्यता होने पर, ही कुछ अनुसचिवीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है ।

(ख) ऐसे गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों को जिन्हें कोई सार्वजनिक छुट्टी नहीं दी जाती राष्ट्रीय छुट्टियों में काम करने के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति दी जाती है ।

(ग) जी नहीं । तीन राष्ट्रीय छुट्टियों में काम करने के लिये केवल उन्ही कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अनुज्ञेय है जिन्हें कोई सार्वजनिक छुट्टी नहीं दी जाती । सामान्य तौर पर अनुसचिवीय कर्मचारियों को सार्वजनिक छुट्टियां दे दी जाती हैं इसलिए, वे वित्तीय क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं हैं ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा समझौते को लागू न करना

*693. **श्री वयालर रवि** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री कोचीन तेल शोधक कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा समझौते को लागू न करने के बारे में 21 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच समझौता अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मंगलौर उर्वरक कारखाने के निर्माण की अवस्था तथा उसकी अनुमानित लागत

*696. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य स्थित बंगलौर उर्वरक कारखाने में 1974 तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ;

(ख) कारखाने का निर्माण इस समय किस अवस्था में है ; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) जी हां । आशा है कि इस प्रयोजना में 1974 के अन्त तक परीक्षण उत्पादन शुरु हो जायेगा । परियोजना क निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है और स्थूणा कार्य मुकम्मल होने वाले है । इमारतों के लिये नीव कार्य भी शुरु किया गया है । संयंत्र तथा मशीनों के जुलाई/अगस्त, 1973 के बाद प्राप्त हो जाने की आशा है ।

(ग) प्रायोजना का 57.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदन किया गया था ।

पेटेन्ट अधिनियम का संशोधन

*697. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विधि, न्याय** और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेटेन्ट अधिनियम की एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसका संशोधन करने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका संशोधन कब तक किये जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :

(क) नया पेटेन्ट अधिनियम, 1970, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ, पेटेन्ट पर अधारित एकाधिकारों के अनियंत्रित विकास को रोकना है, 20 अप्रैल, 1972 को ही प्रवृत्त किया गया था। फिलहाल इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स शालीमार टार प्रोडक्शन लिमिटेड कलकत्ता के निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें

*698. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शालीमार टार प्रोडक्टस लिमिटेड, 6 लियोनस् रेंज, कलकत्ता के भूतपूर्व और वर्तमान निदेशकों के गम्भीर वित्तीय कुप्रबन्ध और अनियमितताओं की कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या य कुप्रबन्ध और अनियमितताएं उस अवधि से सम्बन्धित हैं जब यह उपक्रम मैसर्स टर्नर मोरिसन के मैनेजिंग एजेंसी के अधीन था और बाद में हंगरफोर्ड इन्वेस्टमैंट लिमिटड को हस्तांतरित कर दिया गया था ; और

(ग) क्या इस कम्पनी के मामले की जांच करने का आदेश दे दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में (ी एच० आर० गोखले): (क) मैसर्स शालीमार टार प्रोडक्टस (1935) लिमिटेड के पहले प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) ये उस अवधि से सम्बन्धित थीं, जिस में टर्नर मारीसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, में शालीमर टार प्रोडक्टस (1935) के प्रबन्ध अभिकर्त्ता थे, एवं उस अवधि में से भी सम्बन्धित थी जिसमें इस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा था ।

(ग) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी जांच पड़ताल के आदेश नहीं दिये गये हैं। परन्तु इसकी लेखा-वहियों के निरीक्षण के मध्य, भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत नोटिस में आये अपराधों के विशिष्ट दृष्टान्त, जांच-पड़ताल के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्दिष्ट कर दिये गये हैं।

ग्रहमदाबाद से गांधीनगर तक बड़ी रेलवे लाइन और उसका विद्युतीकरण

*699. **श्री ग्ररविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० ववेजा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रमहदाबाद गांधी नगर बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विरार-साबरमती रेल मार्ग क विद्युतीकरण के साथ-साथ इस लाइन का भी विद्युतीकरण करने का है ; ग्रौर

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस बारे में कोई ग्रनुरोध किया है ग्रौर यदि हां, तो, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 12-1-1973 को साबरमती ग्रौर गांधीनगर के बीच 2.85 करोड़ रुपये की ग्रनुमानित लागत से 27.85 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी गयी है ग्रौर काम हो रहा है । गुजरात सरकार ने भूमि के ग्रधिग्रहण की कारंवाई शुरु कर दी है ग्रौर वह रेलवे को यह भूमि मुफ्त हस्तान्तरित कर देगी । कुल 169.03 हैक्टैयर भूमि में से 52 हैकटेयर भूमि राज्य सरकार पहले ही रेलवे को उपलब्ध करा चुकी है। भूमि के ग्रधिगृहीत भाग में मिट्टी सम्बन्धी काम हो रहा है। मिट्टी सम्बन्धी बाकी काम ग्रौर पुलों के लिये टैण्डरों को ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है। लाइन को पूरा करने की निर्धारित तारीख दिसम्बर, 1974 है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां। साबरमती-गांधीनगर खण्ड के बिजलीकरण के प्रश्न पर बिचार किया गया है ग्रौर फिलहाल इसे ग्रर्थक्षम नहीं पाया गया है ।

रेलवे का सामान बेचने के लिये ग्रमरीकी व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा

*700. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रमरीका व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में भारत ग्राया था ;

(ख) क्या उन्होंने भारत को रेलवे का सामान बेचने में रुचि दिखाई है ; ग्रौर

(ग) क्या सरकार ने उनके प्रस्तावों पर विचार कर लिया है, ग्रौर यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । ग्रमरीका का एक विशेषीकृत रेल उपस्कर व्यापार मिशन इस समय भारत का दौरा कर रहा है ।

(ख) यह मिशन जिसके ग्रध्यक्ष, ग्रमरीका के वाणिज्य विभाग के एक ग्रधिकारी हैं ग्रौर जिसमें विभिन्न कम्पनियों के ग्यारह प्रतिनिधि शामिल हैं, ग्रमरीका में निर्मित उपस्करों

की बिक्री के लिए बाजार की तलाश में और भारत में लायसेंस-प्राप्ति की गुंजाइश का पता लगाने के लिये आया हुआ है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान मिशन के सदस्यों ने हमारी खरीद-प्रक्रिया को समझने और भारतीय रेलों द्वारा सामान्यत: आयात किये जाने वाले उपस्करों की विशिष्टियों और किस्मों के प्रति रुचि प्रदर्शित की है।

(ग) इस व्यापार मिशन ने अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखे हैं। इसलिए, अभी सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड में सैक्शन आफिसर के स्थानापन्न पद पर काम करने वाले सहायकों की वरिष्ठता निश्चित करना

6650 **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1972 में रेलवे बोर्ड के 15 सहायकों को पदोन्नति के पैनल में रखा गया था और जिसके फलस्वरूप अगस्त, 1972 में उन्हें सैक्शन आफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया था ;

(ख) क्या इन 15 सहायकों की नियुक्ति अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या 615 दिनांक 24 अप्रैल, 1971 द्वारा संशोधित आर० बी० एस० एस० रूल्ज, 1969 के नियम 9(1) के अनुसार सहायकों के ग्रेड में निरन्तर सेवा अवधि के आधार पर की गयी थी ;

(ग) क्या इस प्रकार की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुसूचित जाति के ऐसे सैक्शन आफीसर भी पदावन्त किये गये जिनकी स्वीकृति सेवा अवधि पदोन्नति व्यक्तियों की स्वीकृति सेवा से अधिक थी ; और

(घ) क्या अगस्त, 1972 में पदोन्नति किये गये इन 15 सहायकों को 1966 और 1969 में नियमित रूप से पदोन्नति किये गये सैक्शन आफिसर्ज से वरिष्ठ घोषित कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : वर्तमान नियमों के अनुसार इन सहायकों का प्रवरण सहायकों के ग्रेड में "अनवरत सेवा की दीर्घतम अवधि" के आधार पर किया गया था। इन सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के रुप में पदोन्नति के फलस्वरूप, अनुसूचित जाति के तीन अनुभाग अधिकारियों सहित कुछ अनुभाग अधिकारियों को जो इन पदों पर पूर्णत: तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे परावर्तित कर दिया गया। उन्हें अस्थायी व्यवस्था में फिर से पदोन्नत किया जा चुका है।

(ख) इन अधिकारियों की वरिष्ठता अभी निश्चित नहीं की गयी है।

दिल्ली पहुंचने वाले कोयले के वैगन

6651. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जनवरी, 1972 से लेकर हर महीने दिल्ली में कोयले के कितने वैगन पहुंचे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जनवरी 1972 से दिल्ली पहुंचने वाले विभिन्न प्रकार के कोयले और कोक (बिजली घरों वाले को छोड़कर) से लदे माल डिब्बों

की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

(आंकड़े चौपहियों में)

महीना		माल डिब्बों की संख्या
जनवरी	72	3945
फरवरी	„	2917½
मार्च	„	3944
अप्रैल	„	2818
मई	„	2664
जून	„	2770
जुलाई	„	2509½
अगस्त	„	3867½
सितम्बर	„	3037½
अक्टूबर	„	3982
नवम्बर	„	2891½
दिसम्बर	„	2950
जनवरी	73	3184½
फरवरी	„	3014
मार्च	„	4125½

निर्वाचन-व्यय पर निगरानी रखने के लिये निकाय

6652. कुमारी कमला कुमारी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन–व्यय पर निगरानी रखने तथा उम्मीदवारों द्वारा अधिक व्यय को रोकने के लिये सरकार का विचार एक स्थायी निकाय स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम्पनी लॉ बोर्ड सर्विस के लिए भर्ती का तरीका

6653. **श्री झारखण्डे राय :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी लॉ बोर्ड सेवा एक संगठित प्रथम श्रेणी सेवा है तथा इसके अधिकारियों को सचिवालय के ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता है :

(ख) यदि हां, तो इस सेवा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तदर्थ विज्ञापन निकाल कर इनका चयन केवल साक्षात्कार द्वारा करके भरती करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सेवा के लिये सीधी भरती अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा न करने के क्या कारण हैं जैसा कि अन्य 12 केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के मामले में किया जाता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :

(क) केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा (इसके पूर्व कम्पनी विधि बोर्ड सेवा ज्ञातव्य) संगठित प्रथम श्रेणी सेवा है और इसके अधिकारी उच्च सचिवालय पदों पर नियुक्त किये जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा नियमों के अन्तर्गत, इस सेवा की नियुक्तियां दोनों प्रकार से, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा और इन नियमों द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार विभागीय पदोन्नति द्वारा की जाती है। जब प्रत्यक्ष नियुक्ति की जाती है, तो संघ लोक सेवा आयोग, समाचार–पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित करने की पद्धति का पालन करता है और पात्र प्रत्याशियों के साक्षात्कार के पश्चात् उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

( ) प्रत्यक्ष नियुक्ति के कोटा में नियुक्ति संमोदन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदों की संख्या अत्याधिक न्यून है।

Electrification Work in Kedar Bagh (Madan Park and Ghunnamal Park) Delhi

6654. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state whether the electrification work in Kedar Bagh (Madan Park and Ghunnamal Park) Delhi-35 has been completed and the residents of the colony have started getting individual connections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : The general electrification work of Kedar Bagh (Madan Park Ghunnamal Park) Delhi-35, was completed in March, 1973. The prospective consumers of the colony can now get electric connections on completion of usual commercial formalities.

Chambal Power Projects in Madhya Pradesh

6655. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Chambal Power Project of Madhya Pradesh is functioning to its full capacity;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government for its functioning to full capacity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The Chambal Hydro Stations operated at a level higher than the planned capacity on account of higher load demand and water requirements for irrigation upto 31st January 1973. Thereafter, due to low water level in the Gandhisagar reservoir, the generation has been reduced from 3·5 millions units per day to 2·5 million units per day. Full generation is expected to be resumed on the onset of the monsoon.

आसाम के तेल का परिवहन करने के संबंध में रूस के विशेषज्ञों के विचार

6656. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रूस के कुछ विशेषज्ञों ने मत प्रकट किया था कि यदि आसाम स तेल के परिवहन संबंधि कठिनाईयों का समाधान हो जाये तो भारत तेल के उत्पादन को 10 लाख टन तक बढ़ा सकता है ;

(ख) क्या रुस के विशेषज्ञों ने वर्तमान स्थिति में इस समस्या को हल करने संबंधी किसी समाधान का संकेत दिया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस दिशा में कार्यवाही शुरु कर दी है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : इस संबंध में कुछ रुसी विशेषज्ञों के विचारों के बारे में रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। किन्तु यह उल्लेख करना है कि सरकार को जानकारी है कि तेल के परविहन से संबंधित कठिनाईयों के होते हुए भी असम तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल के उत्पादन को प्रतिवर्ष एक मिलियन मीटरी टन तक बढाया जा सकता था। प्रतिवर्ष एक मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल के साफ करने के लिये असम में बोंगई गांव में अतिरिक्त शोधन क्षमता की स्थापना के संबंध में लिये गये निर्णय का पालन करते हुए, यह फैसला किया गया है कि वर्तमान पाइपलाइन सुविधाओं को बढाया जाये ? इसमें आयल इंडिया लि० की पाइपलाइन क्षमता का विस्तार और मोरेन नामक स्थान पर एक अतिरिक्त अशोधित तेल अनुकूलन संयंत्र की स्थापना सम्मिलित होगी। इस स्कीम, जिसे दो चरणों में प्रारंभ किया जा रहा है पर कार्यवाही को शुरु किया गया है और यह योजना बोंगई गांव शोधन–शाला के चालू होने के समय तक पूरी हो जायेगी ।

भारत की तेल आवश्यकताओं के बारे में रूस के विशेषज्ञों के विचार

6657. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : श्री एम० ऐस० संजीवी राव

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उक्त

समाचार की ओर गया है जिसमें लिखा है कि रूस के विशेषज्ञों के विचार में भारत अपनी तल की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है । यदि वह 20 समृद्ध तेल क्षेत्रों की खोज करें ; और

(ख) क्या रूस के विशेषज्ञों ने उपरोक्त 20 क्षेत्रों का पता लगाया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने जो पहले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के साथ भारत वर्ष में अगले 10 वर्षों में होने वाले तेल उत्पादन पर एक तकनीकी आर्थिक समान्य अध्ययन कर चुका था, 26 अवसादीय क्षेत्रों का हवाला दिया था, जिनके नाम हैं :—काम्बे, कच्छ, सौराष्ट्र, असम-एरेकन, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, नागपुर, पंजाब, गंगा-कावेरी, पालर, गोदावरी, कृष्णा, प्रानहिता—गोदावरी, अन्डमान निकोबार, करेवा, केरला लकादीवी, बंगाल, सोन—दामोदर महानदी, दरिक्षणी रेवा महानदी, नर्मदा, विन्ध्यान, कालादगी, भीमा, बस्तर छत्तीसगढ़ एवं कुद्दापा ।

15 Years Scheme to introduce longer Passenger Trains

6658. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a 15 year scheme to introduce longer passenger trains; and

(b) if so, the names of the lines, zone-wise, where these trains are proposed to be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quereshi): (a) & (b) No specific scheme covering a 15 year period has been formulated. However, it is already the policy to run longer trains on busy trunk routes to the extent possible.

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स में लाभ की मात्रा

6659. **श्री के० एस० चावड़ा :**

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की : कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स में कम लाभ हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० शुद्ध लाभ, जो 1969–70 में 44.12 लाख रुपये था, 1970–71 में घटकर 12.47 लाख रुपये हो गया है । किन्तु 1971–72 में इस उपक्रम की लाभप्रदता में कुछ तनिक सुधार हुआ अर्थात् शुद्ध लाभ 12.97 लाख रुपये था । वर्ष 1970–71 में 683 लाख रुपये की कुल बिक्री के मुकाबले में 1971–72 में कुल बिक्री 801 लाख रुपये तक बड़ी ।

उपक्रम की लाभप्रदत्ता में कमी के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :–

(i) उत्पादन विशेष रुप से स्ट्रैप्टोमाइसीन के उत्पादन के स्तर में गिरावट ;

(ii) एण्टीबायोटिक्स के मूल्यों के नियतन के पश्चात् कच्चे माल की लागत एवं अन्य निवेशों में अधिक तेजी ; और

(iii) उपक्रम का कम उत्पाद सम्मिश्र जिसने अपने वाणिज्यिक युक्तिचालन को सीमित किया है ।

विभिन्न नियंत्रणों, जो उत्पादन में रुकावट डालने वाले पाए गये थे, द्वारा उपक्रमों की लाभ–प्रदत्ता की शनाखत की गई है । पेनिसिलीन एवं स्टैप्टोमाइसीन के अधिक उत्पादन करने वाले स्ट्रेन्स के प्रयोग द्वारा निकर्षण की बहुत कार्य–दक्षताओं को प्राप्त करने के लिये उपक्रम प्रयत्न कर रहा है । उपक्रम विस्तार एवं व्यपवर्तन कार्यक्रम, जिससे जब कार्यान्वित होगा । लाभप्रदत्ता में सुधार होने की आशा है, का भी प्रस्ताव रखता है ।

हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स लिमिटेड में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

6660. श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड में स्थायी प्रबंध निदेशक काफी समय से नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम की कार्यकुशलता के हित में इस पद पर शीघ्र नियुक्ति करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : 1 अक्तूबर, 1972 से हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० के प्रबंध निदेशक का पद रिक्त पड़ा है । इस समय वर्क्स मैनेजर अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक की ड्यूटीज का भी निष्पादन कर रहे हैं । प्रबंध निदेशक के रिक्त स्थान को स्थायी आधार पर भरने का प्रश्न सक्रिय रूप में विचाराधीन है ।

परीक्षाओं के लिये कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों की पात्रता

6661. श्री धनशाह प्रधान : क्या **रेल** मंत्री संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के बारे में 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न सख्या 4850 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग को निदेश जारी किये गये हैं कि इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा सम्बन्धी अधिसूचना में उन्हें इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये कि कृषि इजीनियरिंग स्नातक की परीक्षा में बैठने के योग्य हैं ;

(ख) क्या कृषि इजीनियरिंग स्नातक इन्डियन इन्सपेक्शन सर्विस, इन्डियन आर्डिनेंस फैक्टरी सर्विस, इन्डियन सिविल सर्विस आदि सेवाओं में बैठने के योग्य हैं ; और

(ग) क्या इजीनियरिंग सेवा परीक्षा 1972 सम्बन्धी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या एफ 2/7/72 ई० आई० (बी) दिनांक 17 फरवरी, 1973 में उक्त परीक्षा में कृषि इजीनियरिंग स्नातकों के बैठने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) वे सभी प्रकार की ऐसी सेवाओं के लिये पात्र हैं जिनके लिये भर्ती "सयुक्त इजीनियरिंग सेवा" परीक्षा के आधार पर की जाती है ।

(ग) "इंजीनियरिंग सेवा" परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग की डिगरी निर्धारित मूल अर्हता है । इन नियमों में इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है और जिन उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं (कृषि इंजीनियरिंग सहित) की डिगरी हैं वे इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र हैं ।

नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में मैसूर से प्राप्त अभ्यावेदन

6662. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने गोदावरी वेसिन के फालतू पानी को कृष्णा बैसिन में लाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क) मैसूर सरकार ने गंगा कावेरी लिंक (राष्ट्रीय जल ग्रिड) के विषय में सूचना देने का अनुरोध किया है । ऐसी सूचना, जो कार्यालय अध्ययनों के बाद उपलब्ध हुई थी, उनको भेज दी गई है ।

(ख) और (ग) : गोदावरी के अतिरिक्त जल को कृष्णा बेसिन में व्यपवर्तन करने का प्रश्न कृष्णा–गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया गया है ।

उर्वरक परियोजना की स्थापना करने के लिए भारत और कुवैत के बीच समझौता

6663. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु भारत और कुवैत के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) और (ख) : जी हां। 6 अक्तूबर, 1972 को नई दिल्ली में भारतीय प्रतिनिधियों एवं कुवैत शिष्ट मंडल द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ यह भी सहमति व्यक्त की गई थी कि कुवैत में एक संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना की स्थापना के लिये संभावनाओं की खोज की जानी चाहिये। इस संबंध में भारतीय उर्वरक निगम ने कुवैत को प्रारंभिक प्रस्ताव भेजे हैं।

बने बनाये खाने की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान डाइनिंग कारों को पैंटरी कारों से बदलना

6664. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन बने बनाये खाने की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान डाइनिंग कारों को पैंटरी कारों से बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस हेतु फ्रंटीयर मेल और ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में परिवर्तन लाये जा चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो लाये गये परिवर्तन के क्या परिणाम हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पके पकाये भोजन की व्यवस्था करने के लिये कुछ चुनी हुई गाड़ियों में वर्तमान भोजन यानों के बदले पैंट्री यान चलाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) इन परिवर्तनों से चलती गाड़ियों में धोने और पकाने की समस्याओं का अन्त हो गया है और पैंट्री यान स्वच्छ रहते हैं। इससे बैरों और रसोईयों को साफ वर्दी में रहने में भी सहायता मिली है।

संयुक्त क्षेत्र में से नाइलोन फिलामेंट यार्न बनाने वाली परियोजनाएं

6665. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नाइलोन फिलामेंट यार्न का निर्माण करने वाली कितनी परियोजनाओं को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ये परियोजनाऐं कहां कहां स्थापित की जायेंगी और इन पर कितनी कितनी लागत आयेंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तीन।

(ख)

क्रम संख्या	राज्य निगम का नाम	स्थान (राज्यवार)
1.	मैसूर राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम लि० बंगलौर	मैसूर राज्य
2.	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०,चण्डीगढ़	हरियाणा
3.	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि०, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश

2100 मीटरी टन की क्षमता की एक नाइलोन परियोजना के लिये पूंजी लागत का 7 करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया है ।

आसाम में कम्पनियों को प्रदत्त पून्जी

6666. **श्री रोबिन ककोटी :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 के अन्त में आसाम में कुल कितनी प्राइवेट लिमिटेड और जायन्ट स्टाक कम्पनियां चल रहीं थीं ; और

(ख) वर्ष 1971 के अन्त तक इन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी कितनी थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :

(क) 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 वर्षों के अन्त में आसाम राज्य (पुनर्गठन पूर्व) में कार्यरत, हिस्सों द्वारा सीमित जायन्ट स्टाक कम्पनियों की संख्या क्रमश: 396, 409 और 445 थी ।

(ख) 1971–72 के अन्त में, कार्यरत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी रु० 54.5 करोड़ कुल थी ।

Target for Cooking Gas during Fourth Five Year Plan

6667. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state whether Government had fixed any target for the production of cooking gas during the Fourth Five Year Plan and if so, whether the target has been achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : No target was fixed for the production of cooking gas during the Fourth Five Year Plan. The actual Refinery production of L.P.G., during 1969, 1970, 1971 and 1972 is as follows :—

(figs in '000 tonnes)

1969	1970	1971	1972 (Provisional)
127	161	195	227

(The above figures do not include the quantity supplied by ESSO Refinery to Lube India.)

मैसूर में नई सिंचाई एवं बिजली परियोजनाएं

6668. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान मैसूर राज्य के लिये कौन -कौन सी नयी सिंचाई एवं बिजली परियोजनाएँ स्वीकृत की गयीं ;

(ख) इन परियोजनाओं में प्रत्येक के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गयी तथा स्वीकृत की गयी ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) चौथी योजना में मैसूर सरकार के पास अनेक बृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजना कार्याधीन हैं तथा पहले से हाथ में ली गई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है । तो भी, पिछले तीन वर्षों में, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चार नयी मध्यम सिचाई स्कीमों नामशः गुण्डल, तराका, विटेहोल तथा सागरडीडाकेरे, को राज्य की विकासात्मक योजना में सम्मिलित करने के लिये योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है ।

(ख) और (ग) : मैसूर सरकार ने अपनी बृहत सिंचाई परियोजनाओं नामशः अपर कृष्णा, मालाप्रभा, घटाप्रभा चरण-दो तथा हेमवती परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार से 6 साल की अवधि के लिये 30 करोड़ रुपये प्रति वर्ष सहायता देने के लिये अनुरोध किया है । घटाप्रभा और मालाप्रभा परियोजनाओं के लिये 1972-1973 वर्ष के लिये 2.72 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया है तथा यह प्रत्याशा हो कि मैसूर सरकार अपने अनुमानित राज्य योजना संसाधनों में से 1.28 करोड़ रुपये का और माल देगी और इस प्रकार, 1972-73 के लिये राज्य योजना में पहले से परिकल्पित धन व्यवस्था के अतिरिक्त इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिये 2-2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्य का प्रावधान हो जायेगा ।

इस समय, योजना आयोग देश में, ऐसी चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता देने पर विचार कर रहा है, जिनके त्वरित निर्माण से अगले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण योगात्मक सिंचाई शक्यता का निर्माण करने में सहायता मिल सकती है। इस संबंध में मैसूर की कुछ परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है ।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 का उल्लंघन करने के लिए निर्माताओं को व्यापारियों का चालान

6669. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 का उल्लघंन करने के लिये औषध निर्माताओं और व्यापारियों के पृथक पृथक अब तक कितने चालान किये गये हैं;

(ख) कितने मामलो मे दोष सिद्ध हुए और सिद्ध दोष वाली फर्मों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : विभिन्न राज्यों में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 का उल्लघंन करने पर उन मामलों जिन का चालान किया गया था तथा जो दोषी ठहराये गये थे की संख्या इस प्रकार है :

राज्य का नाम	को स्थिति	चालान किया गया	दोषी ठहराये गये मामले
1	2	3	4
महाराष्ट्र	14-7-72	23	8
गुजरात	21-7-72	15	11
तामिलनाडू	19-6-72	–	–
मैसूर	21-6-72	–	–
पश्चिम बंगाल	24-6-72	1	–
आन्ध्र प्रदेश	11-7-72	–	–
हरियाणा	10-8-72	–	–
हिमाचल प्रदेश	16-8-72	–	–
उत्तर प्रदेश	29-8-72	3	3
पंजाब	29-8-72	1	–
मध्यप्रदेश	20-9-72	1	–
उडीसा	30-9-72	–	–
केरल	27-11-72	1	1
जम्मू तथा कश्मीर	7-2-73	–	–
बिहार	19-2-73	–	–
राजस्थान	9-3-73	–	–
दिल्ली	24-2-73	1	1
चंडीगढ	1-7-72	–	–
मणिपुर	29-6-72	–	–
त्रिपुरा	19-6-72	–	–
दादरा तथा नगर हवेली	15-6-72	–	–
अन्दमान	21-6-72	–	–
पांडीचेरी	6-6-72	–	–
गोआ दमन तथा दिऊ	20-6-72		

शेष सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय तथा परिश्रम प्राप्त परिणामों के अनुरुप नहीं होगा ।

मैसर्ज लिजर विमिटे को टेट्रासाईक्लीन ओकसाई टेट्रासाईकलीन के लिए विस्तार लाइसेंस

6670. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी औषध फर्म, मैसर्स फिजर लिमिटेड को इस शर्त पर उत्पादन के कुछ प्रतिशत का निर्यात किया जायेगा, टेट्रासाईक्लाईनाओकसाइ-टेट्राइसाकली इन के उत्पादन में वृद्धि करने का लाइसेंस दिया गया था ।

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस कब दिया गया था और लाइसेंस की शर्तें क्या हैं : और

(ग) क्या फर्म ने उत्पादन का निर्यात करने के संबध में किसी बांड पर हस्ताक्षर किये हैं और यदि नहीं तो क्यों नहीं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स फिजर लि० को टेट्रासाईकनिज़ के निर्माण के पर्याप्त विस्तार के लिये सितम्बर 1965 में औद्योगिक लाईसेंस निम्न प्रकार दिया गया था :–

टेट्रासाईक्लीन	2 मीटरी टन से 3 मीटरी टन
आक्सी टेट्रासाईक्लीन	3 मीटरी टन से 7 मीटरी टन
कुल	5 मीटरी टन से 10 मीटरी टन

उपरोक्त लाइसैन्स निम्न शर्तों पर था :–

(क) अतिरिक्त 5000 किलोग्राम टेट्रासाईकिलीन के निर्माण के लिये कच्चे माल के लिये आवशयक अतिरिक्त विदेशी मुद्रा निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन निर्यात द्वारा उपार्जित की जायेगी ; और

(ख) टेट्रासाईकिलीन के वास्तविक उत्पादन का 52 प्रतिशत 1966-67 से प्रति वर्ष निर्यात किया जायेगा। इसके लिये एक अनुबंध पत्र वाणिज्य मन्त्रालय के परामर्श से दिया जायेगा।

जुलाई 1967 में मसस फाईजर को निम्न प्रकार पर्याप्त विस्तार के लिये एक औद्योगिक और लाईसैंस दिया गया था :–

टेट्रासाईकलिन	3–5 मीटरी टन
आक्सीटेट्रासाईकलिन	7–9 मीटरी टन
कुल	10–14 मीटरी टन

जुलाई 1967 में दिया गया लाईसैंस निर्यात की निम्न शर्तों पर था :–

(क) टेट्रासाईक्लिन का 10 मीटरी टन से अधिक उत्पादन निर्यात किया जायेगा जब तक क सरकार उसका कुछ भाग देश में बेचने के लिये पूर्व अनुमति नहीं देती। पहले वर्ष में चार टन अवश्य नर्यात किये जायेंगे।

(ख) दूसरे वर्ष से लेकर टेट्रासाईक्लिन की निर्यात वास्तविक मात्रा के निरपेक्ष 15 लाख रुपये का कुल निर्यात टेट्रासाईक्लिन और अन्य भेषजों के पांच वर्षों के औसतन के रुप में, अवश्य किया जाना था। 15 लाख रुपये का यह निर्यात, निर्यात की विद्यमान सतह के ऊपर होगा।

(ग) टेट्रासाईक्लिन की 10 मीटरी टन की आरम्भिक क्षमता के 25 प्रतिशत मूल्य में, के निर्यात की प्रतिज्ञा रहती है। परन्तू टेट्रासाईक्लिन व अन्य भेषजों के निर्यात पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि 2500 किलोग्राम टेट्रासाईक्लिन का कुल मूल्य परिक्लन घटक होगा।

सितम्बर 1965 में दिये गये लाईसैंस की शर्त के सन्दर्भ में मैसर्स फाईजर ने अब तक कोई निर्यात अनुबन्ध पत्र नही दिया है। जब अगस्त 1971 में पार्टी के साथ यह विषय उठया गया था पार्थी ने कहा कि अनुबन्ध पत्र के दिये जाने के बिना ही उन्होंने लाईसैंस में लगाये गये निर्यात दायित्व को पूरा किया है। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के साथ सलाह की गई थी और उसका विचार था कि 1964-65 में बताये गये निर्यात दायित्व 1972 में जारी नहीं रखा जा सकता विशेषतः जब पार्टी ने कहा है कि उन्होने निर्यात दायित्व को पहले ही निभाया है। जहां तक जुलाई 1967 में दिये गये औद्योगिक लाईसैन्स का सम्बन्ध है वह अनुबन्ध पत्र के दिये जाने की शर्त पर नहीं था।

निर्यात की गई औषधियां और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा

6671. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में प्रत्येक औषधि निर्माता फर्म (जो डी०जी०टी० डी० के रजिस्टरों में दर्ज है) ने वर्ष 1970–71 और 1971–72 में अलग अलग 'बल्क' तथा तैयार औषधियां और अन्य मदों सहित कितनी मात्रा में औषधियों का निर्यात किया ;

(ख) उन औषधियों के नाम और नौतल पर्यन्त निशुल्क मूल्य क्या है और उन्हें किन किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ग) जिन औषधियों को निर्यात किया गया उन्हें तैयार करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का आयात किया गया और निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(घ) उक्त अवधि में प्रत्येक फर्म के निर्यात के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) : एक विवरण पत्र संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4780/73) इसमें संगठित क्षेत्र के कुछ यूनिटों के नाम, निर्यातित वस्एंतु, 1970–71 और 1971–72 में निर्यात का मूल्य, तथा मुख्य देशों के नाम जिन्हें ये निर्यात की गई है, दिया गया है।

शेष विस्तृत सूचना के एकत्र करने में बहुत अधिक समय और मेहनत लगेगी जिसकी अपेक्षा इसका परिणाम नगण्य होगा।

त्रिवेन्द्रम जिले के लघु उद्योगों में लगे लोगों को माल डिब्बे मिलने सम्बन्धी कठिनाइयां

6672. **श्री बायालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम जिले के लघु उद्योगों में लगे लोगों को रेलवे बुकिंग की अनुमति लेने तथा अपने माल को केरल और तमिलनाडू के विभिन्न भागों में भेजने हेतु माल डिब्बे प्राप्त करने में विलम्ब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे बुकिंग की इन कठिनाइयों के फलस्वरूप लघु उद्योग में लगे लोगों के बीच बहुत बेरोजगारी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : तिरुवनन्तपुरम जिले के विभिन्न कुटीर उद्योगों से नारियल जटा की डोरी और पत्तों की चटाइयों का यातायात परिवहन के लिए तिरुवनन्तपुरम स्टेशन पर आता है ।

इस यातायात की निकासी साथ के साथ की जा रही है 11 जनवरी से 20 मार्च, 1973 तक की अवधि में नारियल जटा और चटाइयों के 54 डिब्बे लादे गये जबकि 57 माल डिब्बों की मांग की गयी थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम के निकट कडाकवुर रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल का निर्माण

6673. **श्री वायालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम के निकट कडावुकर रेलवे फाटक पर प्लेटफार्म वाला एक ऊपरी पुल तथा एक ऊपरी पुल का निर्माण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) प्राप्त अभ्यावेदन कादाकावूर रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्म पर एक ऊपरी पैदल पुल और वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में था ।

पटरी के स्तर के दूसरे द्वीप प्लेटफार्म से सम्बन्धित काम का प्रस्ताव कोल्लम तिरुवनन्तपुरम खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने से सम्बन्धित । एक प्लेटफार्म को दूसरे प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं समझा जाता ।

कि० मी० 795/10–11 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने का काम जो 1973–74 के बजट में शामिल किया जा चुका है और इस काम को राज्य सरकार के परामर्श से, विस्तृत योजना और अनुमानों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद दिया जायेगा । राज्य सरकार को इस सम्बन्ध म लिखा जा चुका है ।

Platforms without sheds on Northern Railway

6674. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of stations on Northern Railway at present where platforms are without sheds ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): 1043.

Platforms without sheds on North Eastern Railway

6675. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of stations on North Eastern Railway at present where the platforms are without sheds ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): 438.

Incidents of Theft of Railway Property on Eastern Railway

6676. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleaseed to state :

(a) the number of incidents of theft of Railway Property, with value, registered in the Eastern Railway during the last three months; and

(b) the number of persons against whom cases have been registered in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Sixty four cases of thefts of Railway property were registered during the last three months i.e. January, 73 to March, 73 on the Eastern Railway.

The value of property involved in these thefts was Rs. 1,14,954.

(b) Cases have been registered against 46 persons in this regard.

Amount Realised from Ticketless Passengers on Western Railway

6677. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of penalty and fare charged from Ticketless passengers detected on Western Railway during the last three months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): The amount of penalty and fare recovered from ticketless travellers apprehended on Western Railway during the last three months i.e. December, 1972 to February, 1973 were as under :

Rs. 4,85,843 as penalty.

Rs. 2,40,405 as fare.

73—M/S4LSS—6

टाटा तथा बिड़ला के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उनके और उनके परिवारों के सदस्यों के शेयर

6678. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में श्री टाटा के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्री टाटा तथा उनके परिवार के सदस्यों के कुल कितने मूल्य के शेयर थे ;

(ख) वर्ष 1969 में श्री बिड़ला औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्री बिड़ला और उनके परिवार के सदस्यों के कितने मूल्य के शेयर थे ; और

(ग) टाटा और बिड़ला बन्धुओं के अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस समय कुल कितने मूल्य के शेयर है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना संग्रहीत की जा रही है । और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

देश के गांवों का विद्युतीकरण

6679. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सारे गावों का किस वर्ष तक विद्युतीकरण हो जायेगा ; और

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश के सारे गावों का किस वर्ष तक विद्युतीकरण ही जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : 1966-67 से देश भर में ग्राम विद्युतीकरण की स्कीमों में कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिये, पम्प सैटों के उर्जन पर बल दिया जा रहा है । गांवों का विद्युतकरण इस कार्यक्रम का एक पुरक अंग है । उतर प्रदेश तथा समस्त देश में गावों के विद्युतीकरण तथा पम्पो के उर्जन की 28-2-1973 की स्थिति नीचे दी गई है :–

राज्य का नाम	गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	प्रतिशत	उर्जित सेटों की संख्या
बिहार	67,665	8,929	13.1	84,277
उत्तर प्रदेश	1,12,624	26,185	23.2	1,92,964
अखिल भारत	5,66,878	1,34,160	23.6	21,37,013

दशाब्द 1971-81 के लिए तैयार की गई ग्राम विद्युतीकरण की संदर्शी योजना के अनुसार यह परिकल्पना की गई है कि 1981 तक प्रत्येक राज्य में कम से कम 50% गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो ।

सम्पूर्ण देश के गांवों, जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव भी शामिल है, का विद्युतिकरण किस समय तक हो जाएगा यह पांचवीं तथा अनुवर्ती योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है ।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1971-72 के दौरान वेगनों से कोयले की चोरी

6680. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1971–72 के दौरान रेलवे वैगनों से कितनी मात्रा में कोयले की चोरी हुई ;

(ख) क्या इन राज्यों में कोयले से भरे वैगनों में से प्रति दिन बड़ी मात्रा में कोयले की चोरी हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कोयले की इस चोरी की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1971 और 1972 में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में रेलवे के मालडिब्बों से जो कोयला चोरी से उठा लिया गया उसकी मात्र निम्नलिखित तालिका में दी गयी है :—

वर्ष	राज्य	चोरी से उठाये गये कोयले की मात्रा
1971	उत्तर प्रदेश	1341 कि० ग्रा०
1972	उत्तर प्रदेश	2089 ,,
1971	हरियाणा	446 ,,
1972	हरियाणा	721 ,,
1971	राजस्थान	1816 ,,
1972	राजस्थान	175 ,,
1971	पश्चिम बंगाल	596305 ,,
1972	पश्चिम बंगाल	3046913 ,,

नोट : उपर्युक्त आंकड़े पकड़े गये मामलों के आधार पर हैं ।

(ख) जी नहीं । ढोये गये कोयले की तुलना में चोरी से उठाये गये कोयले की मात्रा नगण्य है ।

(ग) रेलों पर कोयले की उठाईगीरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) बुक किये गये परेषणों, जिनमें कोयला भी शामिल है, की हिफाजत के लिए यार्डों, मालगोदामों ग्रौर पार्सल कार्यालयों में ग्रापराधिक हस्तक्षेप के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी रात दिन पहरा देने के लिए तैयार किये गये हैं।

(2) ग्रपराधियों ग्रौर उनकी गतिविधियों पर लगातार चौकसी रखी जाती है।

(3) ग्रपराधियों की रोकथाम के लिए मुख्यालयों ग्रौर मंडलों में केन्द्रीय ग्रासूचना ब्यूरो द्वारा नियमित रुप से ग्रपराध ग्रासूचना इकट्ठी की जाती है।

(4) चोरी की सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों पर गुप्त रुप से निगाह रखी जाती है।

(5) चोरी से दुष्प्रभावित खंडों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा माल गाड़ियों पर मार्ग रक्षी व्यवस्था की जाती है।

(6) चोरी से दुष्प्रभावित ग्रौर मेध ग्रौर ग्रपराध के लिए कुख्यात खंडों में वर्दी वाले ग्रौर सशस्त सकन्ध के कर्मचारियों द्वारा गश्त लगायी जाती है।

(7) यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय पर्याप्त ग्रौर कारगर हों, रेलवे सुरक्षा दल के पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा बार बार ग्रचानक जांच की जाती है।

(8) उपराधियों/चुरायी गयी रेल सम्पति वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रेल सम्पति (विधि विरुद्ध कब्ज़ा) ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत रेलवे सुरक्षा दल में निहित शक्तियों का पूरा प्रयोग किया जाता है।

बिहार ग्रौर मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण के लिए नया मण्डल

6681. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार ग्रौर मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनों पर सर्वेक्षण कार्य करने के लिए तथा इन दो राज्यों में रेलवे लाइनों को दोहरा करने के लिए एक नया मण्डल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहमम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : जी नहीं। सर्वेक्षण दलों की नियुक्ति तब की जाती है जब नयी लाइनों के लिए, दोहरी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने की जरुरत होती है। ऐसे सर्वेक्षण बिहार ग्रौर मध्य प्रदेश में पहले से ही किये जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के रतलाम मण्डल के लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6682. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के लोको कर्मचारयों ने मार्च, 1973 के तीसरे सप्ताह में हड़ताल की थी ग्रौर यदि हां, तो हड़ताल करने के कारण क्या हैं ; ग्रौर

(ख) इस विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 8-3-73 को, लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग ने अपने को बीमार बताकर छुट्टी लेना अथवा दिन-प्रतिदिन के आधार पर ऊंचे पदों पर काम करने से इनकार करना शुरु कर दिया और यह प्रवृत्ति 16-3-73 तक जारी रही उनकी मुख्य मांग यह थी कि ऊंचे ग्रेडों में स्थानापन्न व्यवस्थाएं नियमित पदोंन्नतियों के आधार पर की जानी चाहिए, न कि दिन-प्रतिदिन के आधार पर ।

(ख) रेल प्रशासन, इस दिशा में पहले ही कारवाई शुरु कर चुका था । यह स्थिति हड़ताली कमचारियों को स्पष्ट कर दी गयी थी और उन्हें यह भरोसा भी दिया गया था कि तत्सम्बन्धी कार्यवाही को शीघ्र अति शीघ्र अन्तिम रुप दे दिया जायेगा ।

अमरीकन कुमट्ट द्वारा एण्टीबायोटिक्स के मूल्यों में गड़बड़ी

6683. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेनेटर केफनवार समिति ने भारत में कुछ अमरीकन फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर एण्टीबायोटिक्स के मूल्यों में गड़बड़ी करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर जीवनदायी औषधियों के मामले में इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) : रिपोर्ट, जिसका 1961 में प्रकाशन हुआ था, में उल्लेख था कि ब्राइस्पैक्ट्रम एण्टीवायटिक्स, आरोमाइसीन एवं एकोमाइसीन के विश्व में प्रचलित मूल्यों की तुलना में भारत में सबसे अधिक मूल्य है ।

(ख) अधिकतम मूल्यों, जिनपर कुछ औषधियों का आयात किया जा सकता है को आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तिका (इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल बुक) में उल्लेख किया गया है । राज्य व्यापार, निगम लि० के माध्यम से कई औषधियों के आयात को सारणीबद्ध किया गया है और सारणीबद्ध योजना के अन्तर्गत समय पर औषधियों की राशियों का पुनरीक्षण एवं परिवर्धन किया जाता है ।

बिलासपुर डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में वाणिज्यिक निरीक्षकों और सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां

6684. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर डिवीजन में सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों के छ: पदों में से तीन पद डी० एस० बिलासपुर के पत्र सं० ई/99/कोम/एसीआई/7, दिनांक 14-1-72 के अनुसार डिवीजनल कार्यालय के कार्यालय क्लर्कों से भरे गए हैं ?

(ख) क्या 250—380 (ए) रुपये के वेतनक्रम के वाणिज्यिक निरीक्षक के एक पद पर और 205—280 (ए) रुपये के वेतनक्रम के सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों के दो पदों पर, जो जी०

एम० के अनुसार ए० ए० एण्ड सी० ए० ओ०, दक्षिण-पूर्व रेलवे की सहमति से, मंजूर किए गए थे अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) : मुख्यालय कार्यालय द्वारा मंडलीय स्तर पर वर्तमान मंजूरी के अलावा 250—380 रु० के ग्रेड में वाणिज्यिक निरीक्षक का एक पद और 205–280 रु० के ग्रेड में सहायक : वाणिज्यिक निरीक्षक के दो पद मंजूर किये गये थे। इन पदों के प्रवर्तन के संबंध में एक सन्देह था। उसे सुलझा लेने के बाद इन अतिरिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की गयी है।

यात्रा नकदी सेफ में स्टेशनों पर हुई आय की सुरक्षा

6685. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पश्चिम रेलवे द्वारा मीटर गेज वाले स्टेशनों पर प्रयोग में लाये जाने वाले यात्रा नकदी सेफ दोषपूर्ण हैं और चमड़े के मुहरबंद नकदी थैलों को, जिनमें स्टेशनों की आय होती है, इन सेफों से निकाला जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशासन ने इनको बदलने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ग) पश्चिम रेलवे के अजमेर कैश कार्यालय में 1969–72 वर्षों के दौरान यात्रा नकदी सेफ में से कितने मुहरबंद नकदी थैले गुम पाये गये और इस संबंध में सहकारी रेलवे पुलिस, अजमेर के पास कितनी शिकायतें दर्ज करायी गयीं ; और

(घ) कितने मामलों में चोरियों का पता लगाया गया तथा कितनों में पता नहीं लगा और पता न लग सके मामलों से सरकार को कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1969 से 1972 तक के वर्षों के दौरान चल तिजोरी में बारह नकदी-थैले नहीं पाये गये जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जमा कराये गये थे। इन सभी मामलों में सरकारी रेलवे पुलिस को शिकायतें दर्ज करा दी गयी थीं।

(घ) किसी चोरी का पता नहीं चला है। सभी बारह गुमशुदा थैलों का पता नहीं चल सका है। इन गुमशुदा थैलों के कारण 12,171.77 रुपये का नुकसान हुआ है।

रोहतक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नम्बर 2 और 3 पर शेड का विस्तार तथा पैदल पुल को ऊपर से ढकना

6686. **श्री दलीप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक रेलवे स्टेशन पर योजनानुसार प्लेटफार्म नम्बर 2 और 3 पर शेड का विस्तार किया गया है तथा पैदल पुल को ऊपर से ढक दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन कारणों से इस कार्य की मूल आवश्यकताओं को पूरा न करके अ कार्य किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) प्लेटफार्म 2 और 3 की छत को बढ़ा दिया गया है। ऊपरी पैदल पुल पर छत डालने का काम हाथ में है और शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोहतक में 369 अप रेलगाड़ी का समय पर पहुंचना

6687. **श्री दलीप सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहतक में 369 अप रेलगाड़ी के समय पर पहुंचने की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) दिल्ली और रोहतक स्टेशनों के बीच गत एक वर्ष के दौरान रेलगाड़ी के समय पर ना चलने के बारे में कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1972–73 में 369 सवारी गाड़ी का ठीक समय पर अथवा 15 मिनट तक की देरी से रोहतक पहुंचने का प्रतिशत लगभग 26 रहा।

(ख) इस अवधि में गाड़ी के देर से चलने के बारे में बहादुरगढ़ में एक शिकायत दर्ज की गयी थी।

(ग) उत्तर रेलवे ने इस गाड़ी के समयपालन में सुधार लाने के लिए इसके चालान पर दिन प्रति दिन निगरानी रखने और भी परिहार्य अवरोधों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने की दिशा में कदम उठाये हैं।

सांपला स्टेशन में बुकिंग आफिस के देर से खुलने तथा मासिक पास देने से इंकार करने के बारे में शिकायत

6688. **श्री दलीप सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांपला स्टेशन पर वर्ष 1972–73 के दौरान बुकिंग आफिस के देर से खुलने तथा यात्रियों को मासिक पास देने से इंकार करने की कितनी शिकायतों को दर्ज किया गया है ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सांपला में टिकट घर के देर से खुलने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन मासिक सीजन टिकटों के जारी करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में एक शिकायत दर्ज करायी गयी है।

(ख) सांपला स्टेशन पर मासिक सीज़न टिकट जारी करने के समय में समुचित परिवर्तन कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कठिनाई न हो।

दिसम्बर, 1972 के बाद, जब से समय में परिवर्तन किया गया है, कोई शिकायत नहीं मिली है ।

रेलवे यात्रियों के लिये बीमा योजना

6690. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच लम्बी दूरी के रेलवे यात्रियों के लिए दुर्घटनाओं आदि के लिए बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि हां, तो इसको कब तक लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : मामला अभी भी विचाराधीन है ।

बच्चों के लिए रेलगाड़ी

6691. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व प्रत्येक राज्य को बच्चों के लिए एक रेलगाड़ी देने के बारे मे निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनको बच्चों के लिए रेलगाड़ी दी गई है तथा ऐसी प्रत्येक रेलगाड़ी का कितना मूल्य लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक बच्चों की गाड़ियां निम्न लिखित राज्यों को सप्लाई की गयी हैं :–

गुजरात, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान ।

यह गाड़ी मुफ्त दी जाती है, लेकिन रेल पथ बिछाने और शेडों और स्टेशनों की व्यवस्था का खर्च राज्यों को सहन करना पड़ता है । परिचालन और अनुरक्षण का खर्च भी राज्यों द्वारा उठाया जाता है ।

कर्मचारी रहित रेलवे फाटक

6692. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभि न रेलवेज में जोन-वार कुल कितने रेलवे फाटक अभी तक कर्मचारी रहित हैं; और

(ख) उन पर कब तक कर्मचारी नियुक्त किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद फी कुरेशी) : मार्च, 1972 के अन्त तक बिना चौकीदार वाले "सी" श्रेणी के 21,640 समपार थे । रेलवे वार स्थित इस प्रकार है :–

मध्य	1018
पूर्व	796

उत्तर	3211
पूर्वोत्तर	1870
पूर्वोत्तर सीमा	1370
दक्षिण	3126
दक्षिण-मध्य	2050
दक्षिण पूर्व	3298
पश्चिम	4901

(ख) ग्राम तौर पर, जिन समपारों पर रेल ग्रौर सड़क दोनों तरह का यातायात ग्रधिक रहता है ग्रौर/ग्रथवा दृष्यता सीमित होती है, वहां यातायात की संगणना के ग्राधार पर ग्रथवा राज्य सरकार सड़क ग्रधिकारियों का ग्रनुरोध प्राप्त होने पर चौकीदार की व्यवस्था कर दी जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है ग्रौर जब भी ग्रावश्यक होता है, कार्यवाही की जाती है ।

डिब्रुगढ़ में रेलवे वर्कशाप तथा रेलवे ग्रस्पताल का विकास

6693. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की डिब्रुगढ़ में रेलवे वर्कशाप तथा रेलवे ग्रस्पताल का विकास करने की कोई योजना है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ग्रौर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 1.97 लाख रुपये की ग्रनुमानित लागत से डिब्रूगढ़ कारखाना में क्रेनों के ग्रावधिक ग्रोवर हाल की सुविधाग्रों में विकास की एक योजना है। जहां तक ग्रस्पताल का प्रश्न है, कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है जो ग्रभी प्रारम्भिक स्थिति में है ग्रौर यातायात है ग्रौर साधन उपलब्ध होने पर उन्हें यथा समय ग्रन्तिम रूप दे दिया जावेगा :

उत्तर प्रदेश में ग्रागरा जिले के गांव का विद्युतीकरण

6694. **डा० गोन्विद दास रिछारिया :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रागरा जिले के बाह्य विकास खण्ड ग्रौर जैतपुर कलाँ विकास खंड में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कितने गांवों का ग्रब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) उपरोक्त विकास खण्डों में 1,000 से ग्रधिक जनसंख्या वाले ऐसे कितने गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(ग) इन गांवों के विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने आगरा जिले के डाकू ग्रस्त सभी गांवों में विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु विशेष सहायता की मांग की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है --

विकास खण्ड का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत न हुए गांवों की संख्या	1,000 और इससे ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों की संख्या जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ
बाह	27	11	2
जतपुर कलां	28	16	8

(ग) ग्राम विद्युतीकरण के लिए कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार तथा निष्पादित किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण की गति को तेज करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम, से, जो केन्द्रीय सैक्टर में स्थापित किया गया है, योगात्मक वित्त की व्यवस्था की जाती है। निगम ने आगरा जिले में 48.02 लाख रुपये की ऋण सहायता से 68 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 645 पम्प सैटों के ऊर्जन के लिए एक स्कीम स्वीकृत की है।

Electrification of Villages in Jhansi District/U.P.

6695. Dr. Govind Das Richharia: Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the number of vaillges in Jhansi District in Uttar Pradesh electrified so far and the number of villages still to be electrified;

(b) the number of the villages in Jhansi District whose population is more than 1,000 which have not been electrified so far ;

(c) the criteria for electrification of a village;

(d) whether Government propose to relax the criteria for electrification villages in Bundelkhand in view of the backwardness of the region; and

(e) the number of the villages in Bundelkhand region proposed to be electrified during the next financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and **Power (Shri Balgovind Verma)** : (a) Out of 1,461 villages in Jhansi District of Uttar Pradesh, 113

villages have been electrified upto February, 1973, leaving 1,348 villages which remain to be electrified;

(b) 152 villages having a population of 1,000 and more in Jhansi District have not been electrified so far ;

(c) and (d) As intimated by the Uttar Pradesh State Electricity Board normal criteria for electrification of inhabited areas in villages requires gross annual minimum return of 15 per cent on the capital expenditure. Howevre in view of the backwardness of Bundelkhand region, the gross annual return has been reduced to eight percent; and

(e) The State Electricity Board propose to electrify 130 villages in Bundelkhand region during the year 1973-74. The names of the villages programmed to be electrified have not been finalised so far.

Electrification of Villages in Gurdaspur

6693. Shri Prabodh Chandra : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the number of villages in Gurdaspur District electrified and the number of villages still to be electrified;

(b) the number of the villages in the said District whose population is more than 1,000 and which have been not electrified so far and the reasons therefor; and

(c) the time by which those villages are likely to be electrified ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Bal Govind Verma) : (a) Out of 1,500 villages in Gurdaspur district, 910 villages have been electrified upto February 1973, leaving 590 villages still to be electrified;

(b) & (c) Out of 168 villages having a population of 1,000 and above in Gurdaspur district, 144 villages have been electrified upto February, 1973. 8 such villages are programmed to be electrified during 1973-74.

The Rural Electrification Corporation which was set up in Central Sector in July, 1969, provides additive finances for the implementation of rural electrification schemes of State Electricity Boards. The Corporation has so far sanctioned three rural electrification schemes of Gurdaspur district envisaging loan assistance of Rs. 142·997 lakhs for the electrification of 291 new villages. These schemes are phased to be completed in a period of 3 to 5 years.

The programme of village electrification is phased for implementation on year to year basis depending upon the resources available with the State Government. Electrification of all villages in Gurdaspur district will depend upon the finances made available in the Fifth Plan.

Electrification of Harijan Villages in Bah Development Block and Jaitpur Development Block in Agra

6697. Dr. Govind Das Richharia : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of Harijan villages in Bah Development Block and Jaitpur Development Block in Agra District of Uttar Pradesh which have not been electrified so far ;

(b) the number of villages in the aforesaid Development Blocks electrified during the last three years, year-wise; and

(c) the number of villages proposed to be electrified during the Current financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Bal Govind Verma) : (a) As intimated by Uttar Pradesh State Electricity Board, 7 Harijan Bastis in Bah Development Block and 8 Harijan Bastis in Jaitpur Development Block have not yet been electrified.

(b) The number of villages electrified in these two blocks during the last three years is given below :

Development Block	1970-71	1971-72	1972-73	Total
Bah	3	9	5	17
Jaitpur Kalan	4	6	5	15

(c) The State Electricity Board propose to electrify about 60 villages in Agra District during 1973-74. Block-wise details have not been finalised so far.

Survey in Ladakh For Exploration of Raw Material

6698. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a survey has been conducted in Ladakh (Jammu and Kashmir State) for the exploration of raw material for production of chemicals; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) As a result of surveys carried out so far by the Geological Survey of India, occurrence of about 5400 tonnes of crude borax and 0·2 million tonnes of sulphur rock at Pugga has been estimated. Further investigation for sulphur and borax is scheduled to be taken up by GSI in the current field season.

उत्तर रेलवे मुख्यालय के टी० ग्रार० ए० ग्रौर कोचिंग सेक्शन (ग्रोपरेटिंग) से स्टाफ का स्थानान्तरण

6699. **श्री ग्रार० वी० बड़े** : क्या रेल मंत्री टी० ग्रार० ए० सैक्शनों (ग्रोपरेटिंग), उत्तर रेलवे मुख्यालय के स्टाफ के विरूद्ध शिकायतों के बारे में 28 नवम्बर, 1972 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 2123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा, व्याह, ग्रौर छात्र दलों के सामान की ढुलाई से संबंधित स्टाफ का ग्रापने कर्तव्यों के निर्वहन में जनता से सम्पर्क बनता है ग्रौर वे ग्रनेक वर्षों से उसी सैक्शन में बने हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि उत्तर रेलवे मुख्यालय की परिचालन शाखा के सी ए बी/टी/ग्रौर ए सैक्शनों में काम करने वाले स्टाफ को सामान्यान्तर में बदल दिया जाये ताकि भ्रष्टाचार न हो : ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति के ग्रनुसरण में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : सवारी डिब्बों एवम् स्थान का ग्रावंटन ग्रधिकारियों द्वारा किया जाता है ; लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को केवल ग्रनुवर्ती प्रबन्ध करने पड़ते हैं। ग्रतः इन ग्रनुभागों में लगे कर्मचारियों का जनता से सीधा सम्पर्क नहीं होता। उनका नियमित रूप से ग्रावधिक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। फिर भी, जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतें मिलती हैं, तो मामले की जांच-पड़ताल की जाती है ग्रौर यथावश्यक कार्यवाही की जाती है।

भारतीय रेलवे संहिता का उल्लंघन करने के बारे में ग्रखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन से प्रतिवेदन

6700. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री ग्रोंकार लाल बेरवाः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1973 में ग्रखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन से भारतीय रेलवे के लेखा विभाग द्वारा भारतीय रेलवे संहिता के ग्रध्याय 10 के पैरा 1002 के उपबंध का उल्लंघन करने के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुग्रा है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ग्राल इण्डिया रेलवे कार्मशियल क्लर्कस एसोशिएशन की ग्रोर से दिनांक 21-12-72 का एक ग्रभ्यावेदन मिला था।

(ख) मामला विचाराधीन है।

मिट्टी के तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

6701. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश को मिट्टी के तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : शोधनशालाओं में कच्चे तेल को साफ करते समय, मिट्टी का तेल मध्यवर्ती आसुत के रूप में प्राप्त होता है। शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले समस्त पैट्रोलियम उत्पादों के बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु, देश की कुल शोधनशाला क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। शोधनशाला प्रक्रिया में जहां कहीं सम्भव हो, कीमती मध्यवर्ती आसुतों तथा मिट्टी के तेल का अधिकतम उत्पादन करने हेतु विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

पांचवी योजना के दौरान नई रेलवे लाइनों की किलोमीटरों में लम्बाई

6702. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना के दौरान, जोनवार, बिछाई जाने वाली प्रस्तावित नई रेलवे लाइनों की किलोमीटरों में कितनी लम्बाई होगी ; और

(ख) किस जोन को प्राथिमिकता दी जायेगी।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनायी जाने वाली नयी रेलवे लाइनों की किलोमीटर लम्बाई (क्षेत्रवार) के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली की सप्लाई

6703. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल उर्वरक कारखाने में बिजली की आवश्यकता कितनी है और इस समय कितनी बिजली सप्लाई की जाती है ;

(ख) नंगल उर्वरक कारखाने में बिजली की सप्लाई से कितनी बचत होती है तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ; और

(ग) नंगल उर्वरक कारखाने और पंजाब में गैर सरकारी उद्योगों को बिजली की सप्लाई पुनः आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) नंगल उर्वरक कारखाने की दैनिक पूरी मांग 164 मैगावाट (3.95 मिलियन यूनिट) है और इस समय उसे 10-2-1973 से 60 मैगावाट (1.44 मिलियन यूनिट) की सप्लाई की जा रही है।

(ख) 164 मैगावाट तथा 98 मैगावाट की बचत भाखड़ा परियोजना के सभी भागीदार राज्यों के मध्य उनके भाग अनुसार वितरित कर दी जाती है और 98 मैगावाट तथा 60 मैगावाट को बचत केवल हरियाणा और पंजाब को उनके भाग के अनुपात में दी जाती है।

(ग) मानसून के प्रारम्भ होने और राणाप्रताप परमाणु विद्युत परियोजना तथा बदरपुर के नए उत्पादन यूनिटों के चालू हो जाने के बाद विद्युत सप्लाई के फिर चालू हो जाने की आशा है ।

जापान के सहयोग से पांच उर्वरक कारखानों की स्थापना में बिलम्ब

6704. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जापान को टोयो के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले पांच उर्वरक कारखानों की स्थापना में विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : इस संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है । इस मामले में जापान के सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ आगे बातचीत करने के लिए एक सरकारी दल जापान का इस समय दौरा कर रहा है ।

चिक्काहोल बांध (मैसूर) के टूटने के बारे में जांच

6705. **श्री एस० एम० सिद्धिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही मैसूर जिले में चिक्काहोल बांध के टूटने के बारे में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से जांच करने के आदेश दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ; और

(ग) इस समिति के निदेश पद क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) : मैसूर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सेवा निवृत सदस्य श्री पी० एम० माने को चिक्काहोल बांध में दरार पड़ने के कारणों की जांच करने के लिए एक-सदस्य जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है ।

(ग) आयोग के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(1) अभिकल्प, अन्वेषण, निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन इत्यादि म त्रुटियां, अगर कोई हों, के सहित, बांध में दरार के कारणों का निर्धारण करना ।

(2) उपर्युक्त के संबंध में जिम्मेदार ठहराना ।

पेनानगुजी रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाना

6706. **श्री बयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पेनानगुजो रेलवे स्टेशन पर होने वाली आय में हाल ही में पर्याप्त वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्टेशन को झंडी स्टेशन में बदलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक किए जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत दो वर्षों की तुलना में 1971–72 में पेरुंगषि हाल्ट स्टेशन पर बुक किये गये यात्रियों की संख्या और उनसे हुई आमदनी में वृद्धि हुई है। 1971–72 को समाप्त होने वाले ग त पांच वर्षों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

वर्ष	बुक किये गये यात्रियों की संख्या	आमदनी
1967–68	69,431	27,179
1968–69	61,309	28,468
1969–70	54,125	24,888
1970–71	50,108	23,878
1971–72	57,458	28,825

(ख) इस हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बलदने में 2,42,000 रुपये पूंजीगत व्यय होगा और प्रति वर्ष 53,000 रुपये से अधिक आवर्ती खर्च आयेगा। इसके अलावा इस पर उपर्युक्त खर्च पार्सल और माल यातायात को कम सम्भावनाओं के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 17,000 रुपये से अधिक की वित्तीय हानि होगी। अत: इस प्रस्ताव को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं है।

वर्ष 1957–58 के बाद बने बांधों का ढह जाना

6707. **श्री एस० एम० सिद्धिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1957-58 से लेकर अब तक देश में निर्मित कितने बांध टूट गए अथवा क्षतिग्रस्त हुए ;

(ख) इन बांधों में प्रत्येक बांध पर कुल कितनी निर्माण लागत आई ; और

(ग) इन बांधों के पुनर्निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई अथवा खर्च करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) : कृषि राज्य विषय है और बांधों आदि का अन्वेषण, निर्माण, प्रचालन और रख रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ऐसे बाधों संबंधी सूचना जहां 1957–58 से लेकर खराबी या क्षति हुई है। जैसी कि केन्द्र के पास उपलब्ध है संलग्न विवरण में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4781/73]

रेलगाड़ी के साथ चलने वाले संगचल श्रमले के लिए लाइन पर विश्राम यान तथा चालक यान

6708. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में रेलगाड़ी के साथ चलने वाले संगचल श्रमले के लिए लाइन पर विश्राम-यानों तथा चालक यानों का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक यान में किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या उनमें प्रदत्त सुविधाएं पर्याप्त हैं और यदि नहीं तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) मानक विश्राम एवं कर्मी दल यानों में जिन सुविधाओं की व्यवस्था है उनमें रसोई, स्नानघर, शौचालय और शायिकाएं भी शामिल हैं ।

(ग) इन यानों में विश्राम करने वाले कर्मियों को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, लेकिन अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने में भारी आवर्ती खर्च होगा ।

मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने का निर्माण करने में अन्य देशों से सहयोग

6709. **श्री के० मालन्ना** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखाने के निर्माण में अन्य देशों का विशेष सहयोग प्राप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनसे किस प्रकार का सहयोग मांगा गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : मथुरा शोधनशाला परियोजना के कार्यान्वियन करने की विभिन विधियां विचाराधीन हैं । इस परियोजना के लिये आवश्यक सहायता और सहयोग मुख्य रूप से परियोजना के लिए आवश्यक यंत्र और सामग्री के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त कुछ लाइसेन्स शुदा प्रक्रम रायल्टी की अदायगी या प्रक्रम फी के दिये जाने पर प्राप्त करनी होगी । अनुभवी और विख्यात विदेशी इंजीनियरिंग सलाहकारी से सहायता की भी आवश्यकता होगी । परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है कि एक भाग को पूरा करने के लिये कच्चे तेल के रूप में विदेशी मुद्रा ऋण ईराक से प्राप्त किया जा रहा है । यू० एस० एस० आर० से प्रक्रम जानकारी तकनीकी सहायता और यंत्र व सामग्री की सप्लाई की संभावनाओं की भी जाँच की जा रही है ।

कानपुर और लखनऊ के बीच रेलवे टिकट घोटाला

6710. **श्री शशिभूषण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कानपुर और लखनऊ के बीच रेलवे टिकटों संबंधी घोटाला चल रहा है और पुरानी टिकटों को बार-बार उपयोग में लाया जा रहा है ;

(ख) क्या इसमें रेलवे चल टिकट परीक्षकों का हाथ है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन, रेलों द्वारा दी गयी सूचना के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली टिकट छापने वाले कानपुर के पाँच व्यक्तियों को पकड़ा है। एक और मामले की जांच की जा रही है।

(ख) इनमें से किसी भी मामले में चल टिकट परीक्षकों का सम्बन्ध दिखायी नहीं देता।

(ग) निगरानी रखी जायेगी।

भारतीय रेलवे में लेखा अधिकारियों के कार्यों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की टिप्पणियां

6711. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग भारतीय रेलवे में लेखा अधिकारियों के कार्य के बारे में प्रतिकुल टिप्पणियां दी हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में आयोग की टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों की जांच करके उसे स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं और यदि नहीं तो इन सिफारिशों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : इस सम्बन्ध में, रेलों पर प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लिखित सम्बन्धित सिफारिश

सं० 235 और उस पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय इस प्रकार है :–

सिफारिश की क्रम सं०	सिफारिश का पाठ	सरकार का निर्णय
235	कुछ रेल प्रशासनों ने हमें बताया है कि लेखा अधिकारी के मित्रवत् आलोचक होने का सामान्य सिद्धान्त निचले स्तरों पर लगभग समाप्त हो जाता है क्योंकि लेखा अधिकारी अपनी उपयुक्त भूमिका को नहीं समझते। वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए वित्त तथा कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सही रवैया अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। वित्त अधिकारो का रवैया यह होना चाहिए कि वह कार्यपालक की सहायता करे और अतिसावधानता की दूर रखे। इसी प्रकार अपनी ओर से कार्यकारी अधिकारियों को भी वित्तीय सलाह पर उचित ध्यान देना चाहिए और फिर भी यदि विचारों में मतभेद बना रहे तो मामले को निर्णय के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया जाना चाहिए। सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।	अध्ययन दल की रिपोर्ट की सिफारिश सं० 235 को कार्यान्वित करने के लिए रेल प्रशासनों और उत्पादन यूनिटों को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिये जायेंगे और निचले स्तर पर कार्यकारी अधिकारियों और वित्त अधिकारियों में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश की जायेगी।

रीवा आऊट एजेंसी का बन्द होना

6712. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, मध्य रेलवे ने विन्ध्य प्रदेश के समय से स्थापित रीवा आऊट एजेंसी को बन्द करने का आदेश दिया : और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जो इस समय आउट एजेंसी चला रहा है, रेलों को स्वीकार्य शर्तों पर काम

जारी रखने को राजी नहीं है । फिर भी, निगम से यह अनुरोध किया गया है कि 30 अप्रैल, 1973 तक अर्थात शर्तों के अन्तिम रूप से तय होने तक, या वैकल्पिक ठेकेदार के उपलब्ध होने तक, जिसके प्रवरण के लिए मध्य रेलवे प्रशासन ने आवेदन पत्र मांगे हैं, निगम अपना काम जारी रखे ।

आउट एजेंसी तभी जारी रह सकती है जब मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम रेलवे और निगम दोनों को स्वीकार्य शर्तों पर काम जारी रखने को तैयार हो या कोई अन्य ठेकेदार उपलब्ध हो जाये ।

भीलवाड़ा जिले में भेजा बांध का निर्माण

6713. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीलवाड़ा जिले में पानी की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए भेजा बांध के निर्माण म अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह बांध कब तक पूरा हो जायेगा और

(ग) बांध की कुल लागत क्या है और अब तक इस पर कितना व्यय हो चुका है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : भीलवाड़ा शहर के निकट कोठारी नदी पर, लगभग 97 लाख रुपये की लागत पर माजा डैम 1958 में पूर्ण हो गया था । क्योंकि डैम कई वर्षों से भर नहीं रहा था और भीलवाड़ा शहर में तथा कृषि के लिए पानी की मांग बढ़ रही थी, राजस्थान सरकार ने बानस नदी से पानी लाने के लिए माजा फीडर परियोजना प्रारम्भ की है । माजा फीडर परियोजना पर लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत आने की सम्भावना है । मार्च, 1973 तक खर्च लगभग 1.1 करोड़ रुपये हुआ है । फीडर चैनल पर कार्य प्रगति पर है और परियोजना पांचवें योजना के अन्त तक पूर्ण होनी आयोजित है ।

पश्चिम रेलवे में ट्रेन लाइटिंग एस्कोर्टस को हटाना

6714. **श्री पन्नालाल बारुपाल : :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की कई गाड़ियों में ट्रेन लाइटिंग एस्कोर्टस को हटा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) समीक्षा के फलस्वरूप 18 गाड़ियों से चल अनुरक्षक हटा लिये गये हैं क्योंकि अब इन गाड़ियों में चल अनुरक्षण की आवश्यकता नही समझी जाती ।

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर समाचार पत्रों के खेपों पर कम शुल्क लेना

6715. श्री चन्द्रिका प्रसाद :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिप्टी सी०ए०ओ० (टी०ए०) अजमेर ने अप्रैल, 1970 से दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर बुक किए गए समाचार पत्रों के खेपों पर अल्प प्रभारों को बहुत बड़ी राशि का हिसाब लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर इस प्रकार की कितमी राशि का हिसाब लगाया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या स्टेशन कर्मचारियों को दरों मे परिवर्तन के बारे में ठीक समय पर सूचना नहीं दी गई थी जिसके कारण रेलवे राजस्व को इतनी अधिक हानि हुई ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ; उन्हें समय पर सूचना दे दी गयी थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	*नाम खाते में डाले गये अब-प्रभारों की कुल रकम
1	2	3
		रू० पै०
1	चर्चगेट	8.50
2	सूरत	220.55
3	बम्बई सेन्ट्रल	294.20
4	जलगांव	335.80
5	बलसाड	11.90
6	शामगढ़	21.20

1	2	3
		रु० पै०
7	आगरा किला (मी०ला०)	35.80
8	कोटा	0.70
9	गुना	6.80
10	भरतपुर	5.00
11	इन्दौर	1318.90
12	भोपाल	491.80
13	उज्जैन (बड़ी ला०)	803.10
14	उज्जैन (मी०ला०)	33.90
15	रतलाम (बड़ी ला०)	13.20
16	रतलाम (मी० ला०)	6.20
17	धंधुका	17.00
18	बढ़वान सिटी	60.60
19	ढासा	251.00
20	जूनागढ़	693.40
21	उपलेटा	577.80
22	भावनगर (बड़ी ला०)	656.80
23	भावनगर (मी० ला०)	43.80
.24	अजमेर	1233.80
25	गांधी धाम	24.80
26	भुज	158.10
27	जयपुर	3962.80
28	सुरेन्द्र नगर	47.00
29	जोरावर नगर (मी० ला०)	72.40
30	जाम नगर	761.90
31	भक्तिनगर	66.90
32	राजकोट	107.00
33	विजापुर	72.20
34	खम्भालिया	0.30

1	2	3
		रु० पै०
35	नडिग्राद (छो० ला०)	6.00
36	नडिग्राद (बड़ी ला०)	4.60
37	प्रताप नगर	77.80
38	डाकोर	87.80
39	मियागाम करजण	29.10
40	गोपरा	51.20
41	मणिनगर	5.60
42	ग्रहमदाबाद (बड़ी ला०)	5.00
43	ग्रहमदाबाद (मी० ला०)	10.60
44	बडोदरा	1389.40
	जोड़	14082.25

*समाचार पत्रों के 5 किलोग्राम से कम भार के परेषणों पर न्यूनतम प्रभार में अन्तर।

घटिया विदेशी तथा भारतीय ठेके देने से दुर्गापुर और बरौनी परियोजनाओं के चालू होने में विलम्ब

6716. **श्री ग्रम्बेश :**

स्वामी ब्रह्मानन्द :

क्या **क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि भारतीय उर्वरक निगम के महाप्रबन्धक (पी एण्ड डी डिवीजन) ने निगम के प्रबंध निदेशक के साथ घटिया विदेशी और भारतीय ठेकेदारों को ठेके देने के लिए सहयोग किया है जिससे दुर्गापुर और बरौनी परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आरोप पर जांच की जा रही है।

भारत और अमेरिका के व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध

6717. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सड़क और परिवहन उपकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अमरीकी व्यापारिक मिशन निकट भविष्य में इस देश की यात्रा करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शरीफ कुरेशी) : (क) अमरीका के वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजि क एक रेल उपस्कर व्यापार मिशन अमरीका में निर्मित रेल पथ उपस्करों की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार की खोज करने तथा भारत में उनके निर्माण की सम्भावना पर विचार विमर्श करने के लिए हाल ही में भारत आया हुआ है ।

(ख) इस मिशन के अध्यक्ष अमरीका के वाणिज्य विभाग के श्री डान० आर० हेंडरसन हैं और इसमें रेल पथ उपस्करों की सप्लाई में रूचि रखने वाले विभिन्न कम्पनियों के ग्यारह प्रतिनिधि हैं । इस व्यापार मिशन ने 2 अप्रैल, 1973 को रेलवे बोर्ड के साथ विचार विमर्श किया था जिसमें मिशन ने बताया था कि यह सर्वथा एक अन्वेषणात्मक मिशन है । इसका उद्देश्य भारतीय रेलों को आयात सम्बन्धी आवश्यकताएं सुनिश्चित करना है और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना है जिनमें वे अन्तराष्ट्रीय विकास संघ द्वारा रेलों को दिये गये ऋण से आमंत्रित निविदाओ में भाग ले सके ।

इस मिशन के सदस्य 5 से 14 अप्रैल, 1973 के बीच लखनऊ स्थित रेलवे के अनुसंधान अधिकल्प और मानक संगठन, वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाना और कलकत्ता तथा बम्बई स्थित रे . प्रशासनों का भी दौरा कर रहे हैं ।

राज्यों में विधान परिषदों का पुनः बनाया जाना

6718. श्री राम प्रकाश : क्या **विधि, न्याय** और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि ऐसे कुछ राज्य विधान परिषदों को पुनः बनाने का विचार कर रहे जिन में इन को पहले खत्म कर दिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कारण बन्द की जाने वाली शाखा लाइनें

6719. श्री डी० पी० जदेजा : क्या रेल मंत्री गुजरात में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों के कारण में बदलने के कारण बन्द की जाने वाली शाखा लाइनों के बारे में 27 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र में मीटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कारण कौन सी शाखा लाइने बन्द कर दी जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : प्रत्यक्षत : आशय वीरमगाम-ओखा/पोरबन्दर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से है । यह काम प्रगति पर है । इस आमान

परिवर्तन के फलस्वरूप किसी शाखा लाइन को बन्द नहीं किया जायेगा लेकिन निम्नलिखित शाखा लाइनें वीरमगाम–ओखा/पोरबन्दर मीटर लाइन की बड़ी लाइन में बदल देने के बाद भी मीटर लाइन के रूप में ही रहेंगी :–

(i) सुरेन्द्रनगर–ध्रागंध्रा–कुड

(ii) थान–चौटी ग

(iii) वीकानेर–दहींसरा–नवलाखी/मालिया

(iv) हडमतिया–जोड़िश्रा
श्रौर

(v) खम्भालिया-सलाया

लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि

6720. **श्री एस० एम० बैनर्जी :** क्या **विधि, न्याय** श्रौर **कम्पनी कार्य** मंत्री लोक सभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि के बारे में 27 मार्च, 1973 के श्रतारांकित प्रश्न संख्या 4792 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन सदस्यों की संख्या में प्रस्तावि त वृद्धि के बारे में संसद् में विपक्षी दलों से सलाह ली गई है ?

विधि, न्याय श्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिह चौधरी) : संसद में विपक्षी दलों से इस विषय में सलाह ली गई थी ।

श्री जी० डी० मोरारका द्वारा कम्पिनियों के धन श्रौर सम्पत्ति हथियाने संबंधी शिकायतें

6721. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **विधि, न्याय** श्रौर **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के श्री गोकुलदास डी मोरारका ड.ल्यू० एच० ब्रेडोह एण्ड को०, बेलापुर शूगर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज, ब्रेडो एण्ड मोरिस इंजीनिरिंग कम्पनी श्रादि जैसी कई बड़ी कम्पनियों की प्रबन्ध समितियों में है ;

(ख) क्या उनके विरूद्ध कम्पनियों के धन तथा सम्पत्तियों के गबन के श्रारोप हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; श्रौर

(घ) प्रत्येक मामले में कितना गबन किया गया श्रौर कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हैं ?

विधि, न्याय श्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डी० श्रार० चव्हाण) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, ब.बई को प्रस्तुत 30 जून, 1972 की वार्षिक विवरणी के श्रनुसार श्री गोकुलचन्द डी० मोरारका नौ कम्पनियों, विशेष रूप से यहां संदर्भित तीन कम्पनियों सहित के निदेशक मंडल में हैं ।

(ख) डब्ल्यू० एच० ब्रेडो एण्ड कंपनी लिमिटेड और वेलापुर शुगर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्धों के विरुद्ध निधि के कुप्रबन्ध और अपाहरण के दोषों से युक्त परिवाद प्राप्त हुये थे।

(ग) बेलापुर शुगर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत सम्पन्न निरीक्षण पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में उस समय के कंपनी कार्य मंत्री ने 22–12–1972 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था। डब्ल्यू० एच० ब्रेडो एण्ड कम्पनी लिमिटेड की नीरीक्षण रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है। ब्रेडो एण्ड मोरिस इंजीनिरिंग कम्पनी लिमिटेड की निरीक्षण की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) इस स्थिति में कि क्या विधि का अपहरण किया गया है और अगर हां तो किस के द्वारा यह बतालाना संभव नहीं होगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कम्पनी जनरल डी जीऔफिजिक्स आफ फ्रान्स को दिया गया ठेका

6722. **श्री राजदेव सिह :** क्या **पैंट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कंपनी जनरल डी जीओफिजिक्स आफ फ्राँस को भूकंप सर्वेक्षण कार्य के लिये 1.5 करोड़ रूपये के मूल्य का ठेका दिया था ;

(ख) क्या तटीय जल का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने के लिये बाहर की एजेंसियों को बुलाने से सुरक्षा की दृष्टि से संभावित खतरों का अनुभव करते हुए, सरकार ने कुछ समय पूर्व तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आधुनिकतम डिजाइन के एक भूकंप पोत को खरीदने के लिये अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सरकार के आशय की अवहेलना करने के क्या कारण हैं।

पैंट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिये सी जी जी को एक ठेका दिया था जिसका मूल्य लगभग 57.59 लाख रुपये था।

(ख) सी जी जी को भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिये ठेका विदेश से एक भूकंपीय सर्वेक्षण यान खरीदने के लिये टैंडर मंगवाये जाने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रस्ताव का सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने से बहुत समय पहले दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पश्चायुक्त निर्णय लेते समय सरकार के समक्ष प्राथमिक विचार यह था कि ठेकेदारों पर निर्भर रहने की बजाय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अगामी वर्षों में विभागीय आधारों पर ऐसे सर्वेक्षण करने के योग्य हो जाये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

संशलिष्ट रेशों का विस्तार कार्यक्रम

6723. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग की टास्क फोर्स ने संशलिस्ट रेशों के लिये विस्तार कार्यक्रम की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं योजना अवधि के दौरान संशलिस्ट रेशों के लिये विकास कार्यक्रम बनान के लिये नियुक्त किये गये टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर सरकार जांच कर रही है ।

राजनीतिक दलों में निर्वाचन-व्यय को सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय

6724. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि, न्याय** और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचनों में किया जाने वाला व्यय स्वयं वहन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोयले की मासिक मांग

6725. **श्री फूल चन्द्र वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और दिल्ली में कोयले की कुल कितनी मासिक मांग है ;

(ख) गत छः महीने से हर महीने कितने कोयले की सप्लाई की जा रही है ; और

(ग) इन क्षेत्रों की मांग के अनुसार कोयला सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिये सभी प्रकार के कोयले और कोक के कुल मासिक

लदान और मांग पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है :–

महीना	मध्य प्रदेश		उत्तर प्रदेश		दिल्ली	
	मांग पत्र	लदान	मांग पत्र	लदान	मांग पत्र	लदान
अक्तूबर, 72	10503	7198	32113	20984	13347	7965
नवम्बर, 72	12996	8827	22779	16147	11372	6214
दिसम्बर, 72	12891	9613	26618	14334	12273	5448
जनवरी, 73	11999	9229	24266	14964	11537	5666
फरवरी, 73	11437	8009	21405	12445	9360	5380
मार्च, 73	10404	7052	24337	17934	10752	7210

(ग) उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता को सारे देश में फैले विभिन्न उपयोगकर्ताओं में यथा सम्भव समान रूप से वितरित करना होता है।

जनता एक्सप्रेस गाड़ियां अधिक संख्या में चलाना

6726. **श्री राम भगत पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुख्य ट्रंक मार्गों पर जनता एक्सप्रेस गाड़ियां अधिक संख्या में चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों को किन-किन मार्गों पर लगभग कब चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1973 से नयी दिल्ली और समस्तीपुर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जोड़ी जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का विचार है। इनकी समय सारणी तैयार की जा रही है।

स्टेशन मास्टरों तथा एसिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के पदों का समर्पित किया जाना

6727. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मास्टरों तथा एसिस्टेन्ट स्टेशन मास्टरों के कुछ पदों को समर्पित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जोनवार और डिविजनवार हर श्रेणी के कितने पद समर्पित किये गय हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन पदों को पुन: बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) मध्य, पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण और दक्षिण–मध्य रेलों के सम्बन्ध में सचना संलग्न विवरण में दी गयी है। अन्य क्षेत्रीय रेलों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं।

विवरण

रेलों पर स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के जो पद अभ्यार्पित कर दिये गये उनकी संख्या।

रेलवे	मंडल	स्टेशन मास्टरों के पदों की संख्या	सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों की संख्य
मध्य	बम्वई	1	2
	झांसी	1	3
	भुसावाल	–	5
पूर्व	सियालदह	–	8
उत्तर	दिल्ली	–	4
	बीकानेर	–	1
पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	–	1
	अलिपुर द्वार	2	2
	लुमडिंग	4	–
	तिनसुकिया	2	2
दक्षिण	ओलवक्कोड	1	5
	मद्रास	–	3
दक्षिण–मध्य	शोलापुर	2	2
	सिकन्दराबाद	–	2

थीन बांध परियोजना

6728. **श्री राज देव सिंह :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1960 के सिंधु नदी समझौते के अधीन भारत की रावी नदी के पानी का पूरा उपयोग करने योग्य बनाने वाले रावी नदी पर थीन बांध परियोजना को अनुमति प्रदान कर दी गई है ; और

(ख) क्या पूरा हो जाने पर यह बांध अतिरिक्त सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करेगा और रावी के बाढ़ के पानी को जमा करने में भी सहायक होगा और वहां लगभग 300 मैगावाट बिजली भी पैदा होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) :(क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) जी, हां।

मोदासा-कपाड़ गंज रेल संपर्क के बारे में गुजरात के सबरकंठा जिले से ज्ञापन

6729. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदासा-कपाड़जंग रेल सम्पर्क के बारे में गुजरात के सबरकंठा जिले के एक शिष्ट-मंडल ने हाल ही में उन्हें एक ज्ञापन पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) उदयपुर-हिम्मतनगर लाइन पर शामलाजी रोड स्टेशन से मो ासा और कपड़गंज तक मीटर लाइन के लिए तथा विकल्पत : नदियाद-कपाड़गंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उस का विस्तार मो ासा तक करने के लिए यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है । पश्चिम रेल प्रशासन से आवश्यक अनुमान माँगे गये हैं । प्रस्तावित सर्वेक्षण पूरा हो जाने और सभी पहलुओं से उसकी रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

उत्तर रेलवे के आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन दिल्ली डिवीजन द्वारा भूख हड़ताल

6730. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 1972 को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसियेशन, दिल्ली डिवीज़न के सदस्य उत्तर रेलवे डिवीजनल कार्यालय नई दिल्ली के बाहर भूख हड़ताल पर थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य माँगें क्या थी और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मुख्य: मांगें ये हैं :--

(i) उनके संघ को मान्यता देना :

(ii) 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद होम स्टेशन पर 16 घंटे के विश्राम की व्यवस्था ।

जहां तक मद (i) का सम्बंध है, सरकार की नीति उन खण्डीय यूनियनों को मान्यता देने की नहीं है जिनकी सदस्यता सभी कोटियों के कर्मचारियों के लिए खुली नहीं है।

जहां तक मद (ii) का सम्बंध है, सवारी गाड़ियों के सम्बन्ध में यह पहले से ही प्रचलित है माल गाड़ियों के सम्बध में यह कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्था में है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की शिकायतों के बारे में शिवशंकर समिति की सिफारिशें लागू करने में विलम्ब

6731. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये वर्ष 1970 में सरकार द्वारा नियुक्त की गई, शिवशंकर समिति की सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : शिवशंकर समिति ने जो जनवरी, 1971 में गठित की गई थी, अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी, 1973 को प्रस्तुत कर दी थी। यह दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति को विचारार्थ भेज दी गई है ।

2. महा प्रबंधक, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति ने दिल्ली नगर निगम से सहायक कार्यकारी अभियंता तथा सहायक अभियंता के वेतन मानों को संशोधित करने की सिफारिश करने के लिए 15 फरवरी, 1973 को एक संकल्प पारित किया है। दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति ने 7 अप्रैल, 1973 को कार्यकारी अभियंता तथा इससे उच्च अधिकारियों तथा विद्युत् उत्पादन में लगे कर्मचारियों के वेतन-मानों से संबंधित सिफारिशों पर भी विचार किया तथा उनके वेतन मानों को भी संशोधित करने के लिए दिल्ली नगर निगम से सिफारिश की। संभावना है कि दिल्ली नगर निगम शीघ्र ही मामले पर विचार करेगा ।

3. शिवशंकर समिति को शेष सिफारिशों पर दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान विचार कर रहा है ।

"औन योअर ओन कन्टेनर्स सर्विस" की लोकप्रियता के बारे में की गई प्रगति भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

6732. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री "औन योअर आन कन्टेनर्स" योजना को चलाये जाने के बारे में 28 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2134 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "औन योअर औन कन्टेनर्स सर्विस" को चलाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : कुछ फर्मों ने "अपने निजी कन्टेनर रखिए" योजना में दिलचस्पी दिखायी है। अभी तक जो प्रस्ताव आये हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

Misbehaviour with Lady Passengers on Running Trains between Modi Nagar and Murad Nagar

6733. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4050 on the 12th December, 1972 and state the number and names of the persons arrested on the charge of misbehaving with the ladies in the running train in November, 1972 between Modi Nagar and Murad Nagar stations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Mohd. Shafi Qureshi) The following eight persons were arrested in connection with this case :—

1. Shri Balkishan alias Babu S/o Shri Harpal, P.S. Muradnagar.
2. Shri Jagmohan Singh S/o Shri Harbans Singh, P.S. Muradnagar.
3. Shri Chander S/o Shri Balwant, P.S. Muradnagar.
4. Shri Ram Dass S/o Shri Budhoo, P.S. Muradnagar.
5. Shri Kanwar Pal Singh S/o Shri Banarsi, P.S. Muradnagar.
6. Shri Abu Singh S/o Shri Bharta. P.S. Muradnagar.
7. Shri Shafi alias Shafia S/o Shri Rustam, P.S. Muradnagar.
8. Shri Satbir Singh S/o Shri Muluka, P.S. Muradnagar.

They were produced before the witnesses for identification in Meerut Jail. None of them could, however, be identified.

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

6734. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** :

श्री जगदीश नारायण मंडल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में भारतीय उर्वरक निगम को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां, ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

रेलवे पंजीकृत संघों/संगठनों के पदाधिकारियों को सुविधाएं

6735. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा (एक) राष्ट्रीय स्तर (दो) क्षेत्रीय स्तर पर रेलवे कर्मचारियों के किन किन संघों को मान्यता दी गई है ;

(ख) क्या कोई अन्य पंजीकृत संगठन है जो रेलवे कर्मचारियों के हितों के लिये इन स्तरों पर कार्य करता है, यदि हां, तो इन संघों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या अपनी संघों की गतिविधियों को चलाने के लिये इन संघों के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा कोई सुविधायें दी जाती हैं और यदि हां, तो इन सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग) विवरण में आवश्यक सूचना दी गयी है ।

(ख) इनके अतिरिक्त रेलों पर लगभग 90 ऐसे एसोसिएशन/यूनियन हैं जिनको मान्यता नहीं मिली हुई हैं । इन एसोसिएशनों/यूनियनों को बात-चीत करने की सुविधा प्राप्त नहीं है । सरकार को इस बात की सही सूचना नहीं है कि इनमें से कितने पंजीकृत हैं ।

विवरण

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेल कर्मचारियों के यूनियनों और फेडरशनों के नाम :

(1) फेडरेशन—राष्ट्रीय स्तर पर

(i) आल इंडिया रेलवे मस फेडरेशन

(ii) नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन ।

(2) यूनियन—क्षेत्रीय स्तर पर

(क) नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियन

(i) मध्य रेलवे मजदूर संघ

(ii) इस्टर्न रेलवेमस कांग्रेस

(iii) उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन

(iv) पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ

(v) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे कर्मचारी संघ

(vi) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ

(vii) दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ

(viii) दक्षिण पूर्व रेल कर्मचारी कांग्रेस

(ix) पश्चिम रेलवे मजदूर संघ

73 M/S4LSS—8

(ख) आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियन

(i) नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन

(ii) इस्टर्न रेलवेमैन यूनियन

(iii) नार्थन रेलवेमैन्स यूनियन

(iv) नार्थरन इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन

(v) नार्थइस्ट फ्रंटियर रेलवे मजदूर यूनियन

(vi) सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन

(vii) साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन

(viii) साउथ इस्टर्न रेलवेमैंस यूनियन

(ix) वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी संघ

उपर्युक्त मान्यता प्राप्त यूनियनों और फेडरेशनों को दी गई मुख्य सुविधायें ये हैं :

1. संगठन सम्बन्धी काम, संगठन की बैठकों और रेल प्रशासनों के साथ बैठकों के लिए मुफ्त पास और विशेष नैमित्तक छुट्टी।

2. जहां कहीं सम्भव है कार्यालय के लिए किराए पर स्थान की व्यवस्था।

3. जहां कहीं सम्भव है यूनियनों/फेडरेशनों के कार्यालयों में भुगतान के आधार पर टेलीफोन की व्यवस्था।

4. रेलवे परिसर में बैठक करने की अनुमति।

5. काम के स्थान पर या भुगतान के स्थान के निकट ट्रेड यूनियन का चंदा इकट्ठा करना।

6. सूचनाएं पदर्शित करने के लिए स्थान।

7. यूनियनों/फेडरेशनों के पदाधिकारियों के स्थानातरण के मामले में यूनियनों/फेडरेशनों को पूर्व सूचना देना।

विदेशी प्रभुत्व वाली भेषज फर्मों के कार्य का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक कार्यकारी दल की नियुक्ति

6736. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रभुत्व वाली भेषज फर्मों के कार्य का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या कार्यकारी दल ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और यदि हां, तो अध्ययन दल के विशेषकर भेषज बाजार में विदेशी फर्मों के भाग तथा वर्षवार उनके द्वारा लाभ और लाभांश के रुप में स्वदेश भेजे या धन तथा प्रत्येक फर्म द्वारा प्रारम्भ में लगाई गई पूंजी के बारे में निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन कब तक पूरा हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (ग) कुछ समय पहले, औषधों के क्षेत्र में लाभांश, रायल्टी जारी के रुप मे तथा अपनी निर्यात आय के रुप में विदेशी फर्मों द्वारा बाहर भेजे गए धन के बारे में अध्ययन किया जाना लाभदायक समझा गया था। इस प्रयोजन के लिये, इस मामले का अध्ययन करने तथा ऐसी सूचना, जिस से औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिये उन के आवेदन पत्रों तथा सहयोग प्रस्तावों आदि पर विचार करने में सहायता मिल सके, एकत्र करने के लिये अनौपचारिक तौर पर एक छोटे से दल की नियुकति की गई थी। एक विवरण पत्र, जिसमें दिये फर्मों के नाम, 1970 तथा 1971 में उनकी बिक्री, बाहर भेजे गये धन तथा निर्यात का उल्लेख है, संलग्न है (ग्रंथालय में रखा गया दिखिये संख्या एल० टी० 4782/73)।

उपर्युक्त दल की स्थापना किये जाने के समय से लेकर, औषध उद्योग को सम्मिलित करते हुये सभी विदेशी फर्मों की गतिविधियों को नियमित करने के विचार से सरकार द्वारा भी कुछ नीति निर्णय लिये गये हैं। उन फर्मों, जो विस्तार किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं, को सरकार द्वारा अनुमोदित डायलशन फार्मूले के अनुसार अपनी विदेशी साम्य पूंजी में कमी करनी पड़ती है और/अथवा बढ़ाई गई क्षमता के संदर्भ में कुछ निर्यात दायित्व निभाने पड़ते हैं।

औषध योजना का तैयार करना

6737. श्री के० एस० चावड़ा :

श्री मालजी भाई परामार :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई औषध योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) बाजार में औषधि निर्माताओं के विदेशी प्रभुत्व के अंश को कम करने और अपेक्षाकृत भारतीयों का अंश बढ़ाने के लिये औषध योजना में किन उपायों को अपनाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार औषध योजना को सभा-पटल पर रखने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) योजना आयोग जो इस समय पांचवीं योजना बनाने में लगा हुआ है ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की है जो औषध और भेषज उद्योग की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करेगा और उसकी पांचवीं योजना के अन्तंगत आवश्यकताएं निर्धारित करेगा तथा उनपर और सम्बद्ध विषयों पर अपनी सिफ़ारिशें देगा। इस कार्यकारी दल ने हाल ही में आयोग को अपनी रिपोर्ट दी है। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग औषध व भेषज उद्योग के विकास के लिये, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये योजनाएं बना रहा है। यह योजना मसौदा, राष्ट्रीय विकास द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त योजना आयोग द्वारा सभा पटल पर रखा जायेगा।

ईस्टर्न रेलवे कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, कलकत्ता के शाखा कार्यालयों को खोलना

6738. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ईस्टर्न रेलवे को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड है जिसका मुख्यालय फयरली प्लेस कलकत्ता में है ;

(ख) क्या बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त यह को-आपरेटिव बैंक अंशधारी रेलवे कर्मचारियों को ऋण देता है ;

(ग) क्या कर्मचारियों के केन्द्रीयकरण के कारण इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस बैंक ने जमालपुर में एक शाखा कार्यालय खोला था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलवे के डिवीजनल मुख्यालयों में इसी तरह के शाखा कार्यालय को खोलने का है जहां पर कि कर्मचारियों का केन्द्रीयकरण है जिससे इन कर्मचारियों को मुख्यालय में आने की अनावश्यक परेशानी और इसके परिणामस्वरुप लेन-देन में होने वाले विलम्ब से बचाया जा सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । लेकिन ईस्टर्न रेलवे एम्पलायीज़ को-आपरेटिव बैंक का पंजीकृत कार्यालय 17-नेता जी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 में है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) सहकारी ऋण समितियां/बैंक स्वायत् संस्थाएं हैं जो शाखाएं खोलने के संबंध में स्वयं निर्णय लेती हैं । फिर भी, रेल मंत्रालय ने ये अनुदेश जारी किये हैं कि इस तरह की समितियों को मण्डल मुख्यालयों और उन स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाये जहां अधिक संख्या में रेल कर्मचारी तैनात हैं ।

Quantity of Oil Refined by each Foreign Oil Companies

6739. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the quantity of Oil refined by each of the foreign Oil Companies during the last three years ; and

(b) the percentage of oil refined by foreign companies to the total refining of oil ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The quantity of Crude Oil refined during the last three years

is as under : —

(000' tonnes)

Name of the Co.	1970	1971	1972
Assam Oil Company	490	472	534
Burmah-Shell	3,448	3,900	3,637
Esso	2,350	2,768	2,523
Cochin Refineries Ltd.	1,178	1,250	1,139

(b) It is about 40·4%, 42·8% and 39·8% of the total crude oil refined in the country in the years 1970, 1971 and 1972 respectively.

मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

6740. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय कितनी सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं ; और

(ख) उनकी सिंचाई सम्भावनाओं सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मैसूर राज्य में 6 वृहत और 13 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं से अब तक निर्मित और अन्तिम रूप से निर्मित की जाने वाली सिंचाई शक्यता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परियोजना	अन्तिम सिंचाई शक्यता	1972-73 तक निर्मित शक्यता (प्रत्याशित)
1	2	3
	(हजार	हेक्टेयर में)
वृहत		
1. भद्रा जलाशय	99.09	97.20
2. घाटप्रभा चरण—एक	74.11	57.51
3. घाटप्रभा चरण—दो	46.57	12.85
4. मालप्रभा	206.55	20.25

1	2	3
5. तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर चरण–दो	40.50	28.35
6. अपर कृष्णा	409.05	–
मध्यम		
1. राजोलीबन्दा व्यपवर्तन	2.38	2.38
2. हाथीकोनी	2.14	2.14
3. हगारीबोम्मनाहाली	2.98	2.98
4. जम्बदाहाला	2.63	2.63
5. कनकानाला	2.06	2.06
6. हरीनालाल	0.44	–
7. गुंडल	4.05	–
8. तराका	7.29	–
9. वोटेहोल	5.26	–
10. सागरादोद दाकेरे	0.81	–
11. लक्ष्मणतीर्थ	2.84	–
12. अकविथी	3.04	–
13. मंचनावेले	2.83	–

रेलवे में खतरे की जंजीरें लगाने की प्रथा को समाप्त करना

6741. श्री के० लकप्पा :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलों में खतरे की जंजीरें लगाने की प्रथा 1971 में समाप्त कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने से उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य में कहां तक सफलता हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन कुछ गाड़ियों में महिला और पूर्ण रेल डाक सेवा के डिब्बों को छोड़कर खतरे की जंजीर का उपकरण नाकाम कर दिया गया है।

(ख) खतरे की जंजीर खींचने के मामलों की संख्या 1970-71 के प्रतिमास 30147 से घटकर 1971-72 में प्रतिमास 24683 और 1972-73 (दिसम्बर, 1972 तक) में प्रतिमास 18997 हो गयी जिससे इसके कारण जो समय का नुकसान होता था और यात्रियों को असुविधा होती थी उसम कमी हो गयी ।

पोद्दानूर स्थित सिगनल तथा दूर संचार स्कूल (दक्षिण रेलवे) के प्रशिक्षणार्थियों से लिया गया किराया

6742. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलों के सिगनल तथा दूरसंचार प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षणार्थियों से कोई किराया नहीं लिया जाता है ।

(ख) क्या दक्षिण रेलवे के पोद्दानूर स्थित सिगनल तथा दूरसंचार स्कूल के प्रशिक्षणार्थियों से कुछ किराया लिया जाता है ; और इस भेदभाव के कारण कर्मचारियों में असंतोष है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को कब तक दूर किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) दक्षिण रेलवे पर और दक्षिण रेलवे का जो भाग अब दक्षिण मध्य रेलवे का अंग है उस पर स्थित प्रशिक्षण स्कूलों के पदोन्नति और पुनश्चर्या से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों से किराया लिया जाता है । अन्य रेलों के प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षणार्थियों की तरह इनसे भी किराया न लेने का प्रश्न विचाराधीन है ।

खण्डीय रेलों की सभी डिवीजनों में रु० 175--240 के ग्रेड वाले एम० एस० एम० के पद

6743. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या पी० ओ०-68/एफ० ई०-2/4 दिनांक 9 नवम्बर, 1971 की शर्तों के अनुसार प्रत्येक खण्डीय रेलवे में डिवीजनवार रु० 175--240 के ग्रेड वाले एम० एस० एम० के कितने पद अभी बनाये जाने हैं ; और

(ख) उपरोक्त पत्र में उल्लिखित अनुदेशों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 175--240 रुपये के वेतनमान में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 13 पदों, दक्षिण रेलवे के मद्रास मण्डल में 4 और मदुरै मण्डल में 1 तथा पश्चिम रेलवे के बड़ौदा मण्डल में 10 पदों की व्यवस्था अभी की जानी है ।

उपर्युक्त तीन रेलों के शेष सभी मंडलों तथा मध्य, पूर्वोत्तर सीमा रेलों में, 175—240 रुपये के वेतनमान में जितने पदों की आवश्यकता थी, उनकी व्यवस्था की जा चुकी है ।

पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व रेलों के सम्बन्ध में सूचना इक्कठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर में उल्लिखित उत्तर, दक्षिण पश्चिम रेलों के बाद लगभग छः महीने में मंजूर हो जाने की आशा है ।

निर्धनों को कानूनी सहायता विषयक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

6744. श्री के० लकप्पा :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धनों को कानूनी सहायता विषयक विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी कोई विधान इसी सत्र में पेश किया जा रहा है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूतपूर्व हावड़ा-आम्टा और हावड़ा-शीखला लाइट रेलवे के कर्मचारियों को खपाना

6745. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 दिसम्बर, 1970 को उस समय के रेल मंत्री ने मार्टिन लाइट रेलवे के कर्मचारियों को यह लिखित आश्वासन दिया था कि उन्हें फिर से भारतीय रेलवे की सेवा में ले लिया जायेगा ;

(ख) क्या यह आश्वासन भी दिया गया था कि हावड़ा-आम्टा और हावड़ा-शीखला लाइनों पर पहले कार्य करने वाले कर्मचारियों को पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में काम पर लगाया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो 80 के लगभग उक्त लिपिकीय कर्मचारियों की पूर्वी रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे से भिन्न भिन्न अन्य जोनों में नियुक्त करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या कलकत्ता में महानगर परिवहन परियोजना में स्थानान्तरण करने सम्बन्धी उनकी प्रार्थना विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) 16-12-1970 को यह विनिश्चय किया गया था कि हावड़ा-आम्टा और हावड़ा-शीखला लाइट रेलों के कर्मचारियों को पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों पर नियुक्त किया जाये। मान्यता प्राप्त यूनियनों और नियमित पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों के विरोध के कारण लाइट रेलों के कर्मचारियों को पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों पर नियुक्त करने में कुछ कठिनाइयां थीं । फिर से विचार करने पर यह विनिश्चय किया कि सम्बद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों को छोड़कर अन्य रेलों पर कर दी जाये ।

इस बात की हिदायत है कि इन कर्मचारियों के व्यक्तिगत अनुरोध पर इन्हें महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता में रखने पर अनुकूल विचार किया जाये ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के गार्डों से अभ्यावेदन

6746. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी०–60/पी० पी०–1, दिनांक 22-7-66 के अनुसार वरिष्ठ व्यक्तियों को कनिष्ठ व्यक्तियों के बराबर मानकर कर्मचारियों को 2-2-66 से बकाया राशियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या फिरोजपुर डिवीजन, (उत्तर रेलवे) के गार्डों द्वारा 1966 की, 'सिविल रिट' संख्या 465 के द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 22-7-66 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिस में उपरोक्त बकाया की 1-4-1961 से मांग की गई थी और जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 3-5-1971 के निर्णयानुसार मान लिया था ;

(ग) क्या दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के प्रभावित गार्डों ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1-4-1961 से बकाया राशि के भुगतान के लिए डिवीजनल प्राधिकारियों के पास अपना दावा प्रस्तुत किया था ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली डिवीजन के गार्डों के अभ्यावेदन पर बकाया राशि के भुगतान के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और क्या भुगतान इस बीच कर दिया गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिजली की कमी से प्रभावित सरकारी क्षेत्र के कारखाने

6747. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' (नई दिल्ली) में "पावर शार्टेज हिट्स पब्लिक सैक्टर" शीर्षक में छपे समाचार की ओर दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि सामचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, यह सत्य है कि विभिन्न कारणों से, जिसम विद्युत की कमी भी शामिल है, सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों की पूरी शक्यता का समुपयोजन सम्भव नहीं हो सका है। विद्यत की कमी को कम करने के लिए पहले से ही हाथ में लिए गए कई उपायों के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय प्राधिकरणों को प्राथमिकता पद्धति अपनाने की सलाह दी गई है जिससे कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन की कमी को न्यूनतम किया जा सके।

कोयले की कमी के कारण तापीय संयंत्रों का बन्द होना

6748. **श्री धर्मराव अफ़जलपुरकर :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला न मिलने के कारण कुछ तापीय संयंत्र बंद रहे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका नाम क्या है और क्या कोयले की कमी देखते हुए सरकार आर० एफ० ओ० और प्राकृतिक गैस ईंधन को प्रयोग में लायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित ताप संयंत्रों को कोयला उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय के लिये बन्द करना पड़ा :—

(1) नासिक	1 × 140 मैगावाट महाराष्ट्र
(2) पोरबन्दर	1 × 15 मैगावाट गुजरात
(3) शाहपुर	1 × 5 मैगावाट गुजरात
(4) बलरामपुर	1 × 3.4 मैगावाट उत्तर प्रदेश
(5) अल्वर	1 × 2 मैगावाट राजस्थान
(6) जोधपुर	15.2 मैगावाट राजस्थान

अपेक्षित कोयले की सप्लाई को बनाये रखने के लिए खान विभाग और रेलवे बोर्ड के साथ सभी सम्भाव्य प्रयत्न किए जा रहे हैं। परन्तु कोयले की सप्लाई तथा ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना हमेशा संभव नहीं हो सका है। आर० एफ० ओ० और प्राकृतिक गैस की भी कमी है। फिर भी, कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ केन्द्रों को कुछ महीने और पैट्रोल ईंधन से ही चलाया जाए।

विजयवाड़ा आन्ध्र प्रदेश में तापीय बिजली घर की स्थापना

6749. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक तापीय बिजली घर की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्य को तुरन्त चालू करने के लिए कोई अग्रिम कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विजयवाड़ा में 400 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के एक ताप-विद्युत केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। ये स्कीम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं पर

नियुक्त सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और योजना आयोग द्वारा इसके अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) भूमि अर्जन आदि के लिए आवश्यक कार्यवाही स्कीम के स्वीकृत होने के बाद आरंभ की जायेगी ।

आंध्र प्रदेश में लोअर सिलेर, विद्युत परियोजना की सहायता

6750. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि यदि उचित वित्तीय सहायता दी जाये तो आंध्र प्रदेश में लोअर सिलेरू विद्युत परियोजना को, जिसकी 100 मैगावाट बिजली नियमित रूप से देने की क्षमता है, चालू वर्ष 1973-74 में पूरा करके चालू किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि इसे इसी वर्ष पूरा किया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सिविल कार्यों को पुनः अनुसूचित करने से लोअर सिलेरू परियोजना का 110 मैगावाट का प्रथम यूनिट समय-पूर्व स्थापित करके 1974-75 में चालू किया जा सकता है। इसके लिए भी इस परियोजना के निमित्त सामान्य योजना प्रावधानों से अतिरिक्त धन उपलब्ध करने की आवश्यकता है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाने के लिये 1972-73 में 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि दी गई थी । आगामी दो वर्षों में अतिरिक्त धन का प्रावधान करने पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री सैलम पन-बिजली परियोजना को पूरा करना

6751. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री सैलम पन-बिजली प्रजनन परियोजना को पूरा करने का काम लक्ष्य से कितना पिछड़ा हुआ है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इसे केन्द्रीय परियोजना मान कर इसे पूरा करने का काम अपने हाथ में लेगी ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) श्री सैलम जल-विद्युत परियोजना को योजना आयोग द्वारा 1964 में स्वीकृति दी गई थी और यह 1972 में पूर्ण होने के लिए अनुसूचित थी । धन की कमी और काफर बांधों के निर्माण तथा गहरी नदी में बांध नीवों को रखने में आई कठिनाइयों के कारण पूर्ण होने में सात से दस वर्षों की देरी हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

आंध्र प्रदेश की नागार्जुन बिजली परियोजना के लिए उपकरणों का आयात

6752. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार थोड़े ही से परिव्यय से आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर पम्प्ड स्टोरेज बिजली परियोजना के लिये बिजली उत्पादन करने वाली मशीनें और उपकरण आयात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस अत्यन्त किफायती और शीघ्र लाभ देने वाली योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 2 × 50 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता को नागर्जुन सागर पम्प संचय स्कीम के लिये जनित्र संयंत्र (जेनरेटिंग प्लांट) और उपस्कर के आयात के प्रस्ताव को अस्थगित कर दिया गया है क्योंकि वित्तीय प्रक्रियाओं की विस्तार में जांच की जानी है जोकि पहले से हाथ में ली गई दो महत्वपूर्ण स्कीमों नामशः आंध्र प्रदेश में लोअर सिलेरू जल विद्युत परियोजना और कोठागुड्म ताप विद्युत परियोजना के पूर्ण होने पर इस स्कीम के कार्यन्वयन में सामने आएंगी। बहरहाल, यह निर्णय किया गया है कि आवश्यक शिल्प विज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैसर्स बी० एच० ई० एल० को चेकोसलोवाक निर्माताओं के साथ समझौता कर लेना चाहिए ताकि इस प्रकार की यूनिटों को उनके द्वारा अनिवार्य सीमा तक आरंभिक आयात करने के पश्चात् निर्मित किया जा सके।

सावरमती गांधी नगर तेल लाइन का विद्युतीकरण

6753. श्री डी० बी० जदेजा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सावरमती-गांधीनगर बड़ी लाइन के विद्युतिकरण करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) साबरमती-गांधीनगर खण्ड के विद्युतीकरण के प्रश्न की जांच की गयी है और इसे इस समय अर्थक्षम नहीं पाया गया है।

रेल गाड़ियों में पानी, बिजली तथा सफाई की कमी सम्बन्धी शिकायतें

6754. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों के चलने के स्थान पर डिब्बों के समुचित निरीक्षण में कमी के कारण देश में लोकल गाड़ियों और मध्यस्थ गाड़ियों में पानी, बिजली और सफाई की कमी सम्बन्धी शिकायतें आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों के चलने के स्थान पर वर्तमान निरीक्षण प्रबंधों में सुधार करने के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेल प्रशासन बड़े बड़े रेक अनुरक्षण स्टेशनों पर 'सम्मति पुस्तिकाएं' रखते हैं और उनसे यह पता चला है कि पानी की सप्लाई, सफाई और फिटिंग्स की व्यवस्था प्राय : संतोषजनक है। प्रस्थान स्टेशनों पर सवारी डिब्बों की स्थिति के सम्बन्ध में बहुत कम शिकायतें हुई हैं। सवारी डिब्बों के अनुरक्षण की एक समुचित पद्धति निर्धारित कर दी गयी है और स्थानीय पर्यवेक्षण कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाता है। सवारी डिब्बों के अनुरक्षण, सप्लाई तथा फिटिंग्स के रख-रखाव सम्बन्धी अनुदेश सभी लम्बी दूरी वालीमध्यवर्ती और स्थानीय गाड़ियों पर लागू होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोचिंग स्टाक में सुविधा सम्बन्धी सब फिटिंग्स और बिजली फिटिंग्स की व्यवस्था कर दी गयी है और पानी भर दिया गया है, आवधिक अभियान चलाये जाते हैं। सवारी डिब्बे सही हालत में हों यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्थान-स्टेशनों पर पर्यवेक्षकों, निरीक्षण अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सवरी गाड़ियों के रेकों की अचानक जांच की जाती है। सवारी डिब्बे की सफाई, पानी की उपलब्धता और बिजली की फिटिंग्स की हालत आदि के सम्बन्ध में विशेष रुप से यात्रियों द्वारा अपने विचार तथा सम्मति देने के लिए प्रस्थान-स्टेशनों पर सम्मति पुस्तिकाएं चालू की गयी हैं।

सड़क और रेलवे यातायात की प्रतियोगिता के कारण रेलवे को हुई हानि

6755. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक भाड़े वाले माल की ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा होती है तथा केवल कम भाड़े वाला माल ही रेल को मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो सड़क यातायात की प्रतियोगिता में रेल द्वारा ढुलाई हेतु अधिक माल आकर्षित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इसके परिणाम स्वरुप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए रेलों ने जो प्रमुख उपाय किये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) व्यापार और उद्योग के साथ सम्पर्क,

(ii) कंटेनर सेवाएं चालू करना,

(iii) भाड़ा अग्रेषक सेवाएं चालू करना,

(iv) वर्ग 60 और उससे ऊपर वर्गीकृत ऊंची दर वाली वस्तुओं को सामान्यत : परिचालन सम्बन्धी प्रतिबंधों से मुक्त रखना,

(v) सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियों को समय अनुसूची के अनुसार चलाना,

(vi) द्रुत परिवहन सेवाएं चालू करना,

(vii) घर से घर तक माल लाने-पहुंचाने की सेवाएं और चल बुकिंग सेवाएं।

(ग) यदि कोई हानि हुई है तो उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है क्योंकि सभी वस्तुओं से सम्बन्धित उपलब्ध यातायात का रेल और सड़क के बीच वितरण निरंतर बदलता रहता है।

बड़ाचंक्का बेसिन जल निकासी योजना (पश्चिम बंगाल) का कार्यान्वयन

6756. **श्री समर गुह:** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री बडाचंक्का बेसिन जल निकासी योजना (पश्चिम बंगाल) के बारे में 28 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2064 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बडाचंक्का बेसिन जल निकासी योजना के शीघ्र कार्यान्यिवन के लिए 32 लाख रुपये की धनराशि जुटाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव की रुपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस स्कीम के कार्यन्वयन के लिए धन की व्यवस्था पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा की जानी है क्योंकि बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम राज्य योजना का एक भाग है उस कृषि क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्य, जो कि हर वर्ष जल निस्सार संकुलन से प्रभावित होने हैं, के शीघ्र पूर्ण होने की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को अभी हाल में पुन : सुझाव दिया गया है कि वे राज्य योजना में समायोजन द्वारा इस स्कीम के लिए कुछ धन की व्यवस्था करने की संभाव्यता की खोज करें ।

बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क पुनः बनाने के लिए बातचीत

6757. **श्री समर गुह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल देश सरकार के साथ 1965 के भारत पाक युद्ध से पूर्व स्थित रेल संपर्क पुन : स्थापित करने के लिए कोई बातचीत आरंभ की है ;

(ख) क्या कलकत्ता-दार्जिलिंग, कलकत्ता-गोहाटी, कलकत्ता-त्रिपुरा रेल-मार्ग जो बंगला देश में से गुजरते हैं : पहले हुए समझौते के अनुसार पुन : चालू किए जाएंगे ; और

(ग) भारत और बंगला देश के बीच सम्पर्क पुन : चालू करने पर आपस में हुए समझौते का सारांश क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क जनवरी, 1972 में स्थापित हुआ । यह सम्पर्क भारतीय, रेलों और बंगला देश की रेलों के बीच मीटर लाइन पर राधिकापुर, गीतलदह और महिशासन पर और बड़ी लाइन पर पेट्रोपाले तथा गेडे पर रेलवे लाईनों को जोड़ कर स्थापित किया गया । बंगला देश की रेलों के परामर्श से, 31–3–1973 से भारतीय रेलों पर मालदह और बंगला देश की रेलों पर आमनूरा के बीच बड़ी लाइन का एक नया रेल सम्पर्क स्थापित किया गया है । लेकिन भारतीय और बंगला देश की रेलों के बीच हल्दी वाड़ी में बड़े आमान का रेल सम्पर्क, जैसा कि 1965 से पूर्व था, स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) फिलहाल रेल द्वारा बंगला देश होकर कलकता को दार्जिलिंग से, कलकत्ता को गोवाहाटी से और कलकत्ता को त्रिपुरा से मिलाने का कोई इरादा नहीं है ।

(ग) भारतीय और बंगला देश की रेलों के बीच माल यातायात की अदला-बदली के लिए एक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस समझौते में संक्षिप्त रुप से उन वाणिज्यिक कार्यविधियों के बारे में उल्लेख किया गया है जो यातायात की बुकिंग के बारे में और निर्धारित लक्ष्यों से अधिक तक माल डिब्बों को रोके रखने पर बंगला देश की रेलों और भारतीय रेलों द्वारा भुगतान किये जाने वाले किराये के बारे में अपनायी जायेंगी। इसमें एक देश के क्षेत्र में दूसरे देश के रेल इंजनों का उपयोग भी शामिल है।

मद्रास के लिए परिवहन प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन की रिपोर्ट

6758. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के लिए परिवहन प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है और इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अभी नहीं, लेकिन आशा है कि एक रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग गृह की स्थापना

6759. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार और वहां पर पैट्रोलियम रसायन उद्योग समूह की स्थापना के बारे में 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं तो निर्णय कब तक लिया जायेगा।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पैट्रो-रसायन तथा तेल शोधन पर नियुक्त किये गये टास्क फोर्स की रिपोर्टों में दिये गये सुझावों पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात हल्दिया में पैट्रो रसायन उद्योग-समूह की स्थापना किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना

6760. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **विधि, न्याय** और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव को अन्तिम रुप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवी योजना में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य

6761. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना में उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य कितना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्ष 1978–79 तक 39.12 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 11.75 लाख मीटरी टन पी 2 ओ 5 के उत्पादन-अनुमानों को तैयार करते समय पांचवीं योजना के लिए प्रस्ताव प्रलेख में, अवशेष भुगतानों से पर्याप्त आयातों का निराकरण करने के लिए, अधिक उत्पादन की आवश्यकता को स्वीकार किया है । कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1978–79 तक इस समय 52 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 22 लाख मीटरी टन पी 2 ओ 5 के रुप में उर्वरक खपत का अनुमान लगाया है और पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग आत्म-निर्भरता को प्राप्त करने के लिए उक्त योजना में यथा समय पर्याप्त क्षमता का विकास करना निहित है ।

आप्टा से मंगलौर तक वेस्ट कोस्ट रेलवे की विस्तृत लागत

6762. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्टा से मंगलौर तक वेस्ट कोस्ट रेलवे परियोजना की रोलिंग स्टाक तथा अस्पताल सहित और रोलिंग स्टाक तथा अस्पताल के बिना वास्तविक लागत क्या है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड, योजना आयोग तथा वित मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) रेल लाईन पर पुल बनाने और सुरंगे बनाने का काम कब तक चालू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) 5–4–1973 को लोक सभा में रेल मंत्री ने वक्तव्य दिया है, जिसमें इस परियोजना की लागत के सम्बन्ध में सही स्थिति बतायी गयी है ।

(ख) और (ग) इस परियोजना पर सक्रिय रुप से विचार हो रहा है । इस बीच, आप्टा-दसगांव खण्ड (108 कि० मी०) पर मिट्टी का काम, सूखे से राहत के रुप में शुरु कर दिया गया है और तात्कालिकता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्र मंजूर किया जा चुका है ।

दसगांव-मंगलूर खण्ड लगभग 800 कि० मी० के बकाया भाग में एक विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण शुरु किया जा रहा है । योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह पश्चिमी तट रेल परियोजना सहित विकास से सम्बन्धित लाइनों के लिए पांचवीं योजना में अतिरिक्त धन की व्यवस्था करे ।

हड़तालों को "अवैध" घोषित करना

6763. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल सेवाओं को अनिवार्य सेवा माना गया है और यदि हां, तो रेल उपक्रम में हड़तालों को 'अवैध घोषित' न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हड़तालों के कारण रेलों को हानि न हो और सेवा में अनियमितता न आने पाये, क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एन) के अनुसार रेलवे एक "लोकोपयोगी सेवा" है। रेलों पर हड़ताल ऐसी स्थिति में गैरकानूनी होती है जब उक्त उससे अधिनियम की धारा 22 से 24 तक के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 को लागू करके हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

अन्तं सम्बद्ध कम्पनियां

6764. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्वन्धनाय व्यापार, प्रक्रिया अधिनियम की परिभाषा के अनुसार अर्न्तसम्बन्ध कम्पनियों की संख्या 1,500 है जो 48 बड़े गृहों की है, और जिनकी आस्तियां 4,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं, तथा प्रत्येक कम्पनी की आस्तियां 20 करोड़ रुपये और इससे अधिक की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 450 कम्पनियों से कम कम्पनियां, जिनकी आस्तियां लगभग 1,000 करोड़ रुपये की है ; एकाधिकार तथा निर्वन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास पंजीकृत है ;

(ग) क्या विरला समूह की 29 कम्पनियां ही एकाधिकार तथा निर्वन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास पंजीकृत है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा होने के जिम्मेदार कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (घ) "अन्तर्सम्वद्ध उपक्रमों" की अभिव्यक्ति, एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) में परिभाषित की गई है। एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 का खण्ड क, अधिनियम की धारा 20 में प्रस्तुत की गई व्यवस्थानुसार (क) एक उपक्रम अगर कुल मूल्य के (1) उसकी निजी आस्थियों या (2) उसकी निजी आस्तियां उसके अन्तर्सम्वद्ध उपक्रमों, सहित आस्तियां 20 करोड़ से कम नहीं हैं, और (ख) एक प्रमुख उपक्रम जिसकी आस्तियों का मूल्य या उसके समस्त अन्तर्सम्वद्ध उपक्रमों की आस्तियों के मूल्य की राशि का योग 1 करोड़ रुपयों से कम नहीं है पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 20 की सीमा

के अन्दर प्रत्येक उपक्रम को, अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकरण कराना कानूनी रुप से वाध्यकर है । इन उपवन्धों के अनुसार, 902 उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार के पास अभी तक अपना पंजीकरण कराया है और उनमें से 59 उपक्रमों का पंजीकरण धारा 26 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत जैसा कि उनका अध्याय 3 के खण्ड क की परिधि में विरामित होने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है । जो इस समय पंजीकृत हैं उन उपक्रमों की आस्तियों के मूल्य की कुल राशि 4800 करोड़ के लगभग है । विडला समूह की कम्पनियों से सम्बन्धित ज्ञातव्य उपक्रमों की संख्या जिन्होने धारा 26 के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकरण करा लिया है और 450 करोड़ रुपयों के लगभग की आस्तियों सहित 44 हैं ।

गत तीन वर्षों में रेलवे में हुए अपराध

6765. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जोन–वार और वर्ष–वार रेलवे में प्रत्येक प्रकार के कितने अपराध हुए ;

(ख) इन अपराधों को रोकने के लिये सरकार ने यदि कोई कदम उठाये हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा की गयी कार्यवाई के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) रेलवे	हत्या			डाका			लूटपाट		
	70	71	72	70	71	72	70	71	72
मध्य*	12	7	13	14	10	5	48	45	63
पश्चिम*	5	15	16	2	4	7	41	42	54
उत्तर	27	32	30	13	21	14	104	127	84
पूर्वोत्तर	13	11	8	25	26	27	91	92	58
दक्षिण	—	1	—	—	3	6	13	10	1
पूर्व	35	75	19	21	24	21	86	97	94
दक्षिण–पूर्व*	13	8	8	10	11	12	28	34	41
पूर्वोत्तर–सीमा	12	11	4	10	6	15	14	4	20
दक्षिण–मध्य*	2	6	6	5	4	11	6	12	18
	119	166	104	100	109	118	431	463	433

विवरण–जारी

(क) रेलवे	महिला यात्रियों पर हमला			यात्रि गाड़ियों तथा रेल परिसरों में चोरियां		
	70	71	72	70	71	72
मध्य*	10	9	5	1886	1958	2509
पश्चिम*	7	7	7	1910	1911	1823
उत्तर	8	25	13	2676	3298	3682
पूर्वोत्तर	3	2	3	546	105	1157
दक्षिण	–	1	–	370	635	448
पूर्व	5	4	6	3000	1992	1886
दक्षिण–पूर्व*	5	5	13	729	734	969
पूर्वोत्तरी–सीमा	–	3	10	160	156	482
दक्षिण–मध्य*	–	1	2	318	620	658
	38	57	59	11585	12349	13614

*महाराष्ट्र राज्य से 1971 की दूसरी तिमाही का त्रिमासिक विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिये निम्नलिखित निवारक कदम उठाये जा रहे हैं :–

(1) प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिये रात में चलने वाली सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ यथा संभव रेलवे पुलिस के मार्गरक्षी चलते हैं।

(2) अचानक जांच करने/मार्ग रक्षी ड्युटी का पर्यवेक्षण और गहन कर दिया गया है।

(3) गाड़ियों के जो मार्ग रक्षी अपनी ड्युटी में लापरवाह पाये जाते हैं उन्हें उपयुक्त दण्ड दिया जाता है।

(4) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को निदेश दिये गये हैं कि वे रेलों पर होने वाली ऐसी घटनाओं के लिये जिम्मेदार अपराधियों को खोज निकालने में सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस को सक्रिय सहयोग दें।

(5) प्रभावित खण्डों में सक्रीय बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखने के लिये रेलवे पुलिस तथा सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है और जिन अपराधियों की तलाश होती है उन्हें गिरफतार करने के लिये अक्सर छापे मारे जाते हैं।

(6) बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और अपराधों की कारगर रोकथाम करने तथा सुराग लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा रेलवे पुलिस तथा सिविल पुलिस के साथ सभी स्तरों पर आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(7) फिर भी, रेलों को यात्रियों और माल की सुरक्षा की बहुत अधिक चिंता रहती है और वे अपनी ओर से सभी आवश्यक कार्यवाईयां करती आ रही हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) जहां कहीं आवश्यक समझा जाये ऐसी सब घटनाओं को, उपयुक्त, निवारक कार्यवाई के लिये राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के नोटिस में लाना और राज्य की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के लिये सभी स्तरों पर बैठकें करना।

(2) महानिरीक्षकों के आवधिक सम्मेलन में इस विषय को प्रस्तुत करना।

(3) सवारी डिब्बों में संरक्षा उपस्करों की व्यवस्था करना तथा सुरक्षा के उपायों में सुधार करना।

(8) उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के पूर्वी राज्यों में चलती गाड़ियों तथा रेल परिसरों में जघन्य अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं से चिंतित होकर रेल मंत्री ने इन राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस महा निरीक्षकों की एक बैठक 21-3-1973 को नई दिल्ली में बुलाई थी ताकि जघन्य अपराधों के मामलों की रोकथाम करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जा सकें। इस बैठक के परिणामस्वरूप केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है ताकि वह बैठक में दिये गये विभिन्न सुझावों की अच्छी तरह से जांच करें, समस्या को कारगर ढंग से हल करें और रेल मंत्री को इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र रिपोर्ट पेश करें।

(ग) 1972 के दौरान हत्या और लटपाट की घटनाओं में कमी हुई है।

कृषनगर से बरहामपुर तक बरास्ता करीमपर (पूर्वी रेलवे) नयी बड़ी रेलवे लाइन

6766. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में कृषनगर को बरास्ता करीमपुर बरहामपुर से जोड़ने के लिये उसका मंत्रालय एक नई बड़ी रेलवे लाइन बनाने की सोच रहा है;

(ख) क्या उस क्षेत्र के स्थानीय लोग बहुत समय से इस नई रेल लाइन की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) क्या रेल लाईन की इस नई परियोजना से बंगला देश से लगने वाले इस सीमान्त क्षेत्र में व्यापार तथा वाणिज्य में वृद्धि होगी और आगे चल कर रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्तावित रेल संपर्क के लिये कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी है। अतः यह कहना संवव नहीं है कि प्रस्तावित रेल सम्पर्क से इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होगी।

पी० डब्ल्यू० आई० खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के गैंगमैनों के लिए प्राधिकृत वेतन-क्रम

6767. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या पी० डब्ल्यू० आई० खुर्दा रोड डिविजन में गत दस वर्षों से ऐसे गैंगमैन काम कर रहे हैं जिनका प्राधिकृत वेतन-क्रम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान है परन्तु उन्हें अभी भी नैमित्तिक श्रमिक माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिविजन में स्थिति इसके विपरीत है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खोरधा रोड मण्डल तथा खड़गपुर मण्डल में रेलपथ सम्बन्धी विभिन्न मौसमी कामों को करने के लिये आवश्यकतानुसार नैमित्तिक श्रमिक लगाये जाते हैं। लगातार छः महीने से अधिक काम कर लेने पर उन्हें नियमित वेतनमान दिये जाते हैं। रेलपथ के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुसार, खोरधा रोड मण्डल में गत दस वर्षों के दौरान गैंगमैनों के लगभग 1500 स्थाई पदों का सृजन किया गया है। स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस समय आवश्यकताओं की जांच की जा रही है।

45 अप हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रैस में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं

6768. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री 13 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3183 के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालासोर-भद्रक स्टेशनों के बीच दिसम्बर, 1972 में खतरे की जंजीर खींचने की 248 घटनाओं में से कितनी घटनाएं कानूनी थीं और कितनी गैर-कानूनी थीं ; और

(ख) गैर कानूनी घटनाओं के विषय में क्या कार्यवाही की गई और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सभी मामले अवैध थे।

(ख) कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि जंजीर खींचने वालों में से किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका।

'यूनिट रेटिंग' के पावर जनरेटिंग सेट लगाना

6769. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1956 से लेकर अब तक 15 मेगावाट से अधिक शक्ति के 'यूनिट रेटिंग' के कितने पावर जनरेटिंग सेट लगाये गये हैं और उनकी क्षमता क्या है ;

(ख) आरम्भ में निर्धारित क्षमता की तुलना में उनका वर्तमान उत्पादन एककों में क्य है; और

(ग) 50 प्रतिशत रेटिंग से कम क्षमता पर काम करने वाले तथा बन्द एककों की संख्या तथा उनकी क्षमता क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क) 1956 से मार्च, 1972 तक देश में प्रतिष्ठापित 15 मै० वा० तथा इसके अधिक क्षमता के उत्पादन-यूनिटों की संख्या संलग्न विवरण-एक के अनुसार है। (ग्रंथालय में रखा गया दिखिये संख्या एल० टी० 4783/73)।

(ख) जल विद्युत यूनिटें जल की उपलब्धता के आधार पर क्षमता की पूरी मात्रा के अनुरूप विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। अधिकतर ताप यूनिट में से अधिकतर अपने मूल निर्धार के बराबर उत्पादन कर रहे हैं। कुछ यूनिटें जिनका निर्धार कम कर दिया गया है, विवरण-दो में दी गई है।

(ग) कोई भी यूनिट 50 प्रतिशत से कम निर्धार पर कार्य नहीं कर रहा है। मुख्य अनुरक्षण के लिये कार्य से हटाये गये यूनिट विवरण-तीन में दिखाये गए हैं।

दिल्ली के पास रेल मार्गों को दुहरा करने का काम 1973-74 में पूरा करना

6770. **श्री शशि भूषण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी यातायात को देखते हुए दिल्ली के निकट कौन कौन से और कितने रेल मार्ग दोहरे किये जा रहे हैं ; और

(ख) इन रेल लाइनों को दोहरा करने और 1973-74 में दिल्ली के निकट रेल मार्गों को दोहरा करने की योजनाओं के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : शकूरवस्ती और रोहतक के बीच 59.63 कि० मी० की दोहरी लाइन बिछाने का काम चालू है। इसमें से शकूरवस्ती वहादुरगढ के बीच का भाग पूरा हो चुका है और आशा है कि शेष काम मार्च, 1974 तक पूरा हो जायेगा। गाजियाबाद और मुरादाबाद के बीच (17.80 कि० मी०) दोहरी लाइन बिछाने का प्रश्न विचाराधीन है।

विदेशी सहयोग से खनिज तेल की खोज

6771. **श्री शशि भूषण :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज तेल की खोज करने के लिये विदेशी सहयोग लेने का सिद्धांत निर्णय कर लिया है ; और

(ख) क्या किसी देश के साथ इस बीच किसी प्रकार के कोई करार हो गये हैं और यदि हां, तो करारों की शर्तें क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इस प्रकार का सहयोग मांगा जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कुछ अतटीय क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के लिये "सामान्य ठेकेदार किस्म" के प्रबन्ध के आधार पर हितबद्ध विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग पर विचार किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं। उन कम्पनियों, जिन्होंने इस मामले में रूचि व्यक्त की है, के इस समय नाम बताना जन-हित में नहीं है।

Delegation sent Abroad by Ministry of Irrigation and Power

6772. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which delegations were sent by his Ministry during the years 1971 and 1972;

(b) the names of the persons included in the delegations and the purposes for which they were sent abroad; and

(c) the expenditure incurred on them, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) A statement giving the requisite information is attached.

[Placed in Library. See No. L.T. 4784/73]

Drugs imported during 1972 and achievement of self-sufficiency in this field

6773. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the names and value of drugs imported from foreign countries during 1972-73; and

(b) the time by which the country is likely to become self-sufficient in drugs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The import statistics in respect of drugs for the year 1972-73 are not yet available.

(b) In the drugs and pharmaceutical industry, whch is highly technology-oriented, it is extremely difficult for any country to become self-sufficient, particularly because of the diversity of products used. Besides newer and more efficacious drugs are also developed abroad from time to time through continuous research and development efforts, which take time to be developed and produced locally. Efforts are, however, being made to develop the local drugs industry and the research to produce durgs to meet our increasing requirements and avoid dependence on imports to the maximum extent possible.

Percentage of Increase in Drug Prices

6774. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state the percentage of increase registered in the prices of drugs as compared to the prices prevailing in 1961 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh) : The indices for drugs and medicines commencing from 1961-62 to 1972-73 show a rise of 48·7% in the prices of drugs as against 107·1% for all commodities.

जोन वार बिना खतरे की जंजीर की गाड़ियां

6775. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारतीय रेलवे में जोनवार कितनी गाड़ियों में खतरे की जंजीर नहीं है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : कुछ गाड़ियों में महिलाओं के डिब्बों को छोड़ कर खतरे की जंजीर का उपकरण नाकाम कर दिया गया है। ऐसी गाड़ियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। इस समय जिन गाड़ियों में खतरे की जंजीर का उपकरण नाकाम कर दिया गया है उन की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	अंशतः नाकाम उपकरण वाली गाड़ियों की संख्या	
मध्य	2	
पूर्व	191	(तथा सभी उपनगरीय गाड़ियां)
उत्तर	168	
पूर्वोत्तर	204	
पूर्वोत्तर सीमा	12	
दक्षिण	4	
दक्षिण-मध्य	6	
दक्षिण-पूर्व	22	
पश्चिम	16	
जोड़	625	

आल इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी परामर्श दात्री सेवाओं का विश्व-व्यापी स्तर पर स्थापित करने का प्रयास

6776. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड रिजर्वायर इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम पाइपलाइनों का डिजाइन बनाने और बिछाने सम्बन्धी परामर्शदात्री सेवाओं की विश्वव्यापी स्तर पर स्थापना करने का प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। किन्तु इंजीनियरिंग प्रोजैक्टस (इण्डिया) लिमिटेड (ई पी आई एल) ने, जो भारी उद्योग मंत्रालय का सरकारी उपक्रम है, सुमाट्रा में एक गैस परियोजना के लिये, प्राकृतिक गैस संबीडक केन्द्रों, परेषण पाइपलाइनों के निर्माण हेतु, इण्डो नेशिया के परटेमीना कम्पनी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ईपी आई एल ने आयल इण्यिा लि० (ओ० आई० एल०) को अपने सलाहकार के रूप में लिया है। जहां तक रिजर्वायर इंजीनिरिंग का सम्बन्ध है, आयल इण्डिया लि० ने विश्वव्यापी स्तर के आधार पर परामर्शदात्री सेवाओं के लिये अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

केरल में एक नये ब्राड गेज की स्थापना

6777. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरौड स्थित ब्रोड गेज शेड में उसकी पूरी क्षमता से कार्य होने लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो एक नया ब्रोड गेज शेड की स्थापना करने सम्बन्धी प्रश्न पर कब तक विचार किया जायेगा, और क्या यह नया शेड केरल में स्थापित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। बल्कि दक्षिण मध्य रेलवे के 22 डीजल रेल इंजन, जो इस समय ईरोड में खड़े किये जाते हैं, काजीपेट स्थित दक्षिण मध्य रेलवे के डीजल शेड को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। इससे दक्षिण रेलवे के लिये और क्षमता उपलब्ध हो जायेगी। इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे के 56 डीजल इंजन भी, जो गुत्ती में रखे जाते हैं काजीपेट स्थित दक्षिण मध्य रेलवे के डीजल शेड को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे जिससे दक्षिण रेलवे के लिये और क्षमता उतलब्ध हो जायेगी।

(ख) इसीलिये इस समय बड़ी लाइन का एक नया डीजल शेड बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

Madhya Pradesh Scheme regarding Financial Assistance for Irrigational Facilities

6778. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister ot **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any scheme to the Central Government seeking financial assistance for providing irrigation facilities, District-Wise in the State; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

न्यू कूच बिहार से गोलक गंज तक न्यू मैनागुरी से सितई तक (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक रेलवे लाइन

6779. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार (i) कूच बिहार जिले के टूफानगंज उपमंडल में न्यू कूच बिहार से गोलकगंज तक और (ii) न्यू मैनागुरी से सितई अर्थात् जलपाईगुड़ी से जिला कूच बिहार तक, दो नई रेल लाइनों का निर्माण करने का है ;

(ख) क्या इन लाइनों को सक्षम और लाभप्रद बनाने की बहुत अधिक सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रत्यक्षतः प्रस्तावित रेल लाइनों के निर्माण के लिए यातायात की दृष्टि से औचित्य बहुत ही कम दिखायी पड़ता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यू कूच बिहार से कलकत्ता के लिए प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के आरक्षण में बृद्धि

6780. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू कूच बिहार स्टेशन पर गत दो वर्षों से यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यू कूच बिहार से कलकत्ता के लिए प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमश : 12 और 32 तक बढ़ाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता क्यों कि कलकत्ता के लिए कूच बिहार स्टेशन को पहले से आबींटेत पहले दर्जे की 4 शायिका और तीसरे दर्जे की 12 शायिका तथा 16 सीटों के वर्तमान कोटे का पूरा उपयोग नहीं किया जाता ।

Collision of Train and Truck near Harthala

6781. Shri Mahadeepak Singh Shakya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a truck and a train collided with each other near Harthala as reported in the 'Bharat' of 6th March, 1973;

(b) whether the said train could not reach Moradabad till midnight and the Station authorities refused to accept it; and

(c) if so, the reasons therefor and the gist of loss sustained and the action taken against the prsons concerned?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) —(a) Presumably the reference is to the collision between train No. 2 MH and a truck at engineering level crossing gate No. 422-B between Harthala and Aghwanpur stations on 3-3-1973.

(b) & (c) The train No. 2 MH reached Moradabad at 23/10 hrs after suffering a detention of 1 hour and 27 minutes at the site of accident.

This accident was due to the failure of the Cabinman and the Gateman and the negligence of the truck driver who tried to negotiate the level crossing in the face of the approaching train. While departmental action against the defaulting staff is in progress, the Government Railway Police, Moradabad have also registered a case under section 304 of IPC and Section 101 of the Indian Railways Act.

In this accident the truck driver received minor injuries and the cleaner of the truck died on the spot. The truck was also damaged.

दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिए बुक की गयी वस्तुओं को वास्तविक तोल से कम दिखाने सम्बन्धी जांच

6782. **श्री महादीप सिंह** : क्या रेल मंत्री दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिए बुक की गयी वस्तुओं को वास्तविक तौल से कम दिखाने के बारे में जांच के सम्बन्ध में 6 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 2035 के बारे में जांच के सम्बन्ध में 6 मार्च 1973 के अतारांकिन प्रश्न सं० 2035 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कमर्शियल विभाग ने जांच प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पार्सल कर्मचारियों ने ताजा मटरों और गाजरों के ये पार्सल, व्यापारियों की सांठ गांठ से कम तोल के दिखा कर बुक किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो व्यापारियों के साथ उनकी सांठ गांठ समाप्त करने के लिए उन्हें दिल्ली से स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित पार्सल क्लर्कों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन कायवाही आरम्भ की जा रही है।

(ग) अनुशासन और अपील नियमों के अधीन जांच की कार्यवाही उपलब्ध होने के बाद ही इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी।

(घ) पार्सल क्लर्कों के बचाव सम्बन्धी बयानों के प्राप्त होने पर ही इस पर विचार किया जायेगा, जिन्हें आरोप पत्र दिये जायेंगे।

राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना के सर्वेक्षण पर पूंजी निवेश

6783. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **सिचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल ग्रिड के सर्वेक्षण पर पूंजी निवेश का निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकारों ने अपनी राय दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सरकार का विचार विभिन्न राज्य सरकारों की स्पष्ट राय लेने का है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) : एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के प्रस्तावों पर अभी तक केवल प्रारंभिक कार्यालय अध्ययन किए गए हैं । क्षेत्र अन्वेषण और अध्ययन शुरु करने का प्रश्न योजना आयोग के परामर्श में विचाराधीन है । एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के विचार को अंतिम रुप देने से सर्वेक्षण कार्यक्रम के नियोजन के समय तथा ऐसे अन्वेषणों के विभिन्न चरणों में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ।

गोदावरी जल विवाद

6784. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने महाराष्ट्र मैसूर, अन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ अक्तूबर, 1972 में अहमदाबाद में गोदावरी जल विवाद पर चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में (उपमंत्री श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि अक्तूबर, 1972 में अहमदाबाद गोदावरी जल विवाद के विषय में उनके भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्री का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मसूर को राज्य सरकारों संबंधित मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करने का कार्यक्रम था । राज्य सरकार के पास ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि कोई ऐसा विचार-विमर्श किया गया था ।

राज्य सरकारों को हाल ही में लिखा गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन में समय लग जाने के विचार को ध्यान में रखते हुए क्या वे बातचीत द्वारा नए सिरे से गोदावरी विवाद को हल करने के लिए प्रयास करेंगे ।

Roofing of Box Wagons in consultation with Traders and Industrialists

6785. Shri Chhatrapati Ambesh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal under which the work of roofing the box wagons would be taken up;

(b) whether the big traders and the industrialists of the country have been consulted in this regard; and

(c) if so, the names of these traders and the industrialists and the advice given by them in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RALWAYS

(Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Yes.

(c) Initially a model of a BOX wagon with sliding roofs was manufactured and demonstrated at Calcutta to representatives of coal, steel, mining industries as well as general trade. These included representatives from TISCO National Coal Development Corporation, Hindustan Steel Washeries, Indian Mining Association, Indian Coal Merchants Association, Mrs. Andrew Yule & Co. etc. The salient features and practical aspects of this wagon were discussed with them. They felt that the design would be satisfactory though some minor shortcomings were pointed out. They accepted the suggestion for trails with this type of wagon to judge its capability for loading and standing up to the vigorus of service. Accordingly, 30 wagons have been manufactured which are under regular service trials currently.

174 रुपया प्रति फैन की दर से करैज फैन के निर्माण का प्रस्ताव

6786. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 174 रुपया प्रति फैन की दर पर प्रतिमास 100 कैरेज फैन बनाने के लिए जून, 1971 में कोई प्रस्ताव मिला था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सार क्या है ;

(ख) लगभग गत वर्षों में चीफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियर और जनरल मैनेजर को कोई उत्तर न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या इस प्रस्ताव से रेलवे को काफी बचत होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

रतलाम डिवीजन में कर्मचारियों की गड़बड़ के कारण बम्बई से और बम्बई को जाने वाली रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

6787. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के रतलाम डिवीज़न पर कर्मचारियों की गड़बड़ के कारण मार्च 1973 से बम्बई से और बम्बई को जाने वाली अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थीं ;

(ख) इस कारण सरकार को कितनी हानि हुई : और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बम्बई आने-जाने वाली केवल एक जोड़ी गाड़ियां, अर्थात् 25 डाउन/26 अप वातानुकूल/पश्चिम एक्सप्रेस दो दिन के लिए रद्द की गयी थी।

(ख) लगभग 1,42,000 रुपये।

(ग) रेल प्रशासन ने सम्बद्ध कर्मचारियों की मांग पर पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी थी। उनको स्थिति समझा दी गयी थी और उन्हें यह भी आशवासन दिया गया था कि कार्रवाई शीघ्र पूरी की जायेगी।

कोसी, गंड़क और अन्य नदी परियोजनाओं का केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

6788. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की कोसी गंडक और कुछ अन्य नदी परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने संबंधी योजना का अध्ययन किया है, जिनमें सरकार का बड़ा धन लगा हुआ है, परन्तु लगी हुई पूंजी के अनुरुप लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए बिहार में कोसी, गण्डक अथवा किसी नदी परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, राज्य की नदी परियोजनाओं से पूर्ण लाभों को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को यथासंभव सहायता देगी।

कटिहर स्थित भारतीय विभागीय खानपान एकक को हुई हानि

6789. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के कटिहार स्थित विभागीय खानपान एकक को हुई हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान कटिहार स्थित विभागीय खानपान यूनिट को हुई हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	हानि
1969–70	20,073.00 रुपये
1970–71	10,469.00 रुपये
1971–72	25,690.00 रुपये

पूर्वोत्तर रेलवे में कटिहार-जोगबनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6790. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में कटिहार-जोगबनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डोंक नदी के रेलवे पुल के खम्बे को बिसार राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंपना

6791. **श्री मुहम्मद जमीलुरहमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे ने डोंक नदी के रेलवे पुल के खम्बों का परित्याग कर दिया है और उन्हें पोषिया (किशन गंज उप मंडल, पूर्णिया) से सीधा संबंध जोड़ने के लिए बिहार राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंपने का विचार है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) से (ग) :1971 में पूर्वोतर सीमा रेलवे को राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर से यह अनुरोध प्राप्त हुआ था कि डोंक नदी के ऊपर परियोजना रेलवे पुल का अन्तरण कर दिया जाये। रेलवे ने राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से एक नक्शा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था जिसमें यह बताया गया हो कि पहुंच मार्गों के लिए कितनी भमि अपेक्षित होगी और साथ ही इस बात की भी पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि प्रस्तावित सड़क पुल का जलमार्ग 100 फुट के 3 स्पैन वाले नये रेलवे पुल के जलमार्ग के अनुरुप बढ़ा दिया जायेगा। परिव्यक्त पुल में 60' के तीन स्पैन और 18'–6" के दो स्पैन हैं। अभी तक, राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है।

कोसी नहर क्षेत्र में छोटे तथा सीमान्त किसानों को बिजली की सप्लाई

6792. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 में कोसी नहर क्षेत्र में छोटे और सीमान्त किसानों को कुल कितने यूनिट बिजली सप्लाई की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : कोसी नहर कमांड क्षेत्र में छोटे तथा उपांत किसानों को सप्लाई की गई कुल बिजली वर्ष 1971–72 में 6.81 लाख यूनिट तथा 1972–73 में 9.66 लाख यूनिट है।

मुख्य संचालन केन्द्रों के लिए सूक्ष्म तरंग संचार प्रणाली

6793. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने 5,000 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाईन पर सूक्ष्म तरंग संचार प्रणाली चालू कर दी है ;

(ख) यदि हां तो इस योजना के अन्तंगत कितने क्षेत्र को लाया जायेगा ; और

(ग) इससे सरकार को किस सीमा तक मदद मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) माइक्रोवेव योजना के अन्दर आने वाले जिन क्षेत्रो में संचार पहले ही शुरु हो चुका है वे निम्नलिखित हैं :–

(1) मध्य रेलवे के बम्बई-लोनावाला, बम्बई-कल्याण और कटनी-जबलपुर ।

(2) उत्तर रेलवे के दिल्ली-मुरादाबा-टूंडला-कानपुर-लखनऊ इलाहाबाद-मुगलसराय वाराणसी ।

(3) पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-सोनपुर-समस्तीपुर गड़हरा-कटिहार ।

(4) दक्षिण रेलवे के मद्रास बैंगलूर-मैसूर गुंतकल्ल-मद्रास-तिरुच्चिरापल्ली-ओलवक्कोड-मदुरे और मद्रास-गुडूर ।

(5) दक्षिण मध्य रेलवे के गुडूर के कावली-विजयवाडा और गुन्तकल्लु-हुंगली ।

(6) दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर-बोंडामुडा, बिलासपुर-मिलाई-नागपुर और बिलासपुर-अनूपपुर कटनी ।

(7) पश्चिमी रेलवे का बडौदा-रतलाम ।

(ग) माइक्रोवेव दूर संचार प्रणाली के द्वारा वर्तमान नग्न तार नियन्त्रण संचार की रेडियो पैचिंग के साथ साथ, बडे-बडे इंजन शेडों, यार्डो, अन्तर्विनिमय स्थलों, नियत्रंण कार्यालयों, मंडल क्षेत्रीय मुख्यालयों जैसे रेल परिचालन के महत्वपूर्ण केन्द्रों के बीच मांग पर संचार की व्यवस्था की जा सकेगी ।

खनलमपुरा के गार्डों की दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे में बुकिंग क्लर्कों के रूप में पदावनति

6794. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या खनलमपुर, दिल्ली डिवजन, उत्तर रेलवे में काम कर रहे कुछ गार्डों की सरकारी धन का गबन करने के आरोप में अप्रैल, 1972 में बूकिगं कलर्कों के रुप में पदावनति कर दी गई थी और उन्हें सरवौटी टांटा रेलवे स्टेशन पर नियुक्त कर दिया था ।

(ख) क्या बदली के आदेशो का पालन करने की बजाए ये कर्मचारी मई, 1972 से 3-4 महीनों के लिये गैर कानूनी रुप से अनुपस्थित रहे :

(ग) यदि हां तो क्या आदेशों का पालन करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया न अपनाने के कारण जब कि ये रेलवे क्वार्टरों में रह रहें हैं, उनके विरुध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । आनुशासनिक कार्यवाई करने के बाद केवल एक गार्ड को पदावनत करके बुकिंग कलर्क बना दिया गया और 24-8-72 को सजोती टांडा में तैनात किया गया । अपील करने पर दंड घटा कर संचयी प्रभाव सहित एक वर्ष के लिये वेतन-वृद्धि कर दी गयी ।

(ख) से (घ) वह प्राईवेट डाक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 2-5-72 से 23-7-72 तक अनुपस्थित रहा इस अवधि में पदावनति आदेश में संशोधन कर दिया गया था । अनुपस्थिति के लिये उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कारंवाई नहीं की गयी । लेकिन अनुपस्थित की अवधी को क्या माना जायें यह प्रश्न विचाराधीन है । उसके पास कोई रेलवे क्वार्टर नहीं था ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाईयों का पता लगाने के लिए समिति की नियुक्ति

6795. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में रेलगाडीयों मे तीसरे दर्जे के यात्रियों को होने वाली कठिनाईयों का पता लगाने के लिये रेलवे में तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यदि हां तो तत्संम्बंधि मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) तीसरे दर्जे के यात्री डिब्बों मे भीड़ को समाप्त करने के लिये तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खण्डीय और क्षमता पर्यन्त क्षमता, चल स्टाक आदि के रुप में अपेक्षित साधनों की उपलब्धता को देखते हुये नयी गाडीयां चलाने वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने और उनमें सरकारी डिब्बों के लिये प्रयास किये जाते हैं ताकि तीसरे दर्जे में भीड़ भाड़ कम की जा सके । अप्रैल से नवम्बर 1972 के दौरान कुल 136 गाडियां चलायी गयी अथवा उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया । जिससे दैनिक गाड़ी किलोमिटर में 7398 की वृद्धि हुई । इसके अलावा 330 गाडियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ायी गयी जिसमें 521 सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया । दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों/कक्षों की जगह उत्तरोत्तर तीसरे दर्जे के डिब्बों/कक्ष लगाये जा रहे हैं । इस कदम से तीसरे दर्जे में भीड़-भाड़ कम करने मे भी सहायता मिलेगी ।

राजस्थान में लाइट डीजल आयल की कमी

6796. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेगें कि :

(क) क्या राज्यास्थान में लाईट डीजल आयल की भारी कमी है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाईट डीजल आयल सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां तो राज्य सरकार ने कितने लाइट डीजल आयल की मांग की है और उसे कब तक सप्लाई किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राजस्थान में लाइट डीजल आयल (एल डी ओ) की कुछ कमियां हुई थी। ये कमियां मुख्यत: उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पैट्रोलियम उत्पादकों की मांग में अनपेक्षित तेजी और इस के परिणाम स्वरुप सैन्यतन्त्र की समस्याओं के कारण हुई थी। कांडला में आयोजित एल डी ओ की प्राप्ति में भी कुछ विलम्ब हुआ था जिससे इस उत्पाद की उपलब्धि अपर्याप्त हो गई थी। परिवहन संबंधि कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये, कांडला स्थित बड़ी लाइन की सुविधाएं कैश आधार पर आयल साइडिगंज तक बढ़ा दी गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने भारत सरकार को दिसम्बंर, 1972 में सूचित किया था कि एल डी ओ की उनकी मासिक आवश्यक्ताएं लगभग 10,000 किलो लिटर थी। 1972 के तदनरुपी तीन महिनों की तुलना में जनवरी से मार्च 1973 के तीन महीनों के दौरान राजस्थान को भेजे गये वास्तविक प्रेषण इस प्रकार थे :-

अवधि	(आंकडे किलो लिटरों में)
जनवरी-मार्च, 1972	15304
जनवरी-मार्च, 1973	23345
प्रतिशत वृद्धि	52.5

इस से स्पष्ट है कि इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान की गई सप्लाई गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई सप्लाई से 50 प्रतिशत अधिक थी। यदि मार्च 1973 के प्रारम्भ में कांडला में इस उत्पाद को रखने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़ता तो वास्तविक सप्लाई इस से भी अधिक हुई होती। इस उत्पाद की उपलब्धि में अब काफी सुधार हुआ है।

राजस्थान नहर में मिट्टी का जमा होना

6797. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर में मिट्टी का तेजी से जमाव हो रहा है।

(ख) क्या राजस्थान सरकार वित्तीय और तकनीकी कठिनाईयों के कारण नहर में जमा मिट्टी को हटाने की स्थिति में नहीं है; और

(ग) यदि हां तो राजस्थान सरकार ने कितनी वित्तीय ग्रौर तकनीकी सहायता का ग्रनुरोध किया है ग्रौर इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) से (ग) राजस्थान फीडर को पंजाब में स्थित शीर्ष रीचों में पूर्ण क्षमता का प्रवाह न होने के कारण, कुछ गाद जमा होने की सूचना मिली थी ग्रौर गाद निकालने का ग्रधिकांश कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है ।

पश्चिम रेलवे में चालू ग्रवस्था के वैगनों की संख्या

6798. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगें कि :

(क) पश्चिमी रेलवे मे चालू ग्रवस्था वाले ग्रौर लाईन पर चल रहे वैगनों की सख्यां क्या है ?

(ख) गत तीन वर्षो में उद्योगों ने कितने वैगनों को रोके रखा तथा उनसे कितना-कितना विलम्ब शुल्क वसूल किया गया

(ग) ग्रन्य उद्योगों की ग्रसुविधाग्रों को समाप्त करने के लिये इस प्रकार डिब्बों के रोके जाने को कम से कम करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ग्रौर गत तीन वर्षों में पश्चिम रेलवे में कितने वैगनों को बेकार घोषित किया गया ; ग्रौर

(घ) कितने वैगनों के स्थान पर नए वैगन लगाये गये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान पश्चिम रेलवे में चालू हालात में रहने वाले ग्रौर लाईन पर चल रहे माल डिब्बों की कुल संख्या इस प्रकार थी :–

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1970-71	29164	24987
1971-72	25212	24132
1972-73	28337	24966

(ख) गत तीन वर्षो में उद्योगों द्वारा रोक रखे गये माल डिब्बों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है ग्रौर सभा-पटल पर रख दी जायेगी । उद्योगों से 1969-70 में 2422735.83 रुपये, 1970-71 में 2405247.04 रुपये ग्रौर 1971-72 में 875847.22 रुपये लिमम्बं शुल्क वसूल किया गया ।

(ग) माल डिब्बों को रोके रखने के मामले को कम करने के उद्देश्य से 1-12-1972 से सभी किस्म के माल डिब्बों के लिये विलम्ब शुल्क की दरें बड़ा दी गयीं हैं। जो मामले विशेष रुप

से खराब होतें हैं उनके सम्बंन्ध में सम्बंधित प्रत्येक उद्योग के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है । पश्चिम रेलवे मे बेकार घोषित किये गये माल डिब्बों की सख्यां इस प्रकार थी :–

	बडी लाइन	मीटर लाइन
1970-71	462.5	466
1971-72	413	585
1972-73 (फरवरी के अन्त तक)	390.5	443

(घ) बदले गये माल डिब्बों की सख्यां इस प्रकार थी :–

	बड़ी लाइन	मीटर लाईन
1970-71	19	918
1971-72	22	51
1972-73 (फरवरी के अन्त में)	736	144

Money found short in Cash Box being taken to Sabzimandi Railway Station from Old Delhi Station

6799. Shri Hukam Chand Kachwai

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether an amount of Rs. 7,551 was found short in counting in the cash box which was sent to Sabzimandi Railway Station from Old Delhi Railway Station in December, 1972; and

(b) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways

(Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) An amount of Rs., 9,551 (and not Rs. 7,551) was found short when a cash bag of Sabzi Mandi Station containing the Goods earnings of 22-12-72 was opened in the Cash Office of the Northern Railway.

(b) Steps to recover the money having failed so far the matter is being referred to the police. Station Master has been placed under suspension.

सीधी भर्ती से नियुक्त और रेन्कर ए० पी० डब्ल्यू० आई० की वरिष्ठता

6800. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त और रन्कर ए० पी० डब्ल्यू० आई० की पारस्परिक वारिष्ठता बनाये रखी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 28 मार्च, 1973 के उत्तर रेलवे के महा-प्रबन्धक के पत्र सं० 754-ई०/118-वी (ई० 11 बी०) के बावजूद उत्तर रेलवे के कुछ प्रभागों द्वारा ए० पी० डब्ल्यू० आई० की पारस्परिक वारिष्ठता बनाये रखी नहीं जा रही है ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के महा-प्रबन्धक के उपर्युक्त पत्र के अनुसार प्रभागीय अधीक्षक मुरादाबाद ने ए० पी० डब्लयू० आई० की सशोंधित वारिष्ठता सूची जारी कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो मुरादाबाद डिविजन द्वारा निर्धारित की गई ए० पी० डब्ल्यू० आई० की पारस्परिक वारिष्ठता के अनुरूप वरिष्ठता निधारित करने के लिये उत्तर रेलवे के सभी प्रभागों को नये आदेश जारी करने का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) पारस्परिक वरिष्ठता रखी जाती है ।

(ग) मण्डल अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा जारी की गयी संशोधित वरिष्ठता सूची उत्तर रेलवे के महाप्रबंन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार नहीं थी और अब उसे मण्डल अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा रद्द कर दिया गया है ।

(घ) इस स्थिति में कोई और अनुदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Absorption of surplus staff of S. & T. Department (North Eastern Railways)

6801. Shri K.M. Madhukar:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the surplus staff of the Signal Department of the North Eastern Railway were provided with alternative jobs in Class IV category during 1972 on the assurance that they would be absorbed in a suitable category when the opportunity comes;

(b) if so, the number of such employees and the number of those who have been absorbed in suitable category in accordance with the assurance given them; and

(c) the time by which Government propose to absorb all of them in a suitable category to fulfill the assurance given?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways

(Shri Mohd. Shafi Qureshi: (a) to (c) 51 skilled and semi-skilled junior most staff of the Construction Wing of the Signal & Telecommunication Department of North Eastern Railway who had been discharged on becoming surplus to

requirements, were absorbed against posts in grade Rs. 70—85. No assurance was given to them regarding their reposting in suitable category. However, instructions exist to the effect that surplus staff recruited through prescribed channel of recruitment absorbed in alternative employment in lower grades should be considered for absorption in their original categories against future vacancies in order of their seniority, but no time limit can be laid down for this purpose. Out of these 51 however, 5 ex-Mechanical Signal Maintainers have been absorbed in the same category on the Central Railway.

तापीय बिजली घरों का खराब रख रखाव

6802. **श्री प्रभुदास पटेल :** **श्री पी० ए० स्वामीनाथन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1973 के 'स्टेटसमैन' के दिल्ली संस्करण में "पुग्रार अपकोप ग्राफ थर्मल प्लान्टस (तापीय बिजली घरों का खराब रख-रखाव)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के कुछ केन्द्रों को छोड़कर देश के ताप-विद्युत केन्द्रो का निष्पादन सामान्य रुप से संतोषजनक रहा है । पूर्वी क्षेत्र के ताप, विद्युत केन्द्रों को, जहां घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग के कारण यूनिटों को क्षति हो रही थी, बढ़िया किस्म के कोयले की सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है विद्युत केन्द्रों का निरीक्षण करने और प्रचालन तथा रख-रखाव में सुधार संबधी सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल स्थापित किया गया है ।

मनीपुर की नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण, जल पूर्ति और पन-बिजली परियोजना संबंधी योजनाएं

6803. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने कि कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर की कुछ नदियां अर्थात इम्फाल, ईदिल और थोंबल के उद्गम स्थल पर बाढ़ नियंत्रण, जलपूर्ती और पन बिजली परियोजनाओं के रुप में बांध बनाने संबंधी योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तोतत्संबंधीं मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : ईरिल और थोंबल नदियों के उपर उनकी ऊपरी पहुंचों में बहुद्देश्यीय लाभों के लिये सचंय बांधों प्रस्तावों का अन्वेषण किया जा रहा है । अन्वेषण के समाप्त होने के पश्चात ही स्कीमों की मुख्य विशेषताओं का पता लगेगा ।

रेल पर्यन्त (रेल हैड) को मनीपुर के जीरीबन सब-डिवीजन तक बढ़ाना

6804. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने रेल पर्यन्त को आसाम के कार जिले के निकटतम स्टेशन से मनीपुर के जीरीवन सब-डिविजन तक बढ़ाने के लिये सर्वेक्षण कार्य शुरु कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वोक्षण कब तक पूरा हो जायेगा, और यदि नहीं तो इसके पूर करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल पर्यन्त को आगे तक बढ़ाने के लिये गत कई वर्षों से मांग की जाती रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विशेष मामले के रुप में विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मीटर लाइन को सिलचर से जीरीघाट तक बढ़ाने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पहल से ही किये जा रहे हैं ।

(ख) इन सर्वेक्षणों के मई 1973 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सर्वेक्षण के पूरे हो जाने के पश्चात इस पर आगे विचार किया जायेगा ।

मनीपुर में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए सर्वेक्षण

6805. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सम्भावना का पता लगाने के लिये उस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का व्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण में कितना समय लगा ; और

(ग) क्या सरकार और सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस करती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1963–64 के दौरान मनीपुर घाटी एंव संलग्न पहाड़ी क्षेत्र का प्रारम्भिक भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रकार एकत्र किये गए व्यौरों ने दर्शाया था कि इन क्षेत्रों में अनावृत चट्टानें तेल/गैस के अन्वेषण के लिए लाभदायक नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

आंध्र प्रदेश की नागार्जुनसागर परियोजना को केन्द्रीय सहायता

6806. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 से 1972-73 के दौरान आंन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर परियोजना को केन्द्रीय सहायता, विशेष सहायता अथवा अन्य सहायता के रुप में दी गई राशी का वर्षवार व्यौर क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यन्वयन के लिए धन का पावधान राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी विकास योजना में किया जाता है। राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है और विकास या परियोजना के किसी पृथक क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं होती ।

बहरहाल, 1969-70 में नागार्जुनसागर परियोजना के निमित 1 करोड़ रुपये की एक गैर-योजना केन्द्रीय सहायता दी गई थी। कृषि मंत्रालय के आपात्कालीन कृषि उत्पादन कार्य-क्रम के अंतर्गत, नागार्जुनसागर दक्षिण तट नहर के सुधार के लिए 16 लाख रुपये और नागार्जुनसागर वामतट नहर पर उठाऊ सिंचाई के लिए 127·19 लाख रुपये की सहायता 1972-73 में स्वीकृत की गई थी।

Supply of Electricity to Farmers in all Tehsil Centres

6807. Shri Lalji Bhai:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out a programme to supply electricity to the farmers in all the tehsil centres of the country;

(b) if so, the District-Wise names of the tehsils of each State in the country which have been approved for electrification; and

(c) the time by which the farmers would be supplied electricity in the rest of the tehsil centres?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power

(Shri Balgovind Verma): (a) : Programme for rural electrification are drawn up and implemented by the various State Governments and as such no seperate programme has been drawn up by Government of India to extend electricity to all the Tehsil Centres;

(b) & (c): Does not arise.

Payment of Demurrage for Failure to complete loading of Wagons in Rajasthan

6808. Shri Lalji Bhai:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of the firms in Rajasthan which could not complete loading of the wagons, allotted to them within the prescribed time during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 and the amount of demurrage realised from them on this account; and

(b) the amount of demurrage still outstanding against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways

(Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b): The information is being collected from the Zonal Railways and will be placed on the Table of the Sabha.

New railway lines from Jaipur to Delhi via **Reengus, Shyam, Khatu Data, Ramgarh**

6809. Shri Lalji Bhai:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any proposal to construct a 60-70 kilometre long Railway line from Jaipur Railway junction (Rajasthan) to Delhi via Reengus, Shyam, Khatu Data, Ramgarh, Rapud, Losas, Bhosala, Didwana etc, and

(b) if so the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways

(Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिन क्लर्क के विरूद्ध शिकायत

6810. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत के बारे में 25 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ सिटी के सरकारी रेलवे पुलिस ने इस बीच अपना जांच कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है।

खतरे की जंजीर हटा दिये जाने के कारण रेल गाड़ियों में अनुरक्षा

6811. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलगाड़ियां से खतरे की जंजीर हटाये जाने के परिणाम स्वरूप रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात कि जानकारी है कि गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरण को नाकाम कर देने से यात्रीगण आपातकाल में अपने और चलती गाड़ी के कर्मचारियों के बीच रहने वाले संचार के एक मात्र

साधन से वंचित हो जाते हैं। इसके बावजूद खतरे की जंजीर की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की रोक-थाम के लिए अंतिम उपाय के रूप में कुछ चुनी हुई गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरणों को नाकाम कर देना पड़ा क्योंकि इससे गाड़ी संचालन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था और गाड़ियां लेट हो जाती थीं तथा यात्रियों को असुविधा होती थी फिर भी, ऐसी गाड़ियों की संख्या न्यूनतम रखी गयी है और किसी भी हालत में महिलाओं के डिब्बों तथा पूर्व-डाक-यान में खतरे की जंजीर के उपकरण नाकाम नहीं किये जाते।

जिन गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरण नाकाम कर दिये गये हैं उन्हें सरकार यथा शीघ्र फिर से चालू करना चाहेगी। इस प्रयोजन के लिए स्थिति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

आरम्भिक स्टेशन को छोड़ कर अन्य किसी स्टेशन से मेल/एक्सप्रैस रेल गाड़ियों में आरक्षण के बारे में जनता को होने वाली कठिनाइयां

6812. **डा० कर्णी हिंस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह बताया गया है कि कुछ मेल और ऐक्सप्रैस रेल गाड़ियों में सभी स्थान आरक्षित करने की प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप, जो लोग आरम्भिक स्टेशन से दूर रहते हैं, रेल यात्रा से बिल्कुल बंचित रह जायेंगे और उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये इस योजना का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जिन गाड़ियों में सभी शायिकाओं और सीटों का आरक्षण होता है उनमें स्थान के आरक्षण के लिए उपयुक्त कोटे अलग से निर्धारित कर दिये हैं ताकि मध्यवर्ती स्टेशनों के यात्री उनका उपयोग कर सकें।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि इस योजना का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और लम्बी दूरी के यात्रियों को अत्यावश्यक राहत पहुंचाना है।

कोयलकारो पनबिजली परियोजना संबंधी प्रतिवेदन

6813. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयलकारो पनबिजली परियोजना का प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ; और

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना की परियोजना रिपोर्ट लगभग 2 महीने के समय में तैयार होने की आशा है।

(ख) इस समय विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। परियोजना के चरण-एक की अनुमानित लागत 53 करोड़ रुपये होने की संभावना है जिसमें 3×120 मैगावाट यूनिटों की प्रतिष्ठापना सम्मिलित है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने में निर्माण और यंत्र आदि लगाने के काम के लिये ठेका दिया जाना

6814. **श्री ई० वी० बिरवे पाटिल :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ठेकेदारों का नाम क्या है जिनको हल्दिया तेल शोधक कारखाने में निर्माण और यन्त्र आदि लगाने का काम दिया गया है और यदि वे कम्पनियां या फर्में है तो उनके प्रबन्धक निदेशकों/भागीदारों/मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक ठेका मूलत: कुल कितने रुपयो का दिया गया था और प्रत्येक ठेकेदार ने किस-किस तारीख को काम आरम्भ किया तथा पूरा किया ;

(ग) ऐस्कालेशन खण्ड के अधीन प्रत्येक ठेकेदार को यदि कोई अतिरिक्त धनराशि दी गई है तो कितनी और किस प्रकार का भुगतान किस वर्ष में किया गया था ; और

(घ) प्रत्येक मामले में अतिरिक्त राशि देते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया था ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

गत तीन वर्षों में मशीनी तेलों का आयात

6815. **श्री ई० वी० विरवे पालिट :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितना और कितने मूल्य का मशीनी तेल आयात किया गया ;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनसे प्रतियोगी टेंडरों के आधार पर मशीनी तेल का आयात किया गया ; और

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं (मात्रा और मूल्य सहित) जिनसे उपरोक्त अवधि में व्यापार योजना करारों के आधार पर तेल का आयात किया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान लुब्रीकेटिंग तेल अर्थात्, तैयार लूब तथा लूब बेस स्टाक्स, के आयात का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा '000 मीटरी टनों में	सी आई एफ मूल्य करोड़/रुपये
1970	261	18.12
1971	119	8.87
1972	134	9.20

(ख) और (ग) । उन कम्पनियों, जिनसे लुब्रीकैटिंग तेल का आयात किया गया था, के नाम बताना जनहित में नहीं है ।

राजधानी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के स्थान पर तीसरे दर्जे के डिब्बो सहित जनता एक्सप्रेस जैसी रेल गाड़ियां चलाना

6816. **श्री ई० वी० विरवे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपय करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के डिब्बो सहित चलाई जा रही मुख्य ऐक्सप्रेस रेल गाड़ियों की तुलना में दिल्ली-कलकत्ता और नई दिल्ली-बम्बई मार्ग पर चलाई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस रेल-गाड़ियां घाटे पर चलाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन गाड़ियों के स्थान पर जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या तीसरे दर्जे के तीन टायर वाले स्लीपर कोच से रखरखाव की लागत आदि की दृष्टि से उसी प्रकार के प्रथम श्रेणी के डिब्बों से अधिक आय होती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रथम श्रेणी के डिब्बों के स्थान पर तीसरे दर्जे के तीन टायर वाले स्लीपर कोच रखने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इन दोनों टाइप के सवारी डिब्बों की लाभ प्रदता उनके वास्तविक उपयोग के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है जो अलग-अलग गाड़ी और अलग-अलग खण्ड पर भिन्न भिन्न होती है । लेकिन यदि सवारी डिब्बे पूर्णत: भरे हों तो रात्रि की सेवा के लिए पहले दर्जे के एक सवारी डिब्बे की आय तीसरे दर्जे के एक तीन टियर शयनयान की आय की अपेक्षा थोड़ी कम होगी लेकिन लम्बी दूरी में पहले दर्जे का एक सवारी डिब्बा अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद होता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक कैमिस्टों को प्रयोगशाला अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाना

6817. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ सहायक कैमिस्ट प्रयोगशाला अधीक्षकों के उत्तरदायित्वों को पूरी तहर निभा रहे हैं और इसके लिए पूरे भत्ते प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या रिक्त स्थानों की कमी के कारण ऐसे सहायक कैमिस्टों की प्रयोगशाला अधीक्षकों के पद पर पदोन्नति नहीं किया जा सका ;

(ग) क्या प्रयोगशाला अधीक्षकों के पद रिक्त हो गये हैं और यदि हां, तो, क्या प्रयोगशाला अधीक्षकों के पद पर कार्य करने वाले सहायक कैमिस्टों की प्रयोगशाला अधीक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अतीत में एक सहायक कैमिस्ट ने अपनी ड्यूटी के अलावा लघु छुट्टी रियायतों में प्रयोगशाला अधीक्षक का काम भी किया। उसे दोहरे कार्यभार का भत्ता दिया गया था।

(ख) से (घ) प्रयोगशाला अधीक्षक का एक पद 20–8–1972 से खाली है। यह पद रेल सेवा आयोग के जरिए भरा जाना है। निचली कोटियों में ऐसे कर्मचारी, जो पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखते हों, इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं, उन्हें 45 वर्ष तक आयु-सीमा में छूट भी दी गयी है।

गंगा के कटाव से फरक्का बांध के संरक्षण के बारे पश्चिमी बंगाल का प्रस्ताव

6818. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के कटाव के फरक्का बांध और जंजीपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 63 करोड़ रुपये का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों पर विचार करने और उनको कार्यान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) फरक्का बराज की अनुप्रवाह दिशा में गंगा नदी के दाहिने तट पर नैनसुख और लालगोला के बीच 61 किलोमीटर की लम्बाई में भूमि कटाव रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक स्कीम तैयार की है। योजना आयोग की संवीक्षा तथा स्वीकृति हेतु योजना केन्द्र को मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुई है। यह एक बृहत् स्कीम है तथा योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार से इसके कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति देने से पूर्व केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में इसकी विस्तृत जांच तथा योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार-विमर्श अपेक्षित है। क्योंकि इस कार्य में कुछ समय लगने की संभावना है और कुछ महत्वपूर्ण अबादी वाले क्षेत्रों, जैसे धुलियन को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वे आगामी बाढ़ों से पूर्व अत्यधिक असुरक्षित क्षेत्रों के बचाव हेतु प्रस्ताव तैयार करें।

सोनारपुर (पश्चिम बंगाल) में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बोदरा केन्द्र में ड्रिलिंग

6819. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि सोनापुर (पश्चिम बंगाल) में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बोदरा केन्द्र में ड्रिलिंग का काम सन्तोषजनक नहीं रहा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों की जांच करने और उपयुक्त ड्रिलिंग के बाद तेल की मात्रा का पता लगाने के लिये और प्रयास करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) बोदरा में अब तक केवल एक अन्वेषी कुआं खोदा गया है। यह कुआं 4197.5 मीटर गहराई तक खोदा गया था (5000 मीटर की निर्धारित गहराई के मुकाबले में)। 4197.5 मीटर पर ड्रिलस्ट्रिंग फसने के कारण अधिक खुदाई संभव नहीं थी। इस रुकावट को हटाने के सभी प्रयत्न असफल रहे। इस कुए ने तेल या गैस की विद्यमानता का कोई संकेत नहीं दिया था।

बोदरा कुआं संख्या 1 के परिणाम प्रतिकूल होने के कारण, इस क्षेत्र में और अधिक अन्वेषण व्यधन आरम्भ नहीं किया गया है। परन्तु यदि भूकम्पीय सर्वेक्षण द्वारा अनुकूल संरचना का संकेत मिला तो इस क्षेत्र में अन्वेषण व्यधन के प्रश्न का पुनरीक्षण किया जायेगा।

दक्षिण रेलवे में कम वेतन पाने वाले वायर लैस आपरेटर

6820. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के कुछ वायरलैस आपरेटर अपने कनिष्ठ सहयोगियों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या प्रभावित कर्मचारियों से एफ० आर० 22-सी नियम 2018 बी० आर० आई० के अन्तर्गत दूर करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों के साथ न्याय करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई थी ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, एक वायरलैस आपरेटर अपने कनिष्ठ की अपेक्षा कम वेतन पा रहा है।

(ख) जी हां, यह विसंगति मूल नियम—22 सी, स्थापना संहिता भाग 11 के नियम 2018—बी० को लागू किये जाने का नहीं बल्कि वायरलेस आपरेटर के पद पर पदोन्नति की भिन्न सरणि के माध्यम से पदोन्नति किये जाने का परिणाम भी।

(ग) वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत ऐसी विसंगतियों को, जो कि सामान्य नियमों के प्रवर्तन के अन्तर्गत अपरिहार्य हैं, हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

दक्षिण रेलवे के टैलीग्राफ ट्रैफिक के निरीक्षकों का सामयिक स्थानान्तरण

6821. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के टैलीग्राफ ट्रैफिक के निरीक्षक उसी ग्रैड में हैं जब से वे इस ग्रेड में पदोन्नत हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका सामयिक स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) आवधिक स्थानातरण के आदेश (जिनका अब प्रतिसंहरण भी किया जा चुका है) तार यातायात निरीक्षकों की कोटि पर लगू नहीं होते।

अन्तर्राज्यीय सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के स्थान

6822. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अंतर्राज्यीय सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी ;

(ग) सिंचाई क्षेत्र और विद्युत प्रजनन के संबंध में इन परियोजनाओं से क्या लाभ होने की संभावना है ; और

(घ) क्या अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए अनुदानों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं (केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ विद्युत स्कीमों को छोड़कर) के लिए अपेक्षित परिव्यय का प्रावधान राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं में किया जाता है। चतुर्थ योजना के दौरान राज्य योजनाओं की केन्द्रीय सहायता समूची राज्य योजनाओं के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में है और यह परियोजना के विकास के लिये किसी विशिष्ट शीर्ष से संबंद्ध नहीं है। केन्द्रीय सहायता ढांचे में परिवर्तन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अंतर्राज्यीय आधार पर प्रारम्भ की गयी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है––

परियोजना और संबंधित राज्य	पूर्ण होने की संभावित अवधि	प्रत्याशित लाभ	
		सिंचाई हजार है०	विद्युत-प्रतिष्ठापित क्षमता-मैगावाट
(1)	(2)	(3)	(4)
गंडक परियोजना (बिहार और उत्तर प्रदेश)	पांचवी योजना	14.60	–
माही-बाजाजसागर (गुजरात और राजस्थान)	पांचवी योजना	30.80	–
ब्यास यूनिट एक और दो (हरियाणा, पंजाब और राजस्थान)	पांचवी योजना	741.00	900

(1)	(2)	(3)	(4)
चंबल, चरण एक और दो (मध्य प्रदेश और राजस्थान)	पांचवी योजना (सिंचाई) विद्युत परियोजना पहले ही पूर्ण हो चुकी है।	560	287
चबल चरण तीन (मध्य प्रदेश और राजस्थान)	1973–74	—	99
गुड़गांव नहर हरियाणा और राजस्थान	पांचवी योजना	105.94	—
बाग (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र)	पांचवी योजना	44.19	—
तुंगभद्रा उच्च तलीय नहर चरण दो (आंध्र प्रदेश और मैसूर)	पांचवी योजना	96.50	—
बलिमेलाजल विद्युत परियोजना (उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश)	1974–75	—	360
पेंच जल विद्युत परियोजना (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	1979–80	—	160

भारत और पोलैण्ड के बीच औषध पेट्रो रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम

6823. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैंण्ड के बीच औषध पेट्रोलिम रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उपक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरुप औषध पेट्रो रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में दो देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही में हुई इन्डो पोलिश बातचीत के दौरान आपसी हितों के क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम / सहयोग की स्थापना के लिए विचार विमर्श हुआ था। अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बन सका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rural Electrification Schemes in Madhya Pradesh

6824. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of the Districts in Madhya Pradesh in respect of which rural electrification schemes are pending approval with Rural Electrification Corporation and the date since when theso are pending ; and

(b) the time by which these schemes are likely to be approved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) Madhya Pradesh stands second in the matter of number of schemes sanctioned by the Rural Electrification Corporation. The Corporation has sanctioned 40 rural electrification schemes of this State envisaging loan assistance of Rs. 1848·296 lakhs for the electrification of 1,912 villages, energisation of 64·551 pumpsets and power supply to 3,971 small scale and agro industries. Twenty nine schemes of Madhya Pradesh estimated to cost Rs. 978·44 lakhs, pertaining to Rajgarh, Panna, Bastar, Chindwara, Shahjapur, Ratlam, Bhind, Morena, Khandwa, Chhattarpur, Jhabua, Guna, Seoni, Gwalior, Mandala, Sagar, Khargone, Satna, Bilaspur, Balagahat, Indore Datia and Ujjain districts are pending consideration with the Rural Electrification Corporation since October, 1972 (11), December, 1972 (1), January, 1973(8), February, 1973 (3) and March, 1973 (6). Besides, 16 schemes have been referred back to Madhya Pradesh Electricity Board for revision in accordance with the norms prescribed by the Corporation. The pending schemes are being examined by the Corporation on the basis of cateria fixed by them and if found technically feasible and financially viable, will be approved for financial assistance depending upon the availability to funds for sancition of such schemes of Madhya Pradesh and other State Electricity Boards.

लोअर दामोदर घाटी में बाढ़ से तबाही

6825. श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दामोदर घाटी के अपर अटैचमेंट क्षेत्र में शेष चार जलाशयों के निर्माण के बिना लगभग प्रति वर्ष लोअर दामोदर क्षेत्र में बाढ़ से तबाही होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी समिति ने निम्न दामोदर क्षेत्र की बाढ़ और जल निकास समस्या का अभी हाल में विस्तार से अध्ययन किया था। अपनी रिपोर्ट में जो मई, 1972 में प्रस्तुत की गई थी, समिति ने क्षेत्र में बाढ़ों के प्रभावी नियंत्रण तथा जल-जमाव के लिए उपायों की सिफारिश की थी। सुझाए गए मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) दामोदर (अमता चैनल) के पुराने मार्ग को उसके शीर्ष पर बंद किया जाना चाहिए और चैनल को मुन्डेश्वरी के बायीं ओर के क्षेत्रों के जल-निकास के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

(2) दामोदर की बाढ़ों के फैलने वाले जल को रोकने के लिए तथा मुन्डेश्वरी चैनल को समप्रवाहन निस्सरणों में सुधार करने हतु रोहांडिया से बुक्सी तक 8500 क्युसेक्स (3 लाख क्युसेक) के निस्सार के लिए मुण्डेश्वरी के दोनों तटों पर वाढ़ तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए।

(3) पाइलट चैनलों को काटने और ड्रेजिंग तथा ज्वारीय बेसिनों में कटाव को रोकने के लिए रूपनारायण की बाहन क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए।

(4) माइथन एवं पंचेत बांधों की परियोजना रिपोर्टों में व्यवस्थित पूर्ण अभिकल्प संचय को बाढ़ों के प्रभावी नियंत्रण के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए।

समिति ने बताया है कि उपर्युक्त सुझाए गए उपायों के कार्यान्वियन से होने वाले परिणामों के कुछ अनुभव के पश्चात् और आर्थिक बातों को भी ध्यान में रखते हुए बाढ़ संचय की आवश्यकता का पुनरविलोकन किया जाए।

समिति की सिफारिशों की रौशनी में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने निम्न दामोदर क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास सुधार के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार की है। आमता बेसिन में जलनिकास में सुधार के लिए स्कीम का चरण-एक जिसकी लागत 6. करोड़ रुपये है, कार्यान्वियन के लिए स्वीकृत हो गई है और कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा स्कीम के अन्य चरणों को अब अंतिम रुप दिया जा रहा है।

रेलवे में संरक्षित कर्मचारी

6826. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री रेलवे में 'संरक्षित कर्मचारी' की घोषणा के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3197 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मान्यता प्रप्त संघों' के कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करते हुये रेलवे प्रशासन ने संरक्षित कर्मचारियों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : मान्यता प्राप्त यूनियनों के जो पदाधिकारी औद्योगिक विवाद आधिनियम, 1947 के अधीन 'संरक्षित कर्मचारी' के रुप में घोषित किये गये रहे होंगे, उनके संबंध में रेल प्रशासनों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्मचारियों के सामायिक तबादलों के बारे में निदेश

6827. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री रेलवे कर्मचारियों के समय समय पर तबादलों के बारे में 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सामयिक तबादलों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग को स्वीकृत करने के अपने निर्णय के बारे में कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निदेश की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह और सरकार द्वारा कब तक निदेश जारी किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) निदेश की एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी / देखिये संख्या एल० टी० 4785/73]

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

टिकट ट्यूबों से गुम हुई टिकटों की जिम्मेदारी नियत करने के लिये प्रक्रिया

6828. **श्री ओंकार लाल बैरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिकट टयूब से गुम पाई जाने बाली टिकट की जिम्मेदारी नियत करने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ; और

(ख) क्या ब्लैंक पेपर टिकट के पैसेंजर पोर्शन के गुम होने के कारण बुकिंग क्लर्क से कोई धनराशि वसूल की जाती है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसे मामलों में, टिकट के गुम होने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जाती है और यदि सिद्ध हो जाता है कि गुम टिकट वस्तुत : बैच दिया गया था जिससे रेल विभाग को धन की हानि हुई है तो इसके लिए उत्तरदायी ठहराये गये रेल कर्मचारी से हानि की राशि वसूल की जाती है । इसके अतिरिक्त, मामले के गुण-दोष के आधार पर आवश्यकतानुसार अनुशासिनिक कार्रवाई भी की जाती है ।

(ख) जी हां, राशि को कर्मचारी के नाम खाते में डालने के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जाती है जैसी ऊपर भाग (क) के उत्तर में बतायी गयी है ।

मुहरबन्द माल डिब्बों (पूर्व रेलवे) में पाई गई कमियों के लिये मुगलसराय के गुडस कलर्कों से वसूली

6829. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियत स्टेशनों पर पहुंचने के बाद मुहरबन्द माल डिब्बों में पाई जाने वाली कमियों को पूर्व रेलवे के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे गुड्स क्लर्कों से भारी धनराशी ली जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन गुड्स क्लर्कों के नाम क्या हैं और 1970 से 1972 की अवधि में प्रत्येक गुड्स क्लर्क से कितनी कितनी धनराशी वसूल की गई ;

(ग) क्या अन्य भारतीय रेलवे से भी इसी प्रकार वसूली की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो पूर्व रेलवे तथा अन्य रेलवे के कर्मचारियों के बीच भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। जिन मामलों में माल को हानी के लिए कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है उनमें कर्मचारियों से सुधारक उपाय के रुप में थोडी सी रकम वसूल की जाती है जिसे रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत मामूली दंड कहा जाता है।

(ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों के नाम और उनसे की गयी वसूलियां नीचे बतायी गयी हैं :-

	कर्मचारी का नाम	वसूल की गयी रकम
1970		
	श्री जी०पी० सिंह भूतपूर्व यानान्तरण क्लर्क	200 रुपये
	श्री आर० बी० लाल यानान्तरण क्लर्क	50 रुपये
	श्री परमेश्वर सिंह यानान्तरण क्लर्क	50 रुपये
1971		
	श्री एन० आर० मिस्की यानान्तरण क्लर्क	100 रुपये
	श्री मनोहर लाल यानान्तरण क्लर्क	100 रुपये
	श्री इतवारी लाल यानान्तरण क्लर्क	50 रुपये
1972		
	श्री ए० एन० सिंह यानान्तरण क्लर्क	100 रुपये
	श्री डी०पी०केसियर यानान्तरण क्लर्क	52.40 रुपये
	श्री एम० एच० मल्लिक यानान्तरण क्लर्क	35 रुपये
	श्री एन० के० ओझा यानान्तरण क्लर्क	150 रुपये
	श्री एन० के० ओझा यानान्तरण क्लर्क	250 रुपये
	श्री एन० के० ओझा यानान्तरण क्लर्क	150 रुपये

कर्मचारी का नाम	वसूल की गई रकम
श्री एस० बी० राय यानान्तरण क्लर्क	100 रुपये
श्री आर० एन० राम यानान्तरण क्लर्क	160 रुपये
श्री सुरेन्द्र सिंह यानान्तरण क्लर्क	150 रुपये
श्री सुरेन्द्र सिंह यानान्तरण क्लर्क	200 रुपये
श्री आर० बी० सिंह यानान्तरण कलर्क	150 रुपये

(ग) जिन मामलों में माल हानि के लिए कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है, उनमें अन्य रेल प्रशासन भी वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ऐसी ही वसूलियां करते हैं।

(घ) प्रशन नहीं उठता ।

मैनेजर्स आफ दि रेलवे आन दि वार पथ"

6830. श्री बसन्त लाल साठे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1973 के "टाइम्स आफ इण्डिया" के पृष्ठ एक पर रेलवे मेनजरों द्वारा आन्दोलन (मेनेजर्स आफ रेलवेज आन दि वार पथ) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) श्रेणी I के रेल अधिकारियों के एसोसिएशन के फेडरेशन और भारतीय रेलवे के श्रेणी II के अधिकारियों के फेडरेशन को सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है ताकि वे अधिकारियों की यदि कोई शिकायत हों तो उन्हें प्रस्तुत कर सकें। प्राप्त अभ्यावेदनों और सम्बन्धित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार उपयुक्त उपचार के लिए विचार करेगी।

ताप बिजली घर को पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाया जाना

6831. श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1973 के "आनन्द बाजार पत्रिका' में ताप बिजली घर को डलखोला (पश्चिम बंगाल) के बजाय बिहार में पूर्णिया के स्थान पर बनाये जाने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क) जी, हां, पश्चिम बंगाल में दलखोला से ताप विद्युत् केन्द्र को बिहार में पूर्णिया में स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लेखा विभाग में छुट्टी रिक्ति में क्लर्क ग्रेड एक के पद पर पदोन्नति

6832. **श्री फतेह सिंहराव गायकवाड :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के लेखा विभाग में क्लर्क-ग्रेड एक में छुट्टी रिक्तियों पर 25 प्रतिशत कोटे में वरिष्ट उपर्युक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप 1 अप्रेल, 1968 तथा इसके बाद में अपने काटे में पदोन्नत हुये एपेंडिक्स 2 आई० आर०ई०एम० में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की छुट्टी रिक्तियों की समाप्ति पर पदावनत दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त अनियमितता अब खत्म कर दी गई है और यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) एपेण्डिक्स 2 आई० आर० ई० एम० के कर्मचारियों को जो कोटे से अधिक थे, पदावनत हुए कर्मचारियों को क्या राहत दी गई है ।

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी कीं जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फुलरा सोजात रोड के बीच इंजन चालकों के काम के घंटे

6833. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलवे बोर्ड ने इंजन चालकों क 10 घण्टे के काम के बाद उनको अवकाश देने के अनुदेश दिए थे ।

(ख) क्या इन अनुदेशों का पालन अजमेर स्टेशन पर फुलेरा से सोजात रोड के बीच काम करने वाले चालकों के संबधं में भी किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी नहीं । लेकिन अक्टूबर, 1968 में श्रमिक सगंठनों के साथ विचार-विमर्श करके ऐसी हिदायतें जारी की थीं कि रनिंग कर्मचारियों की समग्र डयूटी की एक अवधि हस्ताक्षर करने के समय से लेकर, सामान्यत 14 घटें से अधिक नहीं होनी चाहिए और 14 घटें के बाद उन्हें राहत पाने का अधिकार होना चाहिए बशर्ते उन्होंने राहत के लिए दो घटें का नोटिस दिया हो । फुलेरा-सोजात रोड खण्ड पर काम कर रहे कर्मचारियों की समग्र डयुटी के घंटे भी इन्हीं हिदायतों के अनुसार विनियमित किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लेखा विभाग (पश्चिम रेलवे) में क्लर्क ग्रेड एक के पद पर पदोन्नतियों के मामलों को पुनः खोलना

6834. **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के 31 जनवरी, 1970 के पत्र संख्या पी० सी०-66/पी० एस०-5/08-86 के अनुसार (अक्तूबर 1962 से क्लर्क ग्रेड एक के पद पर पदोन्नतियों के मामलों को हाल में पुनः खोल दिया गया है ताकि 25 प्रतिशत कोटे में उन अन्य व्यक्तियों को जो मूलरूप से पदोन्नति के पात्र नहीं है भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति वेतन निर्धारण तथा बकाया राशि (एरियर्स) का लाभ दिया जा सके ;

(ख) क्या अन्य क्लर्क ग्रेड-एक के ऐसे ही मामले पहले भी खोले गये थे और उनको रेलवे वोर्ड के 4 जनवरी, 1971 के पत्र संख्या ई (पी एण्ड ए / 70 / पी एस) ओ एस-26 के अनुसार 1 अप्रैल, 1968 से पदोन्नति दी गई थी ?

(ग) रेलवे के लेखा कार्यालय के अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के 14 नवम्बर 1968 के अभ्यावेदन के उत्तर में रेलवे बोर्ड ने 25 सितम्बर, 1969 को पत्र संख्या ई (एन जी) 168-पी एम आई/99 जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अन्यथा निपटाये गये मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1968 से क्लर्क ग्रेड एक में छुट्टी से हुए रिक्त स्थानों में पदोन्नतियों के मामलों को पुनः खोलने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्म शफी कुरेशी) : (क) एक शंका उठायी गयी थी कि क्या न्यायमूर्ति शंकर शरण तदर्थ अधिकरण द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार ग्रेड II के ऐसे गैर-अर्हता प्राप्त लेखा क्लर्कों (110-180 रुपये अ० वे०) को ग्रेड क्लर्क I के रूप में पदोन्नत होने पर 1-10-62 से चार अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं जिन्होंने 1-10-62 से पहले दक्षता-रोध पार करते समय लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन जिनके सेवा रिकार्डों का पुनरीक्षण उस तारीख के बाद किया गया था। चूंकि इस सम्बन्ध में रेलों पर अलग अलग परिपाटी का अनुसरण किया जा रहा था अतः रेलवे बोर्ड के 31-1-1970 के पत्र सं० पी० सी०--66/पी० एस०-5/ओ०एस-8 द्वारा सभी रेल प्रशासनों को स्पष्टीकरण जारी किया गया कि ऐसे सभी क्लर्कों को 1-10-62 से चार अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जाना चाहिए।

(ख) रेलवे बोर्ड के 4-1-1971 के पत्र द्वारा एक क्षेत्रीय रेलवे अर्थात् पश्चिम रेलवे को एक और स्पष्टीकरण भेजा गया था कि ग्रेड I के जिन क्लर्कों को स्नातकों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित कोटे से मुक्त की गयी रिक्तियों तथा छाया पदों पर पदोन्नत किया गया था उनका वेतन 1-4-68 से चार अग्रिम वेतन वृद्धियां देकर निश्चित किया जाये, बशर्ते सम्बन्धित कर्मचारियों ने निर्धारित लिखित परीक्षा/दक्षता रोध परीक्षा 1-4-1968 से पहले पास कर ली हो, भले ही उनके सेवा रेकार्डों का पुनरीक्षण 1-4-1968 के बाद किया गया हो।

(ग) जी हां।

(घ) पिछले मामलों को दुबारा खोलने से पहले हो चुकी पदोन्नतियां अस्तव्यस्त हो जातीं। उपर भाग (क) और (ख) में उल्लिखित आदेशों का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पश्चिम रेलवे की अजमेर डिवीजन में ड़िवीजन चालकों द्वारा गाड़ियों को डिवीजन प्रणाली पर चलाना

6835. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने डिवीजन चालकों द्वारा गाड़ियों को डिवीजन प्रणाली पर चलाने के आदेश दिए है और ऐसा करने के क्या कारण है ; और

(ख) क्या पश्चिम रेलवे में भी यही प्रणाली लागू की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्म शफी कुरेशी) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जियाजी राव काटन मिल्स लिमिटेड, ग्यवालियर के कार्याकरण की जांच

6836. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि न्याय** और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जियाजी राव काटन मिल्स लिमिटेड, ग्वालियर के कार्यकरण की जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस अधिनियम के अधीन कम्पनी के जांच का आदेश दिया गया है और जांच कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) इस मिल के निदेशकों के नाम क्या है ;

(घ) क्या इस मिल को अपने रसायान संयंत्र में 7.5 करोड़ रुपये तक खर्च कर उसका विस्ता करने की अनुमति दी जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) जियाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड, ग्वालियर के कार्य-कलापों की जांच-पड़ताल के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत आदेश दिया गया था। कम्पनी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में, इस जांच-पड़ताल आदेश के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत, लिखित याचिका दायर की थी। न्यायालय ने जांच-पड़ताल आदेश उन्मूलित कर दिया। कम्पनी विधि बोर्ड ने अपील कर दी है, एवं मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है ।

(ग) कम्पनी के निदेशकों के नाम, सर्वश्री गोर्धनदास जादवजी रुपारिल, आर० वी० वैश्य, क० जी० महेश्वरी, ए० वी० विड़ला, वी० के० झावर, एस० के० बिड़ला, तथा नवल किशोर केजरीवाल हैं ;

(घ) तथा (ङ) कम्पनी के रसायनिक संयन्त्र के विस्तार के लिये आवेदन-पत्र विचाराधीन है ।

केरल में कल्लाड सिंचाई परियोजना का निष्पादन

6837. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार कल्लाड सिंचाई परियोजना के त्रुटिपूर्ण आयोजन तथा त्रुटिपूर्ण टेंडरों की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी है, जिस कारण इसके निष्पादन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वह इस परियोजन को तेजी से पूरा कर सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केरल सरकार ने जिस पर कल्लाड परियोजना का कार्यभार है, सूचित किया है कि कल्लाड परियोजना के लिए निविदाओं की स्वीकृति तथा इसकी आयोजना में कोई भी त्रुटि ध्यान में नहीं आई है।

(ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता विकास या परियोजना के किसी विशिष्ट शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है अपितु यह उनकी समग्र योजनाओं के लिए ब्लांक ऋणों और अनुदानों के रुप में दी जाती है। देश में चुनी हुई वृहद् सिंचाई परियोनाओं के लिए विशेष सहायता देने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें कल्लाड परियोजना भी सम्मिलित है, जिसके त्वरित निर्माण से आगामी तीन वर्षों में महत्वपूर्ण अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न करने में सहायता मिल सकती है।

क्षेत्रीय रेलों से लिये गये लेखापालों को रेलवे बोर्ड के कार्यालय में रखा जाना

6838. **श्री फतेह सिंहराव गायकवाड़ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लेखापालों को क्षेत्रीय रेलों से कालावधि के आधार पर लिया गया है और यदि हां, तो उनकी कालावधि क्या है ; और

(ख) क्षेत्रीय रेलों से लिए गए ऐसे लेखापालों की संख्या कितनी है जिनको रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कालावधि पूरी होने के बाद भी रखा जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, आमतौर पर उनके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष तक होती है।

(ख) बोर्ड कार्यालय के 31 लेखाकारों में से 13 लेखाकारों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनके स्थान पर रेलों के उन उपयुक्त लेखाकारों को रखने की व्यवस्था की जा रही है जो बोर्ड कार्यालय में स्थानान्तरण के लिए राजी हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में कटनी–वाराणसी तथा बाराबंकी–समस्तीपुर मीटर गेज लाईनों को ब्राड गेज लाइनों में बदला जाना

6839. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी-वाराणसी मीटर गेज लाइन को ब्राडगैज लाइन में बदलने के लिए बहुत पहले सर्वेक्षण किया गया था परन्तु इसे प्राथमिकता नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ख) क्या–बाराबंकी से समस्तीपुर तक बरास्ता मुजफ्फरपुर लाइन को ब्राडगेज में बदलने के काम में धनराशि तथा कर्मचारियों के अभाव के कारण विलम्ब हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस आमान परिवर्तन के लिए किये गये सर्वेक्षणों की रिपोर्ट और आर्थिक अध्ययन से इस आमान परिवर्तन की तात्कालिक आवश्यकता प्रमाणित नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : जी नहीं । इस आमान परिवर्तन परियोजना पर निर्माण का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

मुआवजे और दावों के बारे में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 582, 584 तथा 593 की क्रियान्विति

6840. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री पन्ना लाल बारूपाल : क्या रेल मंत्री मुआवजे और दावो के बारे में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के बारे में 22 जून, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2728 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिफारिश संख्या 582, 584 तथा 593 की इस बीच जांच करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या जोनल रेलवे को निर्णय की सूचना दे दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्णयों की मुख्य रुपरेखाएं क्या हैं, और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : सिफारिश सं० 582 और 584 अभी विचाराधीन है । सिफारिश सं० 593 के दो पहलू हैं जिनका संबंध विशेष पुलिस स्थापना और सतर्कता संगठन द्वारा की जाने वाली जांच पड़ताल से है । सतर्कता संगठन द्वारा की गयी जांच पड़ताल से संबंधित कार्रवाई को अन्तिम रुप दे दिया गया है और विशेष पुलिस स्थापना संबंधी कार्रवाई के बारे में जांच की जा रही है ।

(ग) सिफारिश सं० 593 से संबंधित सतर्कता संगठन की जांच पड़ताल के संबंध में किये गये विनिश्चय से क्षेत्रीय रेलों को अवगत करा दिया गया है ।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, क्षेत्रीय रेलों को इस आशय की हिदायतें दे दी गयी हैं कि जिन मामलों में अराजपत्रित कर्मचारी अन्तर्गस्त हों, जहां सतर्कता शाखा द्वारा पकड़ी गयी और प्रमाणित अनियमितताएं विशुद्ध रुप से विभागीय ढंग की हो और जिनमें किसी कदाशयता या बदनीयती का या इन तत्वों के होने का सन्देह न हो अर्थात् सतर्कता पहलू या सम्भावित सतर्कता पहलू न हों, ऐसे मामले सतर्कता संगठन द्वारा अन्तिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के पास भेज दिये जाने चाहिए। विशेष पुलिस स्थापना द्वारा पकड़ी गयी अनियमतताओं के संबंध में अन्तिम हिदायतें, इस मामले में जो अभी विचाराधीन है, विनिश्चय करने के बाद जारी की जायेंगी।

इन सिफारिशों को अन्तिमरुप देने में विलम्ब का कारण यह है कि ये नीति विषयक मामले हैं जिनके दूरगामी फलितार्थ होंगे।

रितांग रेलवे स्टेशन पर सम्पर्क सड़क तथा ऊपरी पुल का निर्माण

6841. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के रिताँग स्टेशन की सम्पर्क सड़क तथा ऊपरी पुल के निर्माण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर स्टेशन के लिए एक पहुंच मार्ग पहले से मौजूद है। फिर भी अभ्यावेदन में स्टेशन की इमारत के पूर्व की ओर एक पहुंच मार्ग की मांग की गयी है जिस पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा रेलवे भूमिकी सीमा के बाहर एक ऐसी ही सड़क बनाने के बाद ही विचार क्यिा जा सकता है।

जहां तक पैदल ऊपरी पुल का सम्बन्ध है, धन की उपलब्धता को देखते हुए इसे रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जायेगी।

उड़ीसा मे निर्धनों को कानूनी सहायता

6842. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने निर्धनों को निशुल्क कानूनी सहायता देने सम्बन्धी माडल स्कीम को अब कार्यान्वित कर लिया है ; और

(ख) इस स्कीम की रुपरेखा क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथापि, राज्य सरकार ने अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जातियों को भूमि सम्बन्धी मुकदमों में वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम बनाई है। स्कीम की मुख्य बात यह है कि सहायता चाहने वाले व्यक्ति सम्बद्ध कल्याण अधिकारी के माध्यम से संबंधित कलक्टर को विहित

प्ररुप में आवेदन कर सकते हैं जिसके साथ किसी राजपत्रित अधिकारी या विधान सभा के किसी सदस्य अथवा किसी संसद्-सदस्य का इस आशय का प्रमाणपत्र होगा कि आवेदक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है और विरोधी पक्ष अनुसूचित जाति अथ्वा अनुसूचित जन-जाति समुदाय का नहीं है। आवश्यक जांच के बाद, वह आवेंदन सिफरिश सहित सम्बधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। न्याय चाहने वाले अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को, अपनी पसंद का प्लीडर नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी तथा वे प्लीडर की फीस आपसी बातचीत से ही तय करेंगे। किन्तु फीस की दर इसी प्रकार के मामलों में सरकारी प्लीडरों को देय फीस के आधे से अधिक नहीं होगी। कानूनी सहायता की मात्रा मदद के रुप में ही होगी यह आवश्यक नहीं कि वह मुकदमे के समस्त खर्चे को पूरा करे। यह सहायता उस सहायता से भिन्न हैं जो सेशन न्यायालय के समक्ष मृत्यु तथा इसी प्रकार के दंड वादों में अभियुक्त व्यक्तियों को दी जाती है।

Difference between Hindi and English versions of Railway Time Tables.

6843. Shri Jagadish Narain Mandal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any differnce between Hindi and English versions of the Railway Time Tables ; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Except difference in advertisements there is no other material difference in English and Hindi version of the railway time tables published by the Zonal Railways. All India Railway Time Table is, however, published by the Railway Board in English only.

मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई और मारूति एण्ड कम्पनी में सम्बन्ध

6844. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के निदेशक बोर्ड के चेयरमेन तथा अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस कम्पनी के चेयरमैन का मारुति एण्ड कम्पनी, जो कि हरियाणा की छोटी कार निर्माता फर्म है, से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है ; और

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनमें आटोमोबाइल प्रोड्क्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :(क) मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के अध्यक्ष एवं अन्य निदेशकों के नाम, नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न प्रकार है : —

1. श्री० एम० ए० चिदम्बरम, निदेशक।

2. डाक्टर जे० एम० राने, निदेशक।

3. श्री सी० बी० सरन, निदेशक।

4. श्री आर० एन० मफतलाल, निदेशक।

5. श्री के० एन० तलवार, निदेशक।

6. श्री जे० एम० पोरपांडे, निदेशक।

7. श्री आर० पी० गायकवाड, निदेशक।

8. श्री एफ० के० एफ० नारिमन, निदेशक।

9. श्री ए० ए० देशपाण्डे, निदेशक।

10. लेफ्टिनेन्ट कर्नल एफ० पी० गायकवाड, निदेशक।

(ख) मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड का अध्यक्ष, मैसर्ज मारुति लिमिटेड, हरियाणा का भी अध्यक्ष है।

(ग) 28–1–72 तक, मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड का अध्यक्ष निम्नलिखित कम्पनियों का अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/समिति सदस्य के रुप में सम्बन्धित था :

अध्यक्ष

1. ट्यूब्स एण्ड मैलिएबल्स लिमिटेड

2. साउथ इण्डिया स्टील एण्ड शुगर्स लिमिटेड

3. साउदर्न इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

4. जानसन एण्ड निकलसन (इण्डिया) लिमिटेड

5. साउदर्न पैट्रो केमिकल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

6. टोकूशू मैनन पेपर मैन्युफैकचरिंग कम्पनी लिमिटेड

7. मारुति लिमिटेड

8. साउथ इण्डिया वायर रोप्स लिमिडेड

9. वैस्टर्न थोमसन (इण्डिया) लिमिटेड

10. साउथ इण्डिया कारपोरेशन (एजेन्सीज) प्राइवेट लिमिटेड

11. टेकनीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

12. सिक्युरिटी एण्ड डिटेक्खि ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड

13. साउथ इण्डिया टर्फ कलब प्राइवेट लिमिटेड

प्रबन्ध निदेशक

कनाडूकथम इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड (समापन में)

निदेशक

1. इण्डियन एल्युमोनियम कम्पनी लिमिटेड
2. साउथ इण्डिया ईशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड ;
3. रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड
4. इण्डिया रेडियेटर्स लिमिटेड
5. फिब्रे गलास पिलकिंगटन लिमिटेड
6. हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड
7. साउदर्न एग्रीफर्न इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
8. टूटीकोरिन एल्कली केमिकल्स लिमिटेड
9. मैटूर वर्ड सैल लिमिडेड
10. मैन इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड

अध्यक्ष, सभापति और समिति सदस्य

1. मद्रास रेस क्लब लिमिटेड (प्रबन्ध समिति सदस्य)
2. साउथ इण्डिया आयरन एण्ड हार्डवेयर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (समिति सदस्य)
3. आटोमोबाइल एसोसियेशन आफ साउदर्न इण्डिया (अध्यक्ष)
4. साउदर्न इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (सदस्य कार्यकारी समिति)

संगणकों के रखरखाव तथा प्रयोग पर किया गया व्यय

6845. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कुल कितने संगणक लगे हुए हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक संगणकों के लिये कितना किराया दिया गया ;

(ग) उक्त अवधि में संगणकों में प्रयोग होने वाली आयातित तथा स्वदेशी स्टेशनरी पर कुल कितनी लागत आई तथा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ; और

(घ) उक्त अवधि में संगणकों के प्रयोग के संबंध में कर्मचारियों को दिये गये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते के रूप में कुल कितना व्यय किया गया ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों में 14 संगणक लगे हुए हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) स्वदेशी लेखन सामग्री

1969–70 में 11,84,054 रु०

1970–71 में 17,00,923 रु०

1971–72 में 19,12,506 रु०

आयातित लेखन सामग्री कुछ नहीं

विदेशी मुद्रा कुछ नहीं

(घ) 1969–70 में 1,12,744 रु०

1970–71 में 2,17,724 रु०

1971–72 में 5,49,487 रु०

विवरण

भारतीय रेलों में लगे संगणकों के लिये दिया गया किराया

स्थान जहां संगणक लगे हैं	1969-70	1970-71	1971-72
	रु०	रु०	रु०
1. मध्य रेलवे, बम्बई	7,85,154	8,23,590	8,96,707
2. पूर्व रेलवे, कलकत्ता	6,45,700	7,50,594	8,27,871
3. उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली	7,73,763	8,31,254	8,38,485
4. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	4,53,273	6,54,953	7,01,428
5. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पांडु	1,28,701	6,69,758	7,42,804
6. दक्षिण रेलवे, मद्रास	7,22,754	7,25,425	8,93,599
7. दक्षिण रेलवे, सिकन्दराबाद	6,56,547	7,06,101	8,17,162
8. दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता	8,07,390	9,13,995	10,11,811
9. पश्चिम रेलवे, बम्बई	7,90,172	8,26,221	9,66,428
10. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन	6,18,940	6,25,567	6,40,175
11. डीजल रेल इंजन कारखना, वाराणसी	6,34,404	6,34,404	6,57,743
12. सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास	7,91,290	8,33,538	9,07,193
13. रेलवे बोर्ड, नयी दिल्ली	9,18,397	9,56,287	10,05,097
14. मुगलसराय विन्यास यार्ड, मुगलसराय, पूर्व रेलवे	1,45,024	2,09,364	2,16,267

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड उपक्रमों के रजिस्ट्रेशन को समाप्त करना

6846. श्री सत्तपाल कपूर : क्या **विधि, न्याय** और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत प्रभुत्व प्राप्त उपक्रमों के रुप में कितने उपक्रमों को रजिस्टर्ड किया गया था और उनमें से कितने उपक्रमों के रजिस्ट्रेशन को अब तक समाप्त किया जा चुका है ;

(ख) क्या उपक्रम के ठीक प्रभुत्व को निर्धारित करने के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक, व्यापार प्रक्रियायें–नियम के अन्तर्गत उत्पाद ग्रुप के वर्गीकरण को रुपभेदित करने के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है और यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बड़े पैमाने पर उपक्रमों के रजिस्ट्रेशन को समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 20 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत, प्रमुख उपक्रमों के रूप में, समय–समय पर 119 उपक्रमों का पंजीकरण किया गया है । इनमें से 22 उपक्रमों के पंजीकरण को अब तक समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) हां, श्रीमान् । कतिपय विशाल समूहों को पुनः समूहों में पृथक्करण की दृष्टि से और वर्तमान अधिसूचना में सूचिवद्ध न किये गये नवउत्पादों को भी सम्मिलित करते हुए यह प्रश्न परीक्षान्तर्गत है ।

(ग) एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा (सामान का वर्गीकरण) नियम 1971 के 26 जून, 1971 को प्रकाशन से पूर्व, बहुत से उपक्रमों ने प्रमुख उपक्रमों के रूप में , अपना पंजीकरण कर लिया था । इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात कुछ प्रमुख–उपक्रमों ने कि वे इन नियमों के अन्तर्गत अधिसूचित उत्पादनों के वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रमुख–उपक्रम नहीं थे, के आधार पर पंजीकरण को समाप्त किये जाने के लिये आवेदन किया ।

भारतीय उर्वरक निगम में पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति

6847. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम में एक पूर्णकालिक चैयरमैन नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) से (ग) भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन की योजना विचाराधीन है और पूर्ण कालीन चैयरमैन की नियुक्ति के प्रश्न पर उस योजना के भाग के रुप में विचार किया जायेगा ।

नंगल में भारी पानी संयंत्र का बंद किया जाना

6848. श्री एस० ए० मुरुगन्तम : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल में 31 करोड़ रुपये की लगात से बनाया गया वर्तमान भारी पानी संयंत्र बेकार (सक्रेप) हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारी पानी के उत्पादन के लिये नंगल में इस समय उपलब्ध सुविधाओं के परिचालन जारी रखे जाने के प्रश्न का पुनरीक्षण उस समय किया जाएगा जब विस्तार योजना, जिसे इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है, मुकम्मल हो जायेगा। ऐसा करते समय, बिजली की उपलब्धता, उत्पादन की लाभप्रदता आदि सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा।

तुगलकबाद उत्तर रेलवे में पैदल ऊपरि पुल का निर्माण

6849. श्री मौलाना इसहाक सम्भली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कालोनी तुगलकाबाद (उत्तर रेलवे) में रह रहे रेल कर्मचारियों और कुछ संसद-सदस्यों ने उक्त कालोनी को नगर से जोड़ने के लिये एक पैदल ऊपरि पुल बनाने के लिये अभ्यावेदन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) तुगलकाबाद में एक ऊपरि पैदल पुल की व्यवस्था के संबंध में विचार किया जा रहा है और इसको उत्तर रेलवे के 1974–75 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने की सम्भावना है, वशर्ते धन उपलब्ध हो।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

आन्ध्र प्रदेश में बिजली उत्पादन का संकट

अ० सू० प्र० संख्या 6. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1973 के 'हिन्दु' में प्रकाशित उनके प्रैस इंटरव्यू के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें आन्ध्र प्रदेश में बिजली उत्पादन में भीषण संकट का संकेत दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका इस बारे में क्या अविलम्ब कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है इस समय पीक लोड में 330 मैगावाट की तथा उर्जा में लगभग 4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की कमी है। यह कमी आने वाले वर्षों में और बढ़ जाएगी। इसकी पूर्ति के

लिये राज्य को अनिवार्यत: पर्याप्त संसाधन जुटाने चाहिये तथा वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता में पांचवीं योजना के दौरान कम से कम 1500 मै० वा० की वृद्धि करनी चाहिये ।

1973–74 में चालू किए जाने वाले 110–110 मैगावाट के दो कोठागुडम यूनिटों में तीव्रता लाने से तात्कालिक कमी कुछ हद तक कम हो जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोयले की सप्लाई में भारी कमी और उसके परिणामस्वरूप उत्तर रेलवे की रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने का समाचार

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : नियम 377 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रेल मंत्री के नाम है, जिसका उत्तर वास्तव में उन्हीं को देना चाहिये क्योंकि कोयले की कमी के फलस्वरूप रेलगाड़ियाँ रद्द हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस्पात और खान मंत्री के नाम में किया गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं । ये इसमें भाग ले सकते हैं । इसमें कोई कठिनाई नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इसे यह स्थिति सदन में पहले भी कई बार स्पष्ट की जा चुकी है। मैं आपकी बात को अनुभव करता हूं लेकिन मैं असमर्थ हूं ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Sir, I call the attention of the Minister of **Steel and Mines** to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Reported serious shortage of Coal supply resulting in cancellation of nearly 74 branchline trains of Northern Railway and fall of production and lay-offs in respect of the manufacture of bangles in Ferozabad rendering thousands of workers jobless".

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subhod Hans) : There has been no shortfall in the production of coal in the country. The production is increasing since 1972 and it is estimated that during 1972-73, it will be about 75 million tonnes as against about 72 million tonnes in 1971-72.

2. Prior to take over, a substantial portion of the non-coking coal used by the Railways was supplied from the Bengal-Bihar coalfields. These coalfields, particularly in West Bengal, which were largely in the hands of the private sector, could not maintain production due to various reasons. After the take-over of the management of the coal mines the Government are making coordinated efforts to increase production.

As a result, the level of production has not only been maintained, but has also been improved upon marginally after the take-over. Before the take-over of the management of the mines, the coal production in the Bengal-Bihar fields was 4·66 million tonnes in January, 1973 ; it increased to 4·80 million tonnes in February, 1973 representing an increase in daily production from about 1,50,000 tonnes to about 1,70,000. This trend has been maintained in March, 1973.

3. There has, however, been a large increase in the demand for coal during the last few months due to the following main reasons :—

(i) Increased consumption by thermal power stations due to short-fall in hydel power generation, arising out of drought condition in many States in the Western and Southern India, and

(ii) increase in demand from the steel industry.

Efforts are being continuously made to meet this increased demand by developing the existing mines and making the best use of the available transport capacity.

4. Within the overall daily average loading of coal in the Bengal-Bihar coalfields varying between 5750 and 5827 wagons, the loco coal loading was being maintained till the end of February at a satisfactory level of about 1130 wagons a day. The Northern Railway which mainly depends for its coal supply on the Bengal-Bihar fields, had no difficulty in maintaining all the train services. However, in March, 1973, the demand of various consumers for steam coal from the Bengal-Bihar fields increased and consequently the share of steam coal for the Railways in the overall movement decreased by approximately 200 wagons per day, i.e. by nearly one lakh tonnes during the whole month. The Northern Railway, therefore, cancelled certain unimportant trains so as to conserve coal stocks for the more important services, goods traffic, including foodgrains movement. The Coal Mines Authority has tied up arrangements to offer additional steam coal suitable for Railway use in the Bangal-Bihar area itself and the Railways have now made arrangements to load this coal. With an improvement in loco coal despatches, it should be possible to restore the services that have been cancelled on the Northern Railway within a few days.

5. As regards supply of coal to the manufacturers of bangles in Ferozabad during the last three months, it may be stated that the rate of receipt of coal wagons was 601 in January, 735 in February and 691 in March. It will thus be seem that there is marginal deterioration of supply of coal to Ferozabad. The Government is not aware of any lay-off of workers engaged in the manufacture of bangles at Ferozabad.

6. The Minister for Steel and Mines, is at present touring the coalfields and is personally looking into the possibilities of developing these collieries and increasing poduction as rapidly as possible.

Shri Jagannathrao Joshi : The shortage of Coal has resulted in the cancellation of trains and fall of production of bangles. The closure of bangle industry due to coal shortage has affected the employment of nearly one lakh workers. The Glass syndicate Ferozabad has also complained to the State Government regarding difficulty in getting coal. In addition to Steel-Mines and Railway Ministry, Industrial Development Ministry is also associated with this matter. Corrupt practices are prevailing in the matter of allo ment of Coal in the Directorate of Industries, Kanpur. The Hon. Minister should give an assurance that the matter will be enquired into.

The cancellation of 74 trains is an extraordinary situation which can badly disrupt the movement of passengers and transportation of procured wheat in the Northern region of the Country.

The Railway employees indulge in the theft and pilferage of Coal. 158 railway employees in 1969 and 267 in 1970 were arrested on the charge of pilferage of Coal. There is always shortage of 10 percent in the coal meant for use by the railways due to pilferage. May I known whether the short supply of coal is attributable to pilferage ?

श्री सुबोध हंसदा : चूड़ियों के कारखाने सम्बन्धी जिन शिकायतों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके बारे में मेरे विचार में कोई ऐसी बात नहीं है । क्योंकि हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली कि चूड़ियों के कारखानों में कोयले की कमी है ।

फिर भी यदि, कोई कमी हो, तो हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं । आपने जाली फार्मों का जिक्र किया है । हम इसकी जांच कर रहे हैं । हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इन जाली फर्मों को सज़ा दी जाये ।

कोयले की सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई है । यह हो सकता है कि कुछ कारणों से कोयला रेलों तक न पहुंचा हो । अनाज को ले जाने के लिये मालडिब्बे देकर, सरकार ने प्राथमिकता दी है । हमें इस्पात कारखानों को भी मालडिब्बे भेजने पड़े । मेरे विचार में कोयले की कमी के कारण ये सारी गाड़ियां रद्द नहीं की गयीं ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihar) : The Statement of the Government is self contradictory. The Government do not give accurate figures. It is stated that the production could not be maintained due to certain reasons. The Government should state the reasons. I want to know the actual figures regarding demend and production.

Is it not a fact that for certain reasons custodians at Raniganj and Jharia prefer trucks to railway wagons for loading ? Will the Government try to improve the coal position ? Is the Government considering to run 74 railway trains cancelled due to coal shortage.

Will the Government also supply coal to the bangle industries of Ferozabad and also give incentive to the workers so that production can be increased.

श्री सुबोध हंसदा : चूड़ी उद्योग एक लघु उद्योग है । सरकार की नीति यह रही है कि राज्य सरकारें लघु उद्योगों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें । इन उद्योगों को अपनी मांगें भेजनी चाहियें ।

Shri Bibhuti Mishra : You should do somthing to supply coal to the small scale industries of Ferozabad.

श्री सुबोध हंसदा : हम उन्हें सीधे कोयला खान से कोयला देने को तैयार हैं लेकिन इस प्रकार का सुझाव राज्य सरकार की ओर से आना चाहिये । माल डिब्बों की कुछ कमी अवश्य रही है लेकिन इसके कारण रेलगाड़ियों रद्द नहीं हुई ।

श्री एस० एम० बनर्जी : उत्तर प्रदेश को कम कोलया सप्लाई करने के क्या कारण हैं ? इस राज्य को अपनी कुल आवश्यकता का 25 प्रतिशत कोयला मिलता है जबकि दिल्ली को 89 प्रतिशत मिलता है । देश की कुल आवश्यकता का 43 प्रतिशत पूरा होता है । फिर भी मंत्री महोदय कहते हैं कि कोयले की कमी नहीं और उत्पादन बढ़ रहा है । मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि कुछ गैर ज़रूरी रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है हजारों यात्रियों को परेशान कर दिया गया है । बिजली संकट तथा कोयला न मिलने के कारण बनारस और कानपुर के औद्योगिक एकक बंद हो गये हैं । जिन लोगों ने कोयला जमा कर रखा था । वे इसे अब काले बाज़ार में बेच रहे हैं । श्री जगन्नाथराव जोशी ने चूड़ी कारखाने के बारे जो कुछ भी कहा वह सब ठीक है । रेल तथा इस्पात–खान मंत्रालय के बीच क्या तालमेल है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ज़रूरत को क्यों नहीं पूरा किया जाता । यदि लोगों को कोयला क्षेत्रों से स्वयं ही कोयला उठाना है तो सरकार क्या काम करेगी? कोलले के अभाव में कानपुर के औद्योगिक एककों को बंद करना पड़ेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : यह कहना उचित नहीं है कि इस्पात और खान मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के बीच समन्वय नहीं है । दोनों मंत्रालयों के बीच पर्याप्त समन्वय था जिसके परिणाम स्वरूप हमने देश के विभिन्न भागों को तथा इस्पात सयंत्रों को कोयला की सप्लाई की । केवल 37 गाड़ियां ही रद्द की गई हैं ना कि 74 जैसा कि कहा गया है और फिर ये गाड़ियां लोकल शटल गाड़ियां ह । जहां तक चूड़ी-कारखानों को कोयला देने का सम्बन्ध है यदि यह उद्योग सरकार को अपना आयोजित कार्यक्रम सूचित करे तो इस उद्योग के लिये गर्त मुखों पर कोयला उपलब्ध किया जा सकता है । उत्तर प्रदेश सरकार भी यदि अपनी पूरी आवश्यकताएं हमें सूचित करे तो हम उतना कोयला सप्लाई करने का प्रबन्ध करेंगे ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : एक ओर तो सरकार यह कहती है कि कोयले की कोई कमी नहीं और दूसरी ओर जब वास्तविक रूप से कोयला सप्लाई करने की बात आती है तो सरकार अनेकों बहाने खोज लेती है । यह सब इसी कारण है कि सरकार कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके अपने को फंसा हुआ पा रही है ।

इस वक्तव्य में भी कहा गया है कि ये खानें पहले अधिकतर गैर-सरकारी अधिकार में थीं । सरकार यह बताना चाहती है कि उन्होंने उत्पादन नहीं किया । परन्तु वक्तव्य में ही यह वर्णन है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व उत्पादन ठीक था और केवल उसके पश्चात ही स्थिति बिगड़ी है ।

समन्वय व उत्पादन न होने की बात की जाए तो सरकार का उत्तर होता है कि पूर्ण समन्वय है और उत्पादन हो रहा है। उपभोक्ताओं को कोयला न मिलने की बात की जाए तो यह कहा जाता है कि हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परन्तु वास्तविकता यह है कि फिरोजाबाद के एक भी छोटे कारखाने में काम नहीं हो रहा। अधिक से अधिक यदि कहीं पर काम होता भी है तो वह एक दिन में ढ़ाई घंटे है।

माननीय मंत्री को सब से पहले सच्चाई को स्वीकार करके यह कहना चाहिये कि 74 गाड़ियां रद्द की गई हैं। दूसरे यह स्वीकार किया जाए कि देश में कोयले की कमी है। तब वे यह भी स्वीकार करें कि उनके मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है। अंत में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय उपभोक्ताओं को और विशेष रूप से छोटे उपभोक्ताओं को यह आश्वासन देंगे कि कम से कम समय में उन्हें कोयला उपलब्ध किया जायेगा ?

श्री सुबोध हंसदा : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 1971-72 में कोयले का उत्पादन 720 लाख टन था और 1972-73 में 750 लाख टन उत्पादन हुआ। जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है मैं बता चुका हूं कि रेल मंत्रालय और इस्पात तथा खान मंत्रालय के बीच पूरा समन्वय है तथा कोयले के परिवहन में इसके कारण से कोई रुकावट नहीं आई है।

फिरोजाबाद चूड़ी कारखानों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं जैसे कि बिजली की कमी व सोडा-ऐश की कमी। उनके बन्द होने का कारण ये कमियां हो सकती हैं न कि कोयले की कमी।

लघु उद्योगों के लिए कोयले की सप्लाई के प्रश्न पर सरकार गंम्भीरता से विचार कर रही है। कोयला खानों को अधिकार में लिये अभी केवल दो मास ही व्यतीत हुए हैं। उद्योग के पुनर्गठन में कुछ समय तो लगेगा ही। मैं आश्वासन देता हूं कि लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के शीघ्र उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : इतनी अधिक संख्या में गाड़ियों को रद्द किये जाने से देश भर में लोगों के मन में यह भावना आती है कि किसी भी काम को सरकारी क्षेत्र में लेने से वह काम ठीक तरह से नहीं चलता। मंत्री महोदय ने भी जो उत्तर दिये हैं वह तर्कपूर्ण नहीं हैं।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 1972-73 में 750 लाख टन उत्पादन की संभावना है। यह तो एक अनुमान मात्र है। इस सदन में यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात उत्पादन में कमी हुई है। कोकिंग कोयला खानों को 1 मई, 1972 से सरकारी नियन्त्रण में लिया गया। राष्ट्रीयकरण से पूर्व उक्त खानों का उत्पादन मार्च में 1,124,000 टन था जो कि मई और जून में कम होकर क्रमशः 1,071,000 और 1,024,000 टन हो गया। यही स्थिति कोयला क्षेत्रों से प्रेषणों के सम्बन्ध में है। मार्च में 825,000 टन कोयला प्रेषित किया गया जबकि मई और जून में क्रमशः 757,000 और 771,000 टन कोयला प्रेषित किया गया।

सरकार द्वारा गाड़ियां रद्द करने का वहां के लोगों के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिना किसी कारण के बताये अथवा वैकल्पिक प्रबन्ध किए बिना ही गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं। इसके साथ ही शहरी लोगों

के लिए विशेष गाड़ियां चलाये जाने की बात हैं। परन्तु ग्रामीण और सीमान्त क्षेत्रों के लोगों की गाड़ियां रद्द की जा रही हैं।

रेल मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह गाड़ियां कोयले की कमी के कारण रद्द नहीं की गई। तो फिर इसका अन्य कारण क्या है ? यह उत्तरदायित्व रेल मंत्रालय का है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि बहुत सा कोयला बंगला देश को भेजा गया है। यह प्रसन्नता का विषय है परन्तु क्या इस कारण से यहां पर कोयले की कमी नहीं हुई है ?

सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिये कि दूरस्थ स्थानों में डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाई जाएं और स्टीम इंजनों का प्रयोग केवल कोयला क्षेत्रों में किया जाए जिससे कि कोयले की खपत में कमी हो सके।

मैं माननीय इस्पात मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों को समुचित तथा पर्याप्त कोयला सप्लाई करने के कोई प्रबन्ध किए जा रहे हैं ? क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कोयला जमा करने के सम्बन्ध में भी कोई योजना तैयार की है जिससे कि रेलवे, उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध किया जा सके। सरकार को इस बारे में शीघ्रता से उपचारी उपाय करने चाहियें।

श्री सुबोध हंसदा : विभिन्न राज्यों को कोयलों की सप्लाई के बारे में एक बैठक की गई थी। इस सभा में भी दिल्ली में कोयले की कमी का प्रश्न उठाया गया था। दिल्ली में पांच स्थानों पर कोयला जमा करने का प्रस्ताव है। इनके लिए स्थानों की खोज की जा रही है।

जहां तक गाड़ियों को रद्द करने के कारण की बात है वास्तव में इसका कारण कोयले की कमी नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोयला ले जाने के संबंध में कुछ गड़बड़ अवश्य हुई है और कुछ लोकल गाड़ियों को रद्द करने का एक कारण यह भी है। मैं आश्वासन देता हूं कि कुछ दिनों में यह गाड़ियां फिर से चला दी जायेंगी।

फरवरी में 1,50,000 टन कोयले का उत्पादन हुआ और मार्च में 1,70,000 टन का उत्पादन हुआ। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पादन में कमी हुई है।

बंगला देश के साथ हमने कुछ समझौते किए हैं और उन्हीं के अन्तर्गत बंगला देश को कोयला भेजा जा रहा है। परन्तु इसका हमारे देश की सप्लाई अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

गुजरात में विद्युत चालित करघा उद्योग में संकट के बारे में

RE: CRISIS IN POWERLOOM INDUSTRY IN GUJARAT

श्री बी० जी० भावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात का विद्युतचालित करघा उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। 25,000 विद्युत करघों को धागे का नियतन नहीं किया गया और उनके सामने गंम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें शीघ्रता से धागा का नियतन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार अचानक खड़े होकर कुछ नहीं कह सकते । आप को पूर्व सूचना देनी चाहिये ।

श्री पी० वी० भावलंकर : महोदय स्थिति बहुत गम्भीर है और 10,000 कामगर बेकार हो चुके हैं । मंत्री महोदय को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डामंड हार्बर) : सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पिछले 10 दिन में दो बार वक्तव्य दिये जा चुके हैं । यदि आप समझते हैं कि कोई नई घटना हुई है तो मैं सरकार से वक्तव्य के लिए कह दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम 1939 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० एम० संख्या 459, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 10 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ख) जी० ओ० एम० संख्या 469, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभापटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4774/73)

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 सम्बन्धित प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (रेल), (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) वर्ष 1971-72 के लिए, विनियोग लेखे, रेल, भाग 1—समीक्षा (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) वर्ष 1971-72 के लिये विनियोग लेखे, रेल, भाग-2 विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(5) वर्ष 1971-72 के लिए ब्लाक लेखे (ऋण समेत पूंजी विवरणों सहित), तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखे रेल, की एक प्रति (हिन्दी संस्करण) ।

(6) वर्ष 1969-70 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4775/73)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : मैं एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का 6 अगस्त, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन ।

(2) एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का 1 जून, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के कार्यकरण और प्रशासन संबन्धी प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4776/73)

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : मैं निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल-रहित चावल भूसी निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षक) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 878 में प्रकाशित हुए थे । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4777/73)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत वाइट डीजल तेल (अधिकतम कीमत निर्धारण) आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 189 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4778/73)

प्रक्कलन समित्ति

छत्तीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

ESTIMATES COMMITTEE THIRTY SIXTH REPORT AND MINUTES

श्री कमल नाथ तिवारी : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—कमजोर वर्गों हेतु और रोजगार के लिये विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी 36वां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

पटना के निकट विमान दुर्घटना के बारे में

RE : PLANE CRASH NEAR PATNA

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : Sir, yesterday plane belonging to Rohtas Industries crashed near Patna in which four persons were killed. I would like to know whether much planes are checked by civil aviation? May I also known under what authoriety the officials of Bihar Government were travelling by that plane ?

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के बारे में

RE : STRIKE BY EMPLOYEES OF RESERVE BANK OF INDIA

Permission should not be granted to such planes unless they are thoroughly checked.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्न विषय उठाना चाहता हूं ।

> "भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी बैंक द्वारा लागू मशीनीकरण की योजनाओं के विरोध में आज एक देशव्यापी आन्दोलन कर रहे हैं । इनके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में गम्भीर असन्तोष उत्पन्न हुआ है । मंत्री महोदय को देश में उत्पन्न इस गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिये" ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करने के तरीके के बारे में

RE : MODE OF ADDRESSING THE SPEAKER

Mr. Speaker : I have observed that different words are being used to address me. I would request that you should address me by one word only. Recently when Petroleum and Chemicals Minister addressed me as 'Sadar' I asked him to adress me as speaker . A news paper "Ajit" made it, 'Sardar' and criticised me in two leading articles. This is highly abjectionable. I will send it to the Chairman of Press Gallery Committee.

There should be one word to address me. In english it can be "Speaker", which is being used in all the Parliaments, and in Hindi it can be "Sansad Adhyaksh". (*Interruption*).

श्री लीलाधर कोटोकी (नवगांव) : अध्यक्ष महोदय , कल....

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : 'Speaker' is a english word. We should have a hindi word (*Interruption*).

Mr. Speaker : 'Sansad Adhyakh' is an appropriate word. We should accept this.

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : Your predecessor has said that Telephone authorities have taken bribe from him. You may invite attention of Shri Bahuguna towards this.

श्री पीलू मोदी : 'स्पीकर' शब्द पर अन्तिम निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि 'स्पीकर' शब्द प्रयोग होना चाहिये। इससे अन्य कोई शब्द यदि आप चाहते हैं तो वह राष्ट्रभाषा का ही होना चाहिये दूसरी किसी प्रादेशिक भाषा का नहीं ।

Shri Ram Sahay Pandey : The word Sansad Adhyaksh is more appropriate and it should be adopted. This is a more complete word.

श्री एस० ए० शमीम : मैं समझता हूं कि 'अध्यक्ष' शब्द अधिक उचित है। उससे पहले 'संसद' नहीं जोड़ा जाना चाहिये ।

Mr. Speaker : I feel the word "Sansad" should be added before "Adyaksh". Adhyaksh can be of any meeting.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): 'Speaker' is an English word. Some persons may feel difficulty in saying 'Sansad Adhyaksh'. They may address you as "Adhyaksh", if they so desire.

If any member wants to speak in Urdu, he can address you as 'Sadar-e-Avam'. There is nothing objectionable in it.

श्री पीलू मोदी : गुजराती में भी इसे अच्छा शब्द नहीं समझा जाता ।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर या संसद अध्यक्ष ।

श्री पी० जी० मावलंकर : सरदार हुकम सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष को टेलीफोन सम्बधी जो काठनाईयां हुई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह सम्बन्धित मंत्री को इस बारे में लिखगे, तो वह इसकी जांच करेंगे।

अनुदानों की मांगें--1973-74
DEMANDS FOR GRANTS 1973-74

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय–जारी

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : कल मैं बिजली की कमी के बारे मे कह रहा था । अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली को उपभोग बहुत कम है। अमरीका मे यह 4013 के डबल्यू एच है जबकि भारत में वर्ष 1970-71 मे 90 के डबल्यू एच था । उसी वर्ष भारत में असाम में यह 21 था जबकि महाराष्ट्र में सर्वाधिक 157 था। बिजली के प्रति व्यक्ति उपभोग में ही देश मे इतनी बड़ी विषमता है। योजना अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए मैंने इसका उल्लेख किया है ताकि यह विषमता दूर की जा सके ।

पांचवी योजना में गरीबी हटाने, संतुलन दूर करने, कमजोर वर्ग की आवश्यकता पूरी करने ग्रामीण एवं शहरी तथा शिक्षित एवं तकनीशन युवकों को रोजगार देने आदि पर बल दिया गया है। किन्तु इन सब कार्यक्रमों के लिये बिजली आवश्यक है। यदि विद्युत जनन पर अपेक्षित ध्यान न दिया गया तो 1981 का 500 लाख किलोवाट के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि 1970–71 मे अधिष्ठापित क्षमता केवल 151 लाख किलोवाट थी। विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चा माल यदि उपलब्ध नहीं होगा, तो विद्युत का उत्पादन अपेक्षित मात्रा में नहीं होगा। आज कोयले और तेल की कमी है। सूखे के कारण जलाशयों में जल की कमी है। इस्पात और सीमेंट की अनुउपलब्धता से निर्माण कार्य में बिलम्ब होता है। बिजली बनाने वाली मशीनो का भी अभाव है। इन सभी वस्तुओं के आमाद को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि विद्युत उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो और आर्थिक विकास की गति भी मंद न हो।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

[**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

साथ ही सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना है कि बिजली-उत्पादन किस संसाधन से सस्ता पड़ता है। स्वयं सरकार भी यह मानती है कि जल संसाधन से विधुत-उत्पादन सस्ता पड़ता है और पन-बिजली परियोजनाओं में अधिक लोगो को रोजगार मिलता है। मैं डा० के० एल० राव के रक्षिम जल-ग्रिड बनाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं गंगा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर उनके पानी के सदुपयोग का विचार बहुत अच्छा है। विशेषज्ञ इसे व्यवहार्य भी बताते हैं किन्तु इसमें समय अधिक लगेगा। अब दृढ़ता से निर्णय लेने का समय है। हमे गंगा-कावेरी लिंक योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। मै संयुक्त भारत-बंगला देश नदी आयोग का भी स्वागत करता हूं। सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन मे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विधुत सम्बन्धी प्रयोजनों को लेकर जल संसाधनो के समेकित विकास की बात कही गई है। इस प्रकार का विकास ही समस्या का समाधान है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): While discussing the budget of this Ministry Government should be subjected to severe criticism, because there is acute shortage of power throughout the country and agriculture, industries defence establishments and power looms all are suffering on this account. Moreover, the ever-increasing rates and corruption in giving connections have created great difficulty for the formers. Government should pay attention to it. Somebody may express satisfaction on the increased capacity of power generation. The capacity was 1363 M. W. in 1951-52 which will be increased to 18 million M.W. by the end of 1973. It can also be claimed that 1,30,000 villages will be electrified by the end of 1973, but looking to the needs of the country these figures are not satisfactory. As regards per capita consumption in our country the Ministries Report says that the per capita consumption of electricity in India is 93 K.W. While it is only 15 K.W. in North Bihar. Electricity supply is life blood of development, as the Report itself says. There is acute shortage of power and it has caused the country to lag behind the fixed targets in industry, agriculture, and mining operation etc. The target of electricity production, which was 23 million K.W. by the end of 1973, has not

been achieved. Similar is the position in regard to achieving the target in respect of protecting 7·5 million hectare of land from floods. 7·1 million hectare, have been protected from the floods so far. As regards rural electrification only one lakh villages have been electrified as against the target of 1,30,000 villages. This is the sorry state of affairs. There is great need to increase electricity production in the country.

Not only in the sphere of electricity but in the sphere of irrigation too targets have not been achieved. It was planned to provide irrigation facility to 10 million hectares but the existing irrigation schemes will not cover more than 8 million hectares. In North Bihar people get only 15 K.W. electricity inspite of the fact that Uranium and Thorium are available there is plenty and these minerals can be utilized for generating power. At first it was proposed to spend Rs. 183 crores on power generation in Bihar during the Fourth Plan, but now this amount has been reduced to Rs. 137 crores. It is not in the interest of the State as a whole.

The shortage of electricity is retarding the development in all sectors. In this context I would like to give some suggestions. There is enough nuclear power in the country which should be properly utilised. Big schemes for generation of power from nuclear energy should be formulated. It will meet the country's requirement to a great extent. The centre should take major part in all the schemes in the States. We should chalk out an integrated operational programme so that the surplus may be diverted to areas of scarcity. Moreover, in new plants the Manager should be held responsible for the breakdown and his promotion or demotion must depend upon his performance in the project.

Now the Ministry of Irrigation and Power headed by the Minister of State. This Ministry should be put under a full fledged Minister. According to the Report of the Ministry of Irrigation and Power Rs. 1200 crores will be spent on irrigation during the Fourth Plan, but only 20 per cent of the country's land will be irrigated with this allocation. I also suggest that no big river projects should be left to the States. They should be taken over by the Centre. In the areas not covered by the big irrigation schemes. Tubewells should be sunk and pumping sets should be installed.

There has been no satisfactory progress in the implementation of Bagmati Project in Bihar. The work of upper Sone canal is also moving slowly. Such big projects should be taken over by the Central Government. Also the problem of flood control is far from being solved even after spending Rs. 253 crores. Assam, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh are the States which are frequently affected by the floods. Orissa, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala suffer from cyclone. These State Governments should be given adequate funds to implement the schemes, for flood control. In the end I would like to suggest that priority should be given to the schemes which aim at solving the problems of irrigation and power shortage in the country.

Dr. Govind Das Richharia (Jhansi): Mr. Deputy Speaker, Sir, While supporting the demands of this Ministry I would like to say that more power-generation and flood control are the dire needs of the country in view of achieving self-sufficiency and development in all spheres. According to the constitution of India, the subjects like water, electricity, irrigation and flood-ctonrol go to the States; jurisdiction and this is the main reason, in my opinion, why big irrigation and flood control projects are not completed in time and do not yield the desired results. These subjects should be taken over by the Centre after bringing suitable amendments to the Constitution.

The water of big rivers should not be allowed to go waste in the ocean. Their water should be stored and should be canalised to drought prone area. The ganga Kaveri Link Project is really a big and good project. It will put a control on floods on the one hand and create irrigation pontential on the other. It should be completed expeditiously.

As regards the production of electricity, it should be generated from atomic power. More thermal power stations should be set up under control and supervision of the Central Government in the areas, where coal is available in abundance. The thermal power stations set up by the State Governments face a lot of difficulties on account of short supply of coal and lack of coordination in various departments of Government. So, central Government should instal big thermal power stations which will generate electricity to the extent of 300 or 400 M.G.W. Moreover, hydro-electric power Station should be constructed on the banks of rivers like Brahamputra which has the water all the round. I also suggest that a National Power grid should be set up in order to distribute power uniformly in the whole country.

All the hydro-electricity schemes sent by various State Governments to the centre for approval should be included in the Fifth Plan. U. P. Government has sent to the Centre four schemes for setting up thermal power stations and four schemes for setting up hydro-electric power stations. I request the Minister to clear all these schemes in view of acute shortage of power in U.P. Besides this the water dispute between U.P. and M.P. should be settled soon.

I put the power generation next only to defence. There is great need of electricity in the country. So more attention should be paid to it. The central Government should change the priorities under the Fifth Plan and give high priority to the generation of electricity, providing irrigation facilities and flood control. The generation of power should be given topmost priority.

***श्री इ० ग्रार० कृष्णन** (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं देश में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं । 31 मार्च 1973 तक हमारी सरकार ने विभिन्न बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं मे कुल 2770 करोड़ रुपये की राशि

---

*तमिल मे दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

*Summarised verson based on english translation of the speech delivered in Tamil.

लगाई थीं। किन्तु सरकार को इनसे घाटा होता जा रहा है। वर्ष 1968–69 में सरकार को 80 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और वर्ष 1972–73 में यह बढ़कर 140 करोड़ रुपये हो गया।

सिंचाई योजनाओं केवल दस या 15 प्रतिशत धनी किसान ही लाभ उठा रहे हैं। इन योजनाओं से छोटी-छोटी नहरे दूर तक निकाली जानी चाहिए जिससे छोटे किसान भी लाभान्वित हो सकें। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह भी बताया जाना चाहिए कि देश की 588 बड़ी और मझली योजनाओं से कितने छोटे किसानों को लाभ होता है। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को सिंचाई आयोग की सिफारिशें तत्काल लागू करनी चाहिएं।

विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि भारत की नदियों मे 17 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी बहत है। किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल 0.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी का उपयोग देश मे होगा। इस प्रकार अधिकांश पानी बेकार चला जाता है। इससे पता चलता है कि जल-संसाधन के समुचित उपयोग के लिए सरकार ने कितना कुछ किया है। इतना अधिक पानी उपलब्ध होने पर भी देश मे सूखा पड़ता रहता है। हमारे देश में सिंचाई योजनाएं न ही ठीक ढंग से बनाई गई हैं और न ही उनका क्रियान्व्यन ठीक प्रकार से हुआ है। यह हमारी योजना का दोष है कि देश के सामने बाढ़ और सूखे की समस्याएं एक साथ विद्यमान है।

गत 18 वर्षों मे अर्थात 1953 से लेकर 1971 तक देश मे बाढ़ों से लगभग 628 करोड़ रुपये की हानि हुई और लगभग 587 लाख व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए। दूसरी ओर मार्च 1971 तक बाढ़-नियंत्रण कार्यों पर केवल 288.30 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इससे प्रतीत होता है कि सरकार इस दिशा में पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं कर रही है। इसी संदर्भ में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना है कि तमिलनाडु द्वारा उसे प्रेषित दो बाढ़-नियंत्रण योजनाओं को वह शीध्र स्वीकृति दे दे। उत्तरी भारत में बाढ़ों के और दक्षिणी भारत में सूखे के प्रकोप से बचने के लिए गंगा कावेरी लिंक योजना ही एक मात्र उपाय है। इसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए।

हमारे देश की अधिकतर नदियां एक से अधिक राज्यों से गुजरती हैं और इसी कारण उनके राज्यों में जल-विवाद होते हैं। नदियों के जल के सदुपयोग के लिए उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाया जाना चाहिए। जहां तक विद्युत योजनाओं पर पूंजी निवेश का सम्बन्ध है, विधुत परियोजनाओं पर आपसी 1973 तक कुल 4700 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सरकार की राशि लगी है। किन्तु ऐसा अनुधान है कि राज्य मे विद्युत बोर्डों का 36 करोड़ रुपये का घाटा 1972–73 में होगा। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, सरकार का 1971–81 के लिए दशक योजना के अनुसार 2.5 लाख गांवो में बिजली लगाई जानी है, किन्तु यदि इसके लिए अपेक्षित धनराशि नहीं मिलेगी तो यह लक्ष्य पूरा नही होगा। हमारे देश में लगभग 5 लाख गांव है जिनमें से 1,22,094 गांवों मे 1972 तक बिजली पहुंचाई जा चुकी थी। इस गति से सभी गांवों मे बिजली लगाने मे 60 वर्ष का समय लगेगा।

तमिलनाडु में कांग्रेस में शासन केवल 20,250 गांवों मे बिजली लगाई गई थी जबकि द्रविड़ मुनेम कणगम के अल्प-शासन काल मे 38,524 गांवो मे बिजली लगाई गई। अभी वहां पर केवल 2,622 गांवो मे बिजली लगाई जानी शेष है तथा 1973 के अन्त तक इन सभी मे बिजली लगा दी जायेगी। तमिलनाडु राज्य मे 6 लाख पम्पिग सैटो की बिजली दी जा चुकी है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कृषकों को सभी अपेक्षित सुविधाएं देने के लिए भरसक प्रयास

किया है। विद्युत उत्पादन की दिशा मे भी तमिलनाडु सरकार ने काफी प्रगति की है। वर्ष 1966-67 में बिजली का उत्पादन 21 लाख यूनिट प्रति दिन था जो 1971-72 में बढ़कर 37,490 लाख यूनिट हो गया है। तापीय विद्युत का उत्पादन 1966-67 मे 4,050 लाख यूनिट था जो 1971-72 मे बढ़कर 6,180 लाख यूनिट हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य मे बिजली का उत्पादन 110 मेगावाट था जो 1967-72 की अवधि मे बढ़कर 625 मेगावाट हो गया। राज्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने 10 योजनाओं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी हैं। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री शीघ्र स्वीकृति दे।

तमिलनाडु राज्य में आज बिजली की जो कमी है उसका मुख्य कारण है कलपक्कम परमाणु परियोजना का 1971-72 तक पूरा न होना, गत वर्ष वर्षा का कम होना तथा तापीय बिजली घरों को निवेली से लिगनाइट पूरा न मिलना यदि कलपक्कम परियोजना की दोनों यूनिटें पूरी हो जाती तो राज्य में आज बिजली का संकट न आता। राज्य सरकार बिजली का वितरण इस प्रकार कर रही है कि वह मार्ग में नष्ट न हो। मैं कहना चाहूंगा कि राज्य में वर्तमान बिजली के संकट के लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है। यह दुख की बात है कि विपक्षी दल इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठा रहा है। केंन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने वैल्लोर में आम सभा में यह कहा था कि तमिलनाडु के बिजली संकट के लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार नहीं है। साथ ही उन्होने कहा है कि केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु से कोई भी पत्र इस सम्बन्ध में नहीं मिला है। यह वक्तव्य बड़ा ही अनुत्तरदायी है। बिजली-संकट के बारे में विभिन्न बैठकों मे चर्चा की गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय पर 7-10-72 और 11-10-72 को और पत्र लिखे गये। परन्तु अभी करुणानिधि ने स्वयं 10-2-73 को एक पत्र लिखा था, जिस में कोयले की कमी का उल्लेख करते हुए और अधिक कोयला सप्लाई करने की मांग की गई थी। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिजली की कमी न केवल तमिलनाडु राज्य में है बल्कि हरियाणा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ भागों मे भी व्याप्त है। मुझे खेद है कि तमिलनाडु मे द्रविड़ मुनेम कणगम को बदनाम करने के लिए कांग्रेस दल के नेता और मंत्री बड़े गैर-जिम्मेदार वक्तव्य दे रहे हैं। अन्त में मंत्री महोदय से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि वह बिजली उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को जो तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई हैं, शीघ्र ही स्वीकृति दे।

श्री डी० एन० तिवारी (गं.पालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री और उनके सहयोगी ने देश में सिंचाई और विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रयास किये हैं उनके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मंत्रालय का प्रतिवेदन दो भागों में विभाजित है। इन दोनों को मिलाकर एक खंड बना देना चाहिए था। इन प्रतिवेदनों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं का कितना काम पूरा हो चुका है और कितना काम शेष है या कौन सी योजना कब पूरी होने वाली है। इस ब्यौरे के अभाव में चर्चा के लिये कोई विषय ही नहीं रहता। प्रतिवेदन में ऐसा ब्यौरा होना चाहिए।

प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 93 किलोवाट है किन्तु सदस्यों ने बताया कि कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत इसका छठा भाग ही है। उदाहरणार्थ बिहार में विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग 20 या 25 किलोवाट है और उत्तर बिहार में केवल 10

या 12 किलोवाट। इस विषमता का क्या कारण है और इसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। इस प्रतिवेदन में गंडक परियोजना के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर बिहार में कुछ पुरानी किस्म के चीनी के कारखानों को छोड़कर वहां कोई भी कारखाने नहीं है। बिहार में उद्योग नहीं है जबकि वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है और भूमि भी उपजाऊ है। परन्तु बिजली के अभाव में नलकूप और पम्पिग सैट नहीं चल पा रहे हैं। क्या सरकार ने उस पर विचार किया है कि वहां के लोग किस प्रकार अपना गुजारा करेंगे। गंडक परियोजना एक अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है जिससे विद्युत और सिंचाई दोनों का ही विकास होगा। इससे लगभग 3.68 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस पर मूलत: 52 करोड़ रुपये की लागत आनी थी किन्तु विलम्ब के कारण अब उस पर कई गणा अधिक खर्च होगा। गंडक परियोजना के क्रियान्वयन में जितना विलम्ब अधिक होगा उस पर खर्च उतना ही अधिक होगा। वर्ष 1954 में ही बिहार के राज्यपाल ने राज्यपालों की बैठक में केन्द्रीय सरकार को बताया था कि इतना बड़ा काम बिहार सरकार के संसाधनों से परे है। इसके बाद भी बिहार सरकार की ओर से केन्द्र को इस सम्बन्ध में कई पत्र लिखे गये, किन्तु उनके सभी अनुरोध अस्वीकार कर दिये गये और परिणामत: उत्तरी बिहार सिंचाई और विद्युत के मामले में पिछड़ा हुआ ही रहा। इस परियोजना पर काम की गति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 दिसम्बर, 1972 को पानी सारन जिले के कुछ भागों में लाया गया था और अप्रैल, 1973 में यह कुछ ही आगे तक बढ़ पाया है। सारन में इससे 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होनी है। इस गति से यह लक्ष्य अगले 10 या 15 वर्षों में पूरा होगा। अत: इस परियोजना के परा किये जाने के लिए सभी संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराये जाने चाहिये। उत्तरी बिहार की कोसी नहर सहित अन्य कई योजनाएं अपने लक्ष्य से पिछड़ रही हैं।

नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि उसके हाजरों कर्मचारी गत 10 वर्षों से अस्थायी चले आ रहे हैं। दूसरे इस कारपोरेशन को निरन्तर घाटा हो रहा है। यदि यह निगम बन्द करना पड़ा, तो क्या ये कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

Shri R.V. Bade (Khargaon) : Sir, when we criticise the Ministry of Irrigation and Power while discussing the demands of this Ministry, we do not criticise the Minister, Dr. Rao in person. Narmada River flows through my constituency covering 90 percent area of Madhya-Pradesh. It touches ten percent area of Gujarat, but you are going to construct a 530 feet high dam for Gujarat. About 3 lakh acres of land on both sides of the river is very fertile. For this dam people are being uprooted from this area, which will be submerged on account of this dam.

Madhya Pradesh is the most backward State in our country. Our State is the victim of regional imbalances. The percentage of irrigated land in Madhya Pradesh is only 7 per cent while it is 23 per cent in other States. I would like to know the reasons why the work on Sindh Project has not been undertaken so far, though it was given clearance 10 years ago. Another project sanctioned for Bhilwara is till hanging dire. Nothing has been plateau of Malwa. No development scheme has been announced for backward area of Madhya Pradesh. In the Report it is claimed that efforts are being made

to remove regional inbalance. It is not correct in my opinion. Previously in Madhya Pradesh the base of electricity was coal, but later on it was changed to hydel. Due to failure of Monsoon last year the production of electricity was affected and the power cut was imposed. This cut has adversely affected the industries and many factories have closed down. I would like to suggest that hydel power should be replaced by nuclear power. In our country the transmission loss is 35 per cent while it is only 4 per cent in other countries. Grid system results in power losses. What are the reasons for such a great loss of power in transmission in our country ?

The report says that the reasons for the shortfall are mainly delay in the supply of generating equipment by the indigenous manufacturers, shortage of essential materials like steel and cement and inadequacy of funds. Attention should be paid to all these things in order to generate more power. These are some of the short terms measures. As regards the long term measures all the electricity boars should be taken over by the government. As regards the per capita consumption of electricity, it is the lowest in our country. It is 6065 KWH in U.S.A., 5913 in Sweeden, 3254 in U.K., 2800 in West Germany as against 71 K.W.H in India. Efforts should be made to increase it. At present 80 per cent of the power is supplied to industrialists and only 20 per cent is supplied to agriculturists. More power should be supplied to them they should and be allowed the same discount as is available to industries.

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई और बिजली से जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों ने सिंचाई की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था। हां उन्होंने गंगा नहर अपर बाडी कैनाल अपने हित-साधन के लिए बनाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो भारत सरकार ने सिंचाई की समस्या पर गम्भीर रूप से विचार किया क्योंकि उस समय गेहूं के आयात पर 745 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे।

जहां तक भारत में जल संसाधन की उपलब्धता का सम्बन्ध है, यहां पर 13,450 लाख एकड़ फुट जल उपलब्ध है किन्तु इस समय केवल 900 लाख एकड़ फुट पानी प्रयोग में लाया जाता है। यह तो मैं मानता हूं कि उपलब्ध सम्पूर्ण जल को तो सिंचाई के काम में नहीं लाया जा सकता। किन्तु उसका 33 प्रतिशत तो सिंचाई के काम में आसानी से लाया जा सकता है जिससे 30 प्रतिशत और भूमि की सिंचाई हो सकती है।

सिंचाई के लिए नदियों के जल का अधिकाधिक उपयोग किये जाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। सिंचाई और विद्युत के मामले में प्रांतीयता समाप्त एक राज्य में किसी नदी के जल से बाढ़ आती रहती है किन्तु उसे यह मंजूर नहीं है कि कोई पडौसी राज्य उसकी नदी के चल का प्रयोग कर ले। इस प्रकार की प्रवृत्ति त्याग दी जानी चाहिए। हम सब भारतीय ह और देश के हित में किसी भी वस्तु का सदुपयोग किया जाना चाहिए, चाहे वह राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश अथवा पंजाब में।

बहु-प्रयोजनीय परियोजनाएं 1948 से आरम्भ की गई थी। सर्व प्रथम भाखड़ा नंगल परियोजन शुरू हुई थी जिसका उद्घाटन 1955 में पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। इन परियोजनाओं के

बारे में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पनपनी चाहिए कि अमुक परियोजना हमारे राज्य में है और इसलिये उसके सभी लाभ हमारे लिए हैं। पंजाब सरकार ने 1968 में थीन बांध का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के सामने रखा था। चूंकि हमारे अनुमान के अनुसार ब्यास परियोजना 1970 तक पूरी हो जानी थी, और उस में लगे लगभग 10,000 कर्मचारी उसके पूरा हो जाने पर बेरोजगार हो जायेंगे इसलिये थीन बांध का प्रस्ताव रखा गया था। किन्तु पंजाब के विभाजन और कुछ संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में पंजाब सरकार को थीन बांध पर काम करने की अनुमति नहीं दी गई। अतः केन्द्रीय सरकार स्वयं जब तक उस पर काम शुरू नहीं करती तब तक पंजाब सरकार को ही उस पर काम करने की अनुमति दी जाये ताकि ब्यास बांध से हटाये गये लोगों को यहां काम दिया जा सके।

बिजली बोर्डों को स्वायत्तता इसलिये दी गई थी कि इंजिनियर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। किन्तु आजकल बहुत से बिजलीघर बंद पड़े हैं। मंत्री महोदय का यह कथन सच नहीं है कि केवल 6 विद्युत-उत्पादक सैट बेकार हैं। जहां तक पंजाब राज्य का सम्बन्ध है, उसमें सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम नहीं है। हमारे यहां कृषक हैं और कृषि के लिए अधिक बिजली दी जानी चाहिए अन्यथा गेहूं अपेक्षित मात्रा में पैदा न हो सकेगा और आपको अनाज के अभाव पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। मंत्री महोदय को नंगल बांध के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि यदि इसमें जम रही मिट्टी को यदि नहीं निकाला गया इससे मिट्टी वर्तमान गति से ही जमती गई तो भाखड़ा नंगल परियोजना 250 वर्ष के बजाय केवल 70 वर्ष तक ही काम करेगी।

यह राशि 20 करोड़ रुपये के अनुमान से बढ़ते बढ़ते 50 करोड़ रुपये कैसे हो जाती है, यह बात समझ में नहीं आती। यह निश्चय ही अकुशल कार्य कुप्रशासन तथा गलत उपयोजन का प्रतीक है।

डा० कैलास (बम्बई–दक्षिण) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि स्वदेशी क्षमता के उपयोग, पोंग बांध का निर्माण, ग्राम्य विद्युतीकरण विश्व बैंक से बिजली के लिये ऋण लेने, परियोजनाओं को चालू करने, कोसी नहर तथा अन्य बांधों के निर्माण के विलम्ब के क्या कारण हैं। महाराष्ट्र में सिंचाई की सम्भावनायें बहुत अधिक हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। हमने परियोजनायें भेजी हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

महाराष्ट्र को हर वर्ष कमियों का सामना करना पड़ता है।

महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 57 सिंचाई परियोजनायें भेजी हैं लेकिन आठ वर्षों से इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। 10 पनबिजली परियोजनायें भी केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी गयी थी। इन्हें शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये।

महाराष्ट्र ही क्या, सारा देश किस प्रकार प्रगति कर सकेगा यदि स्वीकृति 5 से 7 वर्ष तक भी न प्रदान की जाये। इससे परियोजना की लागत बढ़ती है। इन परियोजनाओं को एक वर्ष के भीतर स्वीकृति दी जानी चाहिये।

कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा नदियों के विवादों पर अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिये। जिन परियोजनाओं के बारे नदी विवाद नहीं, कम से कम उन्हें तो शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये।

मेरी समझ में नहीं आता कि पौंग बांध को एक वर्ष के लिये विलम्बित करने पर क्यों ज़ोर दिया जा रहा है। इसे विलम्वित करने से हम हर तरह से हानि में रहेंगे। इस परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पौंग बांध इसी वर्ष पूरा किया जाये।

औद्योगिक और कृषि उत्पादन के हमारे लिये अधिकाधिक ताप बिजली स्टेशनों का होना ज़रूरी है।

ग्राम्य विद्युतीकरण कार्य जितना संतोषजनक होना चाहिये था, उतना नहीं रहा। अब तक भी कई गांवों में बिजली नहीं पहुंचायी गयी है।

श्री एच० एम० पटेल (ढढ़वा) : मंत्री महोदय की यह बात सुनकर मैं बहुत निराश हुआ कि सिंचाई और बिजली के लक्ष्यों की पूर्ति में काफी कमी रही है। कमी के कारण देसी उपकरणो के निर्माण सम्बन्धी असफलता तथा वित्तीय साधनों का अभाव बताया जाता है। स्वदेशी क्षमता ठीक समय पर उपकरणों के आयात में बाधक बन जाती है। यही कारण है कि हमें समूचे देश में बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि वे आज भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम देश कि ज़रूरत का सभी सामान बना सकते हैं। हम इस बात की ओर से आँखें नहीं मूंद सकते कि स्वदेशी निर्माता केवल कुछ ही उपकरण बना सकते हैं। वे सभी उपकरण नहीं बना सकते। यदि हमें इस बात का पूरा पता है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार कुछ उपकरण हमें यही प्राप्त हो सकते है तो शेष उपकरणों का हमें आयात करना चाहिये जिसके लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सतलुज, व्यास और रावी नदियों में कुल मिलाकर जितना पानी बहता है उतना अकेली नर्मदा नदी में है। यह सारा पानी समुद्र में चला जाता है। यह सच है कि मामला प्रधान मंत्री को निर्णय के लिये सौंप दिया गया है और न्यायाधिकरण से वापस ले लिया गया है। खोसला समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री इस बारे में विचार करें कि गुजरात में बांध की ऊंचाई चाहे जितनी भी रखी जाये। बांध की बुनियाद शीघ्र रखी जाये और बुनियाद पूरी ऊंचाई को ध्यान में रखकर रखी जाये ताकि बाद में हम यह न कह सकें कि बुनियाद के बारे में गलती हुई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। तटीय क्षेत्रों में भूसंरक्षण कार्य में प्रगति नहीं हुई है। बनरोपण कार्य तीव्रगति से चलाया जाना चाहिये। उसी दशा में हम हर वर्ष बाढ़ को रोक सकते हैं। हर वर्ष बाढ़ से हानि होती है।

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) : The Garibi hatao slogan will remain a mere slogan if the development of irrigation and power work is not taken up on a war footing the farmers want water from you. The irrigation and power Ministry needs to be strengthened during the 5th five year plan. A provision of 2100 crores should be made in the 5th five year plan for irrigation and power.

We have not made any efforts to utilise the rain water. We cannot control the floods and water flows down to the ocean. Somewhere there is difinitely faulty planning.

Madhya Pradesh is a backward State. Production of this State is lowest in the country for want of irrigation facilities. The irrigation potentialities are not being utilized in this state. A provision of Rs. 1000 crores should be made for Madhya Pradesh for this purpose. Every third man there is scheduled caste or scheduled tribe. It is a most backward state.

The Narmada dispute has been referred to the Prime Minister. The Hon. Minister should ask the Prime Minister to give her award within 2 months. We have not been able to use even a drop of its water.

A super thermal power station should also be set up there. We have also suggested the names of the places where such stations can be set up. This will generate 3200 KW electricity.

There are 70,414 villages in Madhya Pradesh and only 9,273 have so far been electrified. As compared to this cent per cent villages have been electrified in Haryana.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagpur) : The Ministry of Irrigation and Power is very important because it is only through irrigation and power that we can increase the agricultural production. I, therefore support the demands for grants of this ministry.

The various projects for utilising the river waters have not been implemented because of inter-state river disputes. The constitutional Amendment Bill has not so far been introduced in the house. Such river disputes can only be settled through constitutional Amendment Bill. This Bill should be introduced and passed in the current session.

Irrigation and power should be provided to the drought affected states by executing various projects. It is proposed to utilise the waters of Ravi, Bias and Satluj for the drought affected areas of Rajasthan.

There is also underground water in some pockets of Rajasthan. The desert areas of Rajasthan should be electrified with a view to sinking tube-wells there.

Similarly the idea of Ganga-Kaveri link is a good one. That is a very important scheme. The height of the Narmada dam being constructed at Navgaon needs to be enhanced so that Barmair and Jalaur districts could also get water. We should try to implement the idea of national grid as early as possible in the country.

We should pay special attention to the thermal power with a view to electrifying the drought hit areas. An atomic power plant has been set up

at Kotabut, it is not functioning due to some trouble which should be removed at the earliest. We should pay more attention to the thermal power than to the atomic power.

The water of ganga can be lifted to the areas like Nagaur, Barmair, Jalaur, Jodhpur etc. etc. at the time of flood.

श्री विक्रम महाजन (काँगड़ा) : देश की समस्याओं को हल करने के लिये आज एक नये दृष्टिकोण, नये उपाय तथा नये आयोजन की आवश्यकता है ।

बिजली की कमी सारे देश में है । मंत्री महोदय को पुराने दृष्टिकोण को त्यागकर देश में समूची बिजली प्रणाली पर पुनः विचार करना चाहिये । हिमाचल प्रदेश में अगले पांच वर्षों के दौरान सब से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है । यदि अगले 20 वर्षों के दौरान जोरदार कार्यक्रम लागू किया जाय तो इस छोटे क्षेत्र से विद्युत की कमी पूरी की जा सकती है । हिमाचल प्रदेश में इस बारे में मुख्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें क्योंकि वहां सब से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है । हिमाचल प्रदेश की एक मात्र परियोजना एक एक वर्ष में पूरी होनी थी किन्तु उसमें विलम्ब हो रहा है और लागत भी बढ़ रही है ।

हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि थोड़े से थोड़े समय में बिजली पैदा की जाये ।

पौंग बांध का निर्माण राजस्थान के लाभ के लिये है । इस हेतु जिन लोगों की जमीनें ली गयी हैं, उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये । मंत्री महोदय ने सभा में तीन बार आश्वासन दिये कि बेदखल किये गये लोगों को पहले बसाया जायेगा और बाद में वहाँ जल छोड़ा जायेगा । अब उनका विचार न जाने क्यों बदल गया है । यदि मंत्री महोदय ने आश्वासन पूरे न किये तो सरकार की स्थिति हास्यपद हो जायेगी । उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पहले लोगों को बसाया जाये और उसके बाद ही पानी छोड़ा जायें । मंत्री महोदय को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि इन लोगों को कम से कम कष्ट पहुंचे ।

मंत्री महोदय को चाहिये कि प्रत्येक स्रोत से उपलब्ध होने वाली बिजली को समायोजित किया जाये । उन्हें तीनों प्रणालियों का समायोजन करना चाहिये तथा प्रत्येक क्षेत्र को उचित भाग मिलने की बात सुनिश्चित की जानी चाहिये ।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : बिजली संकट अनुभव करने का अर्थ यह है कि हम प्रगति और विकास के नये युग में प्रवेश कर रहे हैं । हमें दूरदर्शिता से इस संकट का सामना करना चाहिये ।

हमारा देश आज मुख्यतः पणबिजली तथा तापीय बिजली पर निर्भर है । अब हम परमाणु युग में प्रवेश करने जा रहे हैं । अब हमारे लिये भूतापीय शक्ति का उत्पादन करना सम्भव है । यह उचित समय है कि इन शक्तियों के अतिरिक्त, जिनका हम उपयोग करते आ रहे हैं, भूतापीय शक्ति का भी उत्पादन किया जाये । जब हम शक्ति के व्यावहारिक पहलू पर दृष्टि डालते हैं तो हमें इन बातों पर भी ध्यान देना है जिनसे कि हमें भविष्य में सहायता मिल सकती है आज हमें जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उससे धीरे धीरे वायु मण्डल दूषित हो जायेगा । भूतापीय तथा हाईड्रोजन गैस से इस खतरे को दूर करने की सम्भावना है ।

सिगरोली का क्षेत्र, जो निम्नस्तर के कोयले में बड़ा समृद्ध है, उच्च जल विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिये आदर्श स्थान है। उच्च जल विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिये रा य सरकार ने जो सुझाव भेजा है वह मंत्रालय के पास पड़ा है और यह आशा की जाती है कि मन्त्रालय इसकी स्वीकृतो शीघ्र देगा।

इस क्षेत्र में सभी किसानों को जो एक बात दुखी किये हुये है वह है प्रशुल्क का प्रश्न। हमारा विद्युत बोर्ड बिजली के लिये जो शुल्क लेता है, वह बडे जटिल ढंग से लिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रशुल्क का सरलीकरण करना सम्भव है ताकि वह छोटे किसानों की समझ में आ सके। यह सुनिश्चित करने के लिये मंत्री महोदय को सभी आवश्यक एहतियात लेने चाहिये कि निधि की कमी के कारण ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के काम में बाधा पड़ी है। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा ली गयी नई परियोजनाएं बहुत ही अर्थपूर्ण हैं और इसका प्रयोग किया जाना चाहिये। इस लघु परियोजना का लाभ उठाकर समूचे देश में 2,000 से 2,500 की जनसंख्या वाले जिन गांवों का विद्युतिकरण अभी तक नहीं हुआ है, विद्युतिकरण किया जाना चाहिये।

ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक सामान्य क्षेत्रों के लिये और दूसरा पिछड़े क्षेत्रों के लिए। कुछ विद्युतबोर्डों ने अपनी योजनायें भेजकर अपना कार्य शुरू कर दिया है। निगम ने इन योजनाओं को रद्द कर दिया। अब स्थिति बदल गयी है। प्रारम्भ में पिछड़े क्षेत्रों के लिये जो योजनायें रखी जानी थीं अब उनके लिये वही योजनायें रखी गयी हैं जो विकसित क्षेत्रों के लिये थीं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिये और पिछड़े क्षेत्रों के लिये बनायी गयी योजनायें खटाई में नहीं पड़नी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार को राजस्थान नहर परियोजना अपने हाथ में ले लेनी चाहिये।

बनसागर परियोजना की रीवा के लोगों ने बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की है। यह एक विशेष परियोजना है। विशेषज्ञों का एक उच्चशक्ति प्राप्त निकाय स्थापित किया जाना चाहिये। जो जल की उपलब्धता का ठीक मूल्यांकन करेगा और ऐसा करने के उपरान्त एक समान वितरण फार्मूला तैयार किया जा सकता है।

Shri Vishwanath Rai (Devriya) : Many projects like Gandak project have not so far been completed. The on going projects should be first completed.

Uttar Pradesh is one of the backward states. No irrigation and power projects were started in Uttar Pradesh during the period of first two five year plans. The Uttar Pradesh Governmnet has requested for starting 8 new projects. These projects should be approved.

The Gandak river has caused a very serious danger of soil erosin. The Central Government should pay necessary attention towards it.

We are facing power crisis due to shortage of rain this year. The Government should see to the silting in the dam and also thermal plants.

Power is supplied for industries and agriculture on different rates. The difference should be minimised because agriculture is also important.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् (मदुरै) : भारत जैसे कृषि प्रधान देश की समृद्धि के लिये सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। देश की कुल खेती योग्य भूमि के एक तिहाई भाग के लिये निश्चित सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं जबकि शेष भाग वर्षा के पानी पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण का सुझाव दिया है।

केरल में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी समुद्र में चला जाता है। परियार योजना के बारे में न जाने क्यों विलम्ब डाला जा रहा है तमिलनाडु में 1000 से 2000 एकड़ भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। यदि हम तालाबों को 1000 से 1500 फुट गहरा करके ट्यूब वैल लगायें तो हम किसानों को अच्छी फसल के लिये जल उपलब्ध कर सकेंगे। केन्द्रीय सरकार को इस कार्य को शीघ्र अपने हाथ में लेना चाहिये।

गंगा-कावेरी योजना के लिये अनुदान की व्यवस्था नहीं की गई है। श्री सत्यमूर्ति कहते थे कि चुनाव जीतने के बाद में गंगा को उसी प्रकार दक्षिण की ओर लाऊंगा जिस प्रकार भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाये थे, हम इसके बारे में काफी अर्से से बात करते आ रहें हैं। इस परियोजना का नाम गंगा-कावेरी परियोजना के स्थान पर गंगा-कन्याकुमारी परियोजना रखा जाना चाहिये। गंगा परियोजना को कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाना चाहिये। यह परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना होगी। इसके द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण होगा और लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई भी होगी। यह परियोजना विश्व की बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी। मंत्री महोदय को इस परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहिये। नर्मदा तथा कावेरी के जल के सम्बन्ध में विवाद चल रहे हैं। इस प्रकार के विवादों पर निर्णय लेने के लिये एक राष्ट्रीय सिंचाई आयोग का गठन किया जाना चाहिये जो स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग की तरह काम करेगा।

बिजली के संकट का सारे देश पर प्रभाव पड़ा है। तमिलनाडु में तो इसका प्रभाव और भी बहुत बुरा पड़ा है। तमिलनाडु सरकार ने कमी का मूल्यांकन नहीं किया। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हम पनबिजली पर आश्रित नहीं रह सकते। तमिलनाडु में अब तापीय बिजली स्टेशन स्थापित किये जाने चाहिये। तमिलनाडु सरकार ने तापीय बिजली सम्बंधी 11 योजनायें भेजी हैं मैं जानना चाहता हूं कि इन 11 योजनाओं की क्या स्थिति है ?

निवेली में अधिस्थापित क्षमता बढ़ाकर 600 मैगावाट की जानी चाहिये। टूटी कोरन और मदुरै में दो तापीय बिजली घरों की स्थापना की जानी चाहिये और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र --तन्जौर और रामनद में दो परमाणु बिजली घरों की स्थापना कि जानी चाहिये ?

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्द याल) : कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि संविधान में एक संशोधन करके जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाय। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है और अपने संसाधनों के समुचित विकास की दृष्टि से इस भावना को पैदा करना आवश्यक है। सबसे पहले यह उपाय किया जाना चाहिये कि संविधान के वर्तमान उपबन्धों में संशोधन किया जाये और जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाये। और जल विवादों को आपसी बातचीत, मध्यस्थता अथवा अन्य ऐसे उपायों से सुलझाने की व्यवस्था की जाय। पता नहीं

सरकार इतने अधिक महत्वपूर्ण विषय को सदन में कब प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के अनुसार अब भी अधिकांश जल संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और वह बहकर बेकार ही समुद्र में जा रहा है।

प्रत्येक राज्य अपने निहित स्वार्थों को ही देखता है और सिंचाई सुविधा का लाभ उठाने के बारे में अनेक विवाद उठते रहे हैं, जिन्हें मध्यस्थ निर्णय अथवा न्यायाधिकरण की नियुक्ति करके सुलझाया नहीं जा सका है, बल्कि समस्या के हल में विलम्ब ही हुआ है। अनेक वर्षों से कृष्णा-गोदावरी जल विवाद के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका है, जिससे लाखों व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि होती जा रही है।

मैं सिंचाई और बिजली मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश के उपेक्षित क्षेत्र के प्रति न्याय करें। 31 मार्च के दैनिक "हिन्दू" के संम्पादकीय में श्री सेलम पन बिजली परियोजना के बारे में लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि डा० के० एल० राव के राज्य सभा में दिये गये इस आशय के वक्तव्य कि श्री सेलम परियोजना को केन्द्र अपने हाथ में नहीं लेगा, को ध्यान में रखते हुये इस बात में संदेह है कि श्री सेलम परियोजना वर्ष 1974-75 तक पूरी हो जायेगी। इस परियोजना पर 74 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है जिसमें से 30 करोड़ रुपया पहले ही खर्च हो चुके हैं। वर्ष 1974-75 तक उक्त परियोजना के पूरे न होने से और उसमें और अधिक विलम्ब होने से न केवल खर्च ही बढ़ेगा बल्कि राजस्व की हानि भी होगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार की कठिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को मैसूर की काली-नदी परियोजना की तरह श्री सेलम परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये आर्थिक मदद देनी चाहिये। "व्यवधान"

आंध्र प्रदेश में बिजली का गंभीर संकट है वहां 40 % बिजली का उत्पादन पनबिजली परियोजनाओं से होता है और शेष तापीय बिजली घरों से। पता नहीं पांचवीं योजना में श्रीसेलम अपर सिलेरू और नागार्जुन परियोजनायें पूरी होंगी या नहीं। अपर सिलेरू ऐसी परियोजना है जिसके लिये ढांचा तैयार है और 30 या 40 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से शीघ्र ही योजना चालू की जा सकती है जिससे 400 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बिना किसी कठिनाई के तापिय परियोजना चालू की जा सकती है, क्योंकि वहां कोयला बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। भारत सरकार तथा योजना आयोग द्वारा अन्य स्थानों पर परियोजनायें स्थापित करने की बात समझ में नहीं आती है क्योंकि उन्हें कोयले के लिये आन्ध्र प्रदेश पर निर्भर करना पड़ता है। विजयवाड़ा में तापीय बिजलीघर लगाया जा सकता है क्योंकि वहां सस्ता कोयला उपलब्ध है। उससे न केवल आन्ध्र को, बल्कि दक्षिण के ऐसे राज्यों को भी सहायता मिलेगी जहां बिजली की अत्याधिक कमी है।

दक्षिण में जिस परमाणु बिजली घर का स्थापित करने का विचार है उसे श्रीसेलम जैसे आदर्श स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिये।

जलविवादों को न्यायाधिकरणों के पास न रहने देकर उनको शीघ्र हल किया जाय। कृष्णा नदी के जल का बटवारा करने के बारे में खोसला समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिये। नागार्जुन परियोजना की सिफारिश करते हुये खोसला समिति ने कहा था कि 250 टी० एम० सी० टी० जल रायल सीमा क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिये दिया जायें।

श्री सेलम पनबिजली परियोजना पूर्णतः विद्युत उत्पादन की योजना है इसे सिंचाई परियोजना में बदला जाये। गगां कावेरी लिंक परियोजना को क्रियान्वित करते समय अथवा इसके लिये सर्वेक्षण करते समय रायलसीमा जैसे सूखा पीड़ित और निर्धन क्षेत्र को भी लाभ मिले—इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये।

हमने वर्दराज स्वामी परियोजना, गाजुलोंदीन्ने और रायलसीमा में पुलीवेंदला नहर परियोजना जैसी मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं के बारे में अभ्यावेदन दिये है। जब तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक पिछड़े क्षेत्रों को समान स्तर पर नहीं लाया जा सकता।

गोदावरी बराज, पोचमपाहद और वामसधारा परियोजना पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये। नागार्जुनसागर परियोजना भी राजस्थान नहर परियोजना की तरह विराट परियोजना है। राज्य के वित्तीय साधन उसी पर खर्च हो जाते हैं और अन्य छोटी योजनायें धन के अभाव में रुक जाती हैं। मैं योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को केन्द्रीय परियोजना के रूप में पूरा किया जाय, क्योंकि राज्यों के सीमित साधनों से इन्हें पूरा करना कठिन है सभी सिंचाई परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाय तभी अखिल भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना को मूर्तरूप दिया जा सकता।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : भारत में आजादी के 25 साल बाद भी प्रति व्यक्ति बिजली की खपत विश्व के सभी देशों से कम है।

डा० के० एल० राव० एक योग्य इन्जीनियर हैं परन्तु वह सिंचाई और बिजली मन्त्रालय में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी योजनाओं पर ध्यान नहीं देती। उन जैसी क्षमता वाले व्यक्ति को पूर्ण मन्त्रिमंडल स्तर का मन्त्री बनाया जाना चाहिये।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

बिजली, जिसपर कृषि और उद्योग दोनों ही निर्भर हैं की कमी रही है। मन्त्रालय द्वारा माँगे गये 122 करोड़ रुपये में से 86 करोड़ रुपये केवल बिजली पर खर्च किये गये। गलत आयोजन के कारण ही देश में बिजली की कमी हो रही है। हमारी अधिकांश परियोजनायें पूरी नहीं की गई हैं। लागत बढ़ती जा रही है। चूंकि हम भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्ज और हैवी इलेक्ट्रीकल्ज लिमिटेड से ही मशीनें चाहते हैं इसलिये हमारी परियोजनायें पूरी नहीं हो पाइ हैं। हम विदेशों से बिजली संम्बधी मशीनों का आयात करने में असफल रहे हैं। अगर हमने मशीनों का आयात किया होता तो आज के बिजली संकट से बचा जा सकता था।

बदरपुर परियोजना सन् 1967 में प्रारम्भ हुई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपये थी। आज इस पर लगभग 60 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। 1967 में मन्त्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि 1968 तक बदरपुर से बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी। मेरे विचार में पहली यूनिट के चालू होने में ही अभी कम से कम एक या दो वर्ष का समय और लग

जायेगा । यही हालत सभी राज्य तापीय बिजली परियोजनाओं की है । बैरा सलाल परियोजना की लागत 100 प्रतिशत बढ़ गई है । अगर दो साल पहले 40 करोड़ रु० खर्च किये होते, तो आज 86 करोड़ रुपये की मांग नहीं करनी पड़ती ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता । 70% बिजली उद्योगों को दी जा रही है और केवल 10% बिजली कृषि क्षेत्र के उपयोग में आ रही है । 20% बिजली वाणिज्यिक उपयोग, सड़कों की रोशनी तथा मकानों की रोशनी आदि के रूप में उपयोग में लाई जा रही है । ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए कुल उत्पादन की केवल 1% बिजली ही उपयोग में लाई जा रही है । जब ऐसी स्थिति हो तो ग्रामीण विद्युतिकरण निगम स्थापित करने की क्या तुक है ? यदि बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, तो फिर इस पर धन व्यय करने का क्या लाभ है ? हरियाना में कामगरों में सभी ग्रामों को विद्युत धन दिया गया है, परन्तु पिछले एक साल से वहां गांवों में बिजली सप्लाई नहीं की जा रही । वर्तमान योजना में 75,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है, परन्तु बिजली की सप्लाई न होने से ऐसा विद्युतिकरण किस काम का ।

इस समय बिजली उत्पादन क्षमता की कुल अधिष्ठापित क्षमता में केवल 45% का ही उपयोग किया जा रहा है । पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग होना चाहिए संचार में होने वाले बिजली के घाटे को कम किया जाना चाहिए । कृषि को अधिक बिजली दी जानी चाहिए , क्योंकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 50% योगदान कृषि क्षेत्र का होता हैं, जबकि इसे केवल 10% बिजली दी जाती है । यदि कृषि क्षेत्र को पर्याप्त बिजली दी जाती, तो देश में खाद्यान्नों का अभाव न होता ।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है हम देश में उपलब्ध जल संसाधनों का केवल 17% ही उपयोग में ला रहे हैं । देश में सिंचाई साधनों के अभाव के कारण ही आज अन्न का गम्भीर संकट है ।

गंगा कावेरी लिंक की बातें की जा रही है । शायद यह योजना एक स्वप्न मात्र ही रह जायेगी और इसे साकार रूप नहीं दिया जा सकेगा । वर्तमान अनुमानों के अनुसार 3,000 मील लम्बी नहर से 2,300 फीट ऊपर पानी चढ़ाने पर लगभग 3,000 करोड रु० व्यय होगा और लगभग 60 लाख किलोवाट बिजली प्रयोग की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को पानी की आवश्यकता है । जल अभाव के कारण बिहार, तथा पश्चिम बंगाल में नौ संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । इतना ही नहीं, कलकत्ता पत्तन में भी कठिनाई होगी । उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद गंगा के पानी पर हरियाणा और राजस्थान का पहले अधिकार है : इसलिए इस योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये ।

जिन सिंचाई परियोजनाओं से खाद्यान्न उत्पादन में शीघ्र सहायता मिलने की आशा है, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए । अन्तराष्ट्रीय जल विवादों को शीघ्र हल किया जाना चाहिए ।

हरियाणा सरकार नेहरू नहर के बारें में मांग कर रही है, जिससे 7 लाख एकड़ भूमि सिंचाई होगी । इसके लिए 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई स्वीकृति नहीं दी है, जिससे काम का आरम्भ नहीं हो सका है । हरयाणा का रावी और व्यास नदियों

के जल में हिस्सा निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे हरियाना की सिंचाई परियोजनायें रुक गई हैं ।

सिंचाई और बाढ़ निरोधक उपायों के लिए इस साल 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो अपर्याप्त है । सिंचाई और बिजली साधनों के विकास हो से राष्ट्र समृद्धि और प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है ।

मन्त्री महोदय को कृषि क्षेत्र की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए । उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों के साथ उचित व्यवहार हो । नलकूपों पर मीटर लगाये जाने चाहिए । उद्योगों को रात को बिजली दी जानी चाहिए और कृषि कार्यों के लिए दिन में बिजली उपलब्ध की जाय जबकि किसान अपने खेतों में काम करते हैं ।

Shri Shibnath Singh (Jhunjhunu) : Power and irrigation are important factors of our economy. Our planning in this regard has proved defective because we had, laid emphasis only on hydel-power. Its generation is subject to the quantum of rains we have. Hence it is necessary that we rely more on thermal power. We should set up several thermal power stations in Colleries, have their grid and regulate the supply of power in the country through it.

All the big power projects in the country should be taken over by Central Government. An United grid should be formed and power be distributed in the country according to the needs of each State.

There should be advance planning for the distribution of power. The farmers should be told in advance as to how much power would be made available to them during the months of October and November so that they could make their necessary arrangements. The Central Government should issue necessary instructions to the State Governments in this regard.

The geological Survey of India has identified certain areas in Rajasthan where underground water is available. The Rural Electrification corporation should provide more power in such areas to step up agricultural operations. There are certain such districts like Sikar, Jhunjhunu, Churu, Udaipur, Alwar, where underground water is available in abundance, but no ower scheme sent by the State Government for approval has been sanctioned by Rural Electrification Corporation.

There is acute shortage of drinking water in certain areas of Rajasthan. The Engineers of Rajasthan had submitted to the Centre a scheme for getting 40 thousand cusec flood water from Ganges, but no decision has been taken so far. This scheme would benefit Jhunjhunu, Alwar, Churu and Nagaur. The request of Rajasthan Government for finances for Siddhamat Canal project be granted. Drinking water may be provided from Jawahar Canal to northern area of Jhunbjunu district. Water may also be provided to Rajasthan from Narera. If backward areas are not developed, the regional imbalance would continue to grow.

Rajasthan has spent a huge amount on the Pong dam, but the Members from Himachal as well as Himachal Pradesh Government demand that water

may not be impounded and it might be deferred. An amount of fifty eight crores of rupees is being paid as Compensation for 75,000 acres of land, which is the highest amount paid in respect of any dam as compensation.

I welcome the statement of the Hon'ble Minister to the effect that water would be impounded from this year, I request that he should fulfil his commitment and water may be impounded this year so that we could give irrigated land to the Pong dam oustees. An enquiry committee should also be set up to examine the cases of malpractices in getting allotment of the land from Rajasthan Govt.

श्री के० चिक्कलिंगैया (मांड्या) : भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 70% लोगों की जीविका का साधन कृषि है। भारत की कृषि अधिकांशतः सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए है।

वर्ष 1951 से प्रारम्भ होने वाली राष्ट्रीय योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। 589 बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनायें प्रारम्भ की गई, जिनमें से 361 परियोजनायें अब तक पूरी हो चुकी है और शेष अन्य निर्माण के भिन्न चरणों में हैं। वर्ष 1972-73 के लिए 275 करोड़ रु० की राशि बड़ी और मंझोली परियोजनाओं के लिए नियत की गई और 9 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की सम्भावना है। चौथी योजना के दौरान 38 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचति होने की सम्भावना है, जबकि लक्ष्य 48 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने का था।

प्रायः सभी नई परियोजनाओं में सिंचाई संसाधनों का उपयोग करने में कुछ विलम्ब हो जाता है, विशेषकर दूरी पर स्थित क्षेत्रों के विकास में कुछ वर्ष लग जाते हैं।

दूरस्थ किसानों द्वारा जल की अत्यधिक कमी महसूस की जाती है। महाराष्ट्र के नीरा नहर क्षेत्र की तरह इस स्पष्ट समस्या का हल किया जाना चाहिए। पानी के वितरण का सही नियन्त्रण होना चाहिए और प्रत्येक किसान को कार्ड दिया जाना चाहिए जिसमें तारीख और समय पानी लेने के लिए लिखा हो। यदि कोई किसान पानी का अनाधिकृत अथवा गुप्त प्रयोग करता है, तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में लोक निर्माण विभाग को संक्षिप्त सुनवाई करने कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में जो न्यूनतम दण्ड दिया जाता है, वह यह है कि उस व्यक्ति के खेत को जल देना बन्द कर दिया जाता है ताकि ऐसा काम करने वाले अन्य लोगों के लिए यह एक आदर्श उदाहरण रहे। जब कभी नई योजनाओं को स्वीकृति दी जाय, तो उसमें माप उपकरण लगाने की सलाह आदि को अनुमान में शामिल किया जाना चाहिए। यह नहर के रख-रखाव और जब के वितरण पर नियन्त्रण रखने के लिए काफी अवधि तक सस्ता पड़ेगा।

जहां तक अन्तर्राज्यीय जल विवाद का सम्बन्ध है, कावेरी नदी के जल के उपयोग के बारे में मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्य में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। मैसूर और तमिलनाडु में 1924 में हुए समझौते के अनुसार 1.24 लाख एकड़ भूमी की सिंचाई करने के लिए 49,300 एम० सी० फट जल एकत्र करने के लिए कृष्णा अर्जुन सागर बांध बनाने का अधिकार दिया गया और

मैसूर को यह अधिकार भी दिया गया था कि वह अतिरिक्त जलाशयों का निर्माण कर सकेगा जिससे 45,000 एम०सी० फुट पानी एकत्रित करके 1.10 लाख एकड़ भूमी की सिंचाई कर सकेगा। परन्तु इसके लिए तकनीकी मंजूरी नहीं दी गई। समझौते के अनुसार मद्रास सरकार को मैसूर में 93,000 एम० सी० फीट जल एकत्रित करने की अनुमति दी गई थी, जिससे 3.1 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। मैसूर परियोजना में तमिलनाडू को 93,000 एम० सी० फीट पानी एकत्रित करने की अनुमति दी गई जबकि मैसूर को केवल 40,000 एम०सी०फीट पानी ही एकत्रित करने की अनुमति दी गई है। पता नहीं मैसूर के साथ अन्याय क्यों किया गया। मैं डा० के० एल० राव से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस अन्याय को समाप्त करें।

समझौते के अनुसार हमें अतिरिक्त जल एकत्रित करने का अधिकार है, परन्तु 45,000 एम० सी० फीट पानी को रोकने के लिये हमें बांध बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस मामले पर विचार करने के लिये जो न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था, उससे कुछ भी नहीं किया है। अब मैसूर, तमिलनाडु और केरल—इन तीनों राज्यों की बैठक होने की सम्भावना है। इस समझौते के अनुसार मैसूर ने हानि उठायी है और मद्रास लाभ उठाता रहा है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मैसूर के प्रति न्याय किया जाय।

***श्री माधुर्य हालदार (मथुरापुर)** : गंगा व कावेरी को जोड़ने की परियोजना यर्थाथवादी नहीं है। गंगा नदी का जल कलकत्ता बन्दरगाह के लिये आवश्यक है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारी दवाब डालने पर 5 वर्ष की अवधि 40,000 क्यूज़ेक फीट पानी को अस्थायी तौर पर सप्लाई करने की अनुमति दे दी है। यदि गंगा के जल को दक्षिण भारत में ले जाया गया, तो हुगली नदी सूख जायेगी और पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को भी नुकसान होगा और बंगला देश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि मन्त्री महोदय दक्षिण भारत को अतिरिक्त जल देने के लिये उत्सुक हैं, तो वह ब्रह्मपुत्र के फालतू जल को कावेरी की ओर क्यों नहीं ले जाते? इस जल को हुगली नदी के माध्यम से कलकत्ता बन्दरगाह की ओर क्यों नहीं मोड़ा जाता?

1971 में मन्त्री महोदय ने बताया था कि सुन्दरवन क्षेत्र में 100 जल मार्ग के द्वार बनाने की योजना है, जिन्हें सुन्दरवन डेल्टा परियोजना से मिला दिया जायेगा। तब से अब तक यद्यपि प्रतिवर्ष धन राशि नियत की जाती है, परन्तु किया कुछ भी नहीं जाता। सुन्दरवन क्षेत्र की 96 प्रतिशत जनता का व्यवसाय कृषि है। इस परियोजना के उचित क्रियान्वयन से नदियों के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है और 10 लाख एकड़ भूमि में दो फसलों की खेती की जा सकती है।

हमें यह भी बताया जाय कि मोगरहार परियोजना का क्या हुआ? इस परियोजना के लिये 4 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, किन्तु अब तक कुछ ठोस कार्य नहीं किया गया है।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

डा० हरि प्रसाद शर्मा (अ.ावर) : भारत में विश्व की कुल बिजली का केवल 1.2 प्रतिशत ही उत्पादन किया जाता है। भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत विश्व की औसत का केवल 8 प्रतिशत है। हम विश्व में सबसे कम बिजली का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और रूस में क्रमश: 7150 किलोवाट आवर, 8450 किलोवाट आवर और 2680 किलोवाट आवर बिजली की खपत होती है, जबकि भारत में 95 किलोवाट आवर बिजली की खपत होती है। भारत जैसे विशाल देश में प्राय:मानसून ठीक समय पर नहीं आयेगा। इसके लिये हमें तैयारी करनी होगी।

इसका कारण गलत आयोजना और त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन है। हमने 12½ प्रतिशत की दर से बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रारम्भ लक्ष्य रखा था। हमारी सभी योजनायें इसी आधार पर बनाई गई हैं, जबकि आयोजन 15 प्रतिशत विकास दर के अनुसार होना चाहिये था और अगर हम ऐसा करते, तो आज हमें इस कठिन स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। चार पंचवर्षीय योजनाओं और तीन वार्षिक योजनाओं में उत्पादन क्षमता स्थापित करने में प्रति वर्ष लगभग 35 प्रतिशत की कमी होती रही है। इसलिये अब समय आ गया है कि हम अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें और प्रमुख समस्याओं पर तथ्यपूर्ण ढंक से विचार करें।

उत्पादन क्षमता की स्थापना करने सम्बन्धी कार्य को क्रियान्वित नहीं किया गया। अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई संगठन भी नहीं है, जो एक राज्य से फालतू बिजली कम बिजली वाले राज्य को भिजवाये। अन्तराष्ट्रीय ग्रिड की भी स्थापना नहीं की गई है। बिजली भेजने के कारण 16 से 18 प्रतिशत तक की हानि उठानी पड़ रही है। इस कारण हमें अपने कार्य करने के ढंग पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये। योजना आयोग के माध्यावधि मूल्यांकन में यह कहा गया है कि हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० ने समय पर उपकरणों की सप्लाई नहीं की।

हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। किसी भी विकास योजना और सामाजिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमें ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को पूरा करना होगा और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

पांचवीं योजना में बिजली के उत्पादन का अधिष्ठापित क्षमता का निर्धारित लक्ष्य 218 लाख किलोवाट रखा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें प्रति वर्ष 40 लाख किलोवाट तक की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करनी चाहिये, किन्तु हमारी अब तक की कार्य–क्षमता क्या रही है? 1965–66 में 18 लाख किलोवाट, 1966–67 में 12.1 लाख किलोवाट, 1967–68 में 17.7 लाख किलोवाट, 1968–69 में 11.5 लाख किलोवाट, 1969–70 में 11.8 लाख किलोवाट 1970–71 में 9.8 लाख किलोवाट और 1971–72 में 5.8 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता को स्थापित किया गया; किन्तु पांचवीं योजना में प्रतिवर्ष 40 लाख किलोवाट के निर्धारित लक्ष्य को किस प्रकार पूरा करेंगे–इस प्रश्न पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा।

इस समय बिजली के उपकरणों की निर्माण क्षमता 17 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन के लिये पर्याप्त है। इसलिये या तो हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० की उत्पादन

क्षमता में और वृद्धि की जाय अन्यथा 40 लाख किलोवाट की बिजली के उत्पादन के लिये अपेक्षित उपकरणों का आयात किया जाय।

इस मन्त्रालय के सामने एक अन्य बाधा इस्पात की कमी है। यह एक वास्तविक समस्या है। इस मंत्रालय को 10 प्रतिशत देशी इस्पात और 40 प्रतिशत आयातित कोटे में से इस्पात मिलती है। हमें ऐसे उपायों पर विचार करना होगा कि जिसमें यह मन्त्रालय शेष 50 प्रतिशत की सप्लाई भी प्राप्त कर सके।

इसके अतिरिक्त बिजली के भेजने पर वर्तमान हानि लगभग 18 प्रतिशत हो रही है। जबकि इसका विश्व औसत 8 प्रतिशत से अधिक नहीं है। एक राज्य में तो यह बहुत अधिक अर्थात् 25 प्रतिशत है। अतः जैसा कि बिजली मितव्ययता समिति ने सिफारिश की है कि यदि अपेक्षित समय के भीतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना और अधिक समय नष्ट किये वाल्टेज को और अधिक बढ़ाने अर्थात् 400 या 500 किलोवाट करने के बारे में निर्णय करना होगा।

एक अन्य समस्या जिसका सामना यह मन्त्रालय कर रहा है, वह संस्थागत ढांचा है। हमारे यहां सी० डब्ल्यू० पी० सी०, क्षेत्रीय बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण बने हुए हैं। उन्हें सांविधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, बल्कि उन्हें केवल सिफारिशें करने का अधिकार मिला हुआ है। राज्य बिजली बोर्डों में जो सिफारिशें प्राप्त होती हैं, वे उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोड भेजने वाले केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को कार्यकुशलता से बिजली नहीं भेजी जा सकती।

मानकीकरण करने की भी आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करें तो सभी प्रकार की बचत होगी क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी और सामग्री भी कम खर्च होगी आदि आदि।

देश की केवल 2.2 प्रतिशत बिजली ही परमाणु बिजली घरों से पैदा की जाती है। परमाणु घरों के माध्यम से ही देश की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

तारापुर में हमें कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोगों की यह धारणा है कि हमारे पास संयत्र चलाने के लिये विशेषज्ञ और वैज्ञानिक नहीं हैं। यह गलत है। हमारे पास वहां सर्व श्रेष्ठ वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि वहां सन्तोषजनक ढंग से काम पूरा हुआ है।

Shri Nathuram Ahirwar (Tikamgarh): The country has made great headway in the field of irrigation and power during the last 25 years, but this progress has been confined to certain particular areas. No major irrigation project has been constructed in Madhya Pradesh sufficient water is available in Madhya Pradesh, but it is not being utilised. Some of the projects there could not be implemented due to dispute with other states. It takes ten to fi'teen years to get them sanctioned and surveyed. The cost of the project goes up in the meantime. Narmada Project and Bansagar Project are pending due to inter state disputes. I request the Hon'ble Minister to make efforts for early settlement of such disputes.

780—MW power could be produced from chachai water falls wi hout any damage to the interest of any other State. I would also request the Honourable Minister to accord early sanction to the irrigation projects submitted by the state Government to the Centre during the period 1969 to 1972. These projects would cost nearly 517·74 crores of rupees. They would irrigate 33·31 lakh acres of land. Besides there would be 2860 MW of installed power generating capacity. Thus Madhya Pradesh would be able to help other states by supplying power to them.

There are certain areas in Madhya Pradesh, like Bundelkhand which are still backward. There is neither industry nor any facility of irrigation. The people there are so poor and helpless that they are forced to become dacoits. It is necessary that steps are taken to improve their economic conditions. The Orchha Irrigation and power project, Banatha and Kunera dam and Upper Canal Projects should be approved by the Centre immediately.

In addition to major irrigation projects, attention should also be paid towards minor irrigation. More tube-wells should be sunk and tanks should be repaired.

Madhya Pradesh Government has sent proposals of four thermal power stations for centre's approval. The Government should give its approval at an early date. National grid should be formed so that surplus power may be supplied to other states.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने बड़े उपयोगी सुझाव दिये हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण 12 को जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 12 अप्रैल, 1973,/22 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock Thursday, April 12 1973 / Chaitra 22, 1895 (Saka).